खण्ड-428, अंक-7
गुरुवार, 29 माघ, शक संवत् 1920
(18 फरवरी, 1999 ई0)

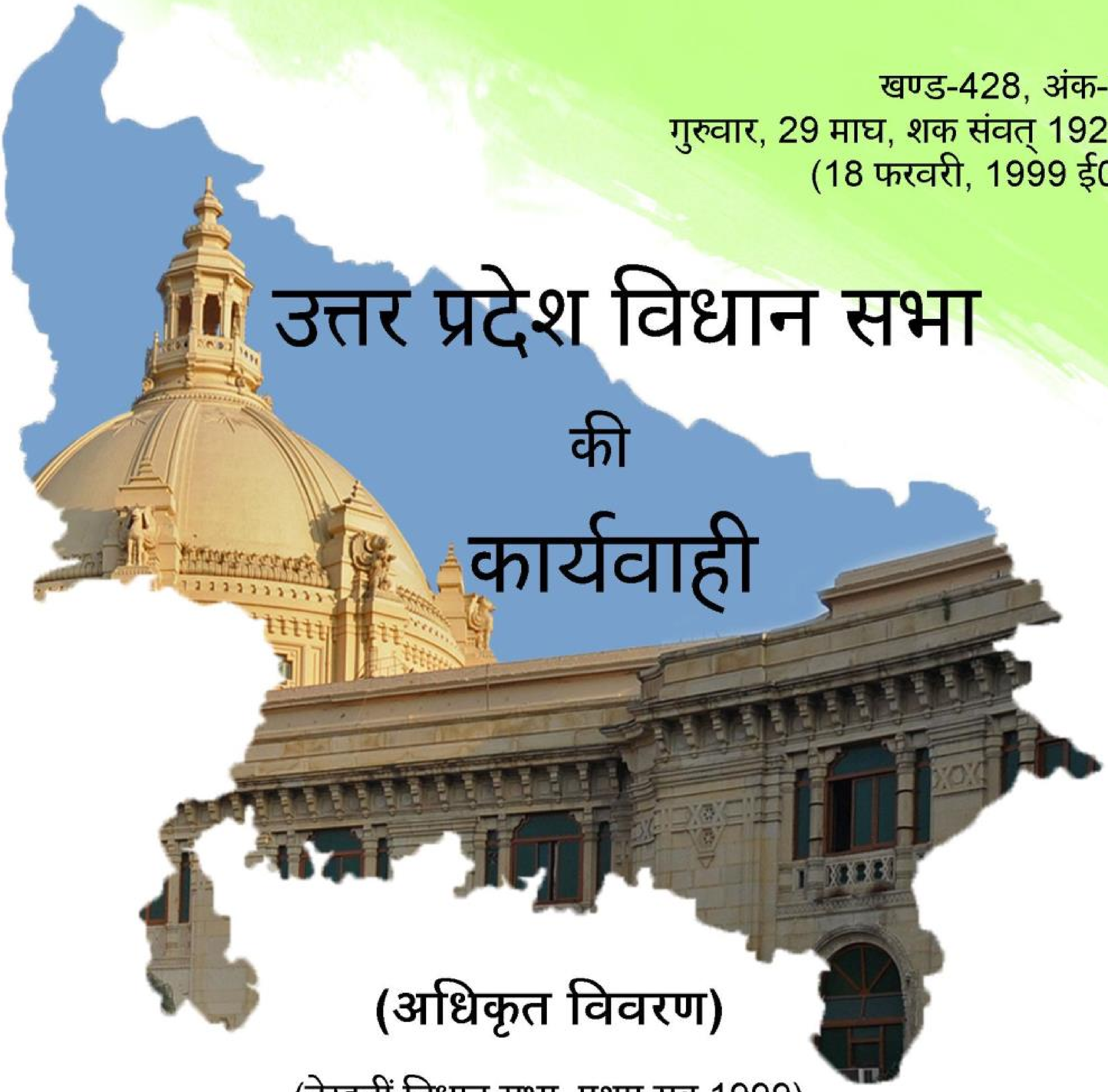

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 428 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1999

---

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

## विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य | |
| विभिन्न सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास ... ... | 1–3 |
| श्री उदयराज यादव तथा श्री चन्द्र नाथ सिंह को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव––(स्वीकृत) ... ... ... | 3-4 |
| श्री जोखू लाल यादव, श्री अरुणवीर सिंह, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री मोती लाल पैलवी, श्री उबैदुर्रहमान, डा० मुस्लिम, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री भोनू, श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री रामाधार सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह यादव, श्री रिफाकत हुसैन, श्री दिलीप कुमार तथा मास्टर छोटे लाल गंगवार को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव––(स्वीकृत) ... | 4-5 |
| प्रश्नकाल को 1 बजे तक बढ़ाये जाने के लिये श्री अध्यक्ष का निर्देश ... | 5 |
| प्रश्नोत्तर ... ... ... | 5-71 |
| नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... ... | 71 |
| जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड जयहरीखाल, यमकेश्वर एवं रिखनीखाल में आदमखोर बाघों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 71 |
| आगरा के कतिपय मोहल्लों में नालों की सफाई न होने से व्याप्त गंदगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 71-72 |
| गोरखपुर मण्डल में स्वास्थ्य विभाग में हुई फर्जी नियुक्तियों एवं कथित गबन में संलिप्त अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 72 |
| मथुरा जनपद स्थित वृन्दावन टी० बी० सेनोटोरियम में शासन द्वारा आर्थिक सहयोग राशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | 72-73 |
| थानाध्यक्ष, मानिकपुर, जिला चित्रकूट द्वारा दमनात्मक जन विरोधी कार्यों की सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 73 |
| औचित्य के प्रश्न की सूचनायें ... ... ... | 74 |
| विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदर में जनपद के प्रभारी मंत्री द्वारा पिच मार्ग का शिलान्यास भा० ज० पा० के पूर्व विधायक द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ... ... ... | 74-83 |
| दिनांक 11, 12 तथा 16 फरवरी, 1999 को पूरे दिन समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न | 83-85 |
| मुख्य मंत्री द्वारा गत वर्ष के बजट अभिभाषण में की गयी घोषणाओं का कार्यान्वयन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ... ... | 85-87 |

| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| दिनांक 24-7-98 के विधान सभा के उपवेशन में जनपद मथुरा की पुलिस की कार्य प्रणाली एवं निष्क्रियता के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने के बावजूद शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न | 87-88 |
| नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं ... ... ... | 88-90 |
| उत्तर प्रदेश विनियोग (1998-99 का अनुपूरक) विधेयक, 1999 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ... ... ... | 90 |
| श्री राजेन्द्र सिंह यादव, स० वि० स० गाजीपुर को बन्दी बनाकर जिला कारागार में निरुद्ध किये जाने की सूचना ... ... ... | 90 |
| कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाए (जारी) ... ... ... | 90-91 |
| सम्पूर्ण प्रदेश में दैवीय आपदाओं से पीड़ित लोगों को राहत दिये जाने में की गयी धांधली तथा सरकारी देयों की वसूली में की जा रही सख्ती से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ... ... | 91-98 |
| कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ... ... ... | 98-103 |
| उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1998 (पारित) ... | 103-110 |
| उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) संशोधन अध्यादेश, 1998 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 1998 (अननुमोदन का संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) ... | 110-115 |
| उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1998 (पारित) . | 115-123 |
| उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1998 (पारित) | 124-127 |
| नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें ... ... ... | 127-129 |
| नत्थी ... ... ... | 130-131 |


उत्तर प्रदेश विधान सभा

## उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

---

गुरुवार दिनांक 18 फरवरी, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

| | |
|---|---|
| अक्षयवर लाल, श्री | बहराइच |
| अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री | गोण्डा |
| अजय राय, श्री | वाराणसी |
| अतीक अहमद, श्री | इलाहाबाद |
| अफजाल अहमद, श्री | जौनपुर |
| अफरोज अली खां, श्री | रामपुर |
| अब्दुल कलाम, श्री | बस्ती |
| अब्दुल कलाम, श्री | वाराणसी |
| अमित अग्रवाल, श्री | मेरठ |
| अमीर आलम खान, श्री | मुजफ्फरनगर |
| अम्बरीष कुमार, श्री | हरिद्वार |
| अम्बिका चौधरी, श्री | बलिया |
| अरविन्द गिरि, श्री | खीरी |
| अरिमर्दन सिंह, श्री | महोबा |
| अवधेश प्रसाद, श्री | फैजाबाद |
| अशफाक अहमद, श्री | बरेली |
| अशोक कुमार सिंह, श्री | रायबरेली |
| अशोक बाजपेई, डा० | हरदोई |
| आर० के० सिंह पटेल, श्री | बांदा |
| आलमबदी, श्री | आजमगढ़ |
| इकबाल महमूद, श्री | मुरादाबाद |
| उमाकान्त यादव, श्री | जौनपुर |
| उर्मिला देवी, श्रीमती | मैनपुरी |
| ओइम्वेश, स्वामी | बिजनौर |
| ओंकार सिंह, श्री | एटा |
| ओमकार सिंह, श्री | बदायूं |
| ओम प्रकाश सिंह, श्री | मिर्जापुर |
| कमला प्रसाद रावत, श्री | बाराबंकी |
| कल्याण सिंह, श्री | अलीगढ़ |
| कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री | सहारनपुर |
| काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री | रामपुर |
| काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री | हरिद्वार |
| किशन लाल बघेल, सेठ | आगरा |
| कैलाश, श्री | गाजीपुर |
| कौशल किशोर, डा० | खीरी |
| गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री | आगरा |
| गुलाब देवी, श्रीमती | मुरादाबाद |
| गोपाल कृष्ण, श्री | पीलीभीत |
| गौरी देवी, श्रीमती | गोरखपुर |
| गौरी शंकर (एडवोकेट), श्री | लखनऊ |
| चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री | झांसी |
| चन्द्रेश पासवान, श्री | गोरखपुर |
| चौधरी बाबूलाल, श्री | आगरा |
| छोटे सिंह यादव, श्री | फर्रुखाबाद |
| जगदम्बिका पाल, श्री | बस्ती |
| जगदीश सिंह राणा, श्री | सहारनपुर |
| ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री | महराजगंज |
| ज्वाला प्रसाद यादव, श्री | जौनपुर |
| तौफीक अहमद, श्री | सिद्धार्थनगर |
| दिवाकर विक्रम सिंह, श्री | सिद्धार्थनगर |
| दीपक कुमार, श्री | उन्नाव |
| दीप लाल भारती, श्री | पडरौना |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | |
|---|---|
| दुर्गा प्रसाद यादव, श्री | आजमगढ़ |
| देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर | एटा |
| धनीराम वर्मा, श्री | इटावा |
| धर्मज्ञ मिश्र, डा० | हरदोई |
| धर्मराज निषाद, श्री | अम्बेडकर नगर |
| नन्दराम, श्री | बरेली |
| नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री | कानपुर देहात |
| नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री | बुलन्दशहर |
| परमानन्द दण्डी, स्वामी | रामपुर |
| प्रभु नारायन सिंह यादव, श्री | वाराणसी |
| प्रेम पाल सिंह यादव, श्री | बदायूं |
| बंश नारायण सिंह, श्री | भदोही |
| बाबू खां, श्री | हरदोई |
| बाबू राम यादव, श्री | मैनपुरी |
| ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री | मुरादाबाद |
| महाराज सिंह यादव, श्री | इटावा |
| महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा | आगरा |
| महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री | सीतापुर |
| मुख्तार अन्सारी, श्री | मऊ |
| मुन्ना चौहान, श्री | देहरादून |
| मुस्ताक सोलंकी, श्री | कानपुर नगर |
| मूल चन्द, श्री | बिजनौर |
| योगेन्द्र कुमार, श्री | बदायूं |
| योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री | देवरिया |
| रंग बहादुर पटेल, श्री | इलाहाबाद |
| रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर | पडरौना |
| रमेश राही, श्री | सीतापुर |
| रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री | सिद्धार्थनगर |
| रवीन्द्र शुक्ला, श्री | झांसी |
| राजा गज़नफर अली खां, श्री | बिजनौर |
| राजेन्द्र, श्री | गाजीपुर |
| राजेन्द्र सिंह, श्री | देहरादून |
| राधेश्याम जायसवाल, श्री | सीतापुर |
| राधेश्याम सिंह, श्री | पडरौना |
| राम अवतार मिश्रा, श्री | शाहजहांपुर |
| राम आसरे पासवान, श्री | बस्ती |
| राम औतार शाक्य, श्री | मैनपुरी |
| रामजग, श्री | आजमगढ़ |
| रामतेज यादव, एडवोकेट | बहराइच |
| रामपाल वर्मा, श्री | हरदोई |
| रामपाल सिंह, श्री | गोण्डा |
| राम प्यारे सिंह, श्री | आजमगढ़ |
| राम प्रसाद चौधरी, श्री | बस्ती |
| राम विशुन आजाद, श्री | गोण्डा |
| रामवीर सिंह, श्री | फिरोजाबाद |
| राम शंकर पाल, श्री | उन्नाव |
| राम सिंह सैनी, श्री | हरिद्वार |
| राम स्वरूप सिंह, श्री | बिजनौर |
| रामेश्वर सिंह यादव, श्री | एटा |
| रेवती रमण सिंह उर्फ "मणि", कुंवर | इलाहाबाद |
| लालजी टण्डन, श्री | लखनऊ |
| लालजी वर्मा, श्री | अम्बेडकर नगर |
| लालमणि प्रसाद, श्री | बस्ती |
| लोकपति त्रिपाठी, श्री | मिर्जापुर |
| वकार अहमद शाह, डा० | बहराइच |
| वसीम अहमद, श्री | आजमगढ़ |
| विजमा यादव, श्रीमती | इलाहाबाद |
| विजय सिंह, श्री | सोनभद्र |
| विनोद मणि, श्री | महराजगंज |
| विरेन्द्र सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| विश्वनाथ, श्री | पडरौना |
| वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री | एटा |
| शब्बीर अहमद, श्री | बहराइच |
| शिव पाल सिंह यादव, श्री | इटावा |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | |
|---|---|
| शिशुपाल सिंह यादव, श्री | एटा |
| श्याम किशोर यादव, श्री | लखनऊ |
| श्याम प्रकाश, श्री | हरदोई |
| श्याम लाल रावत, श्री | सीतापुर |
| श्रीराम यादव, श्री | जौनपुर |
| संजय गर्ग, श्री | सहारनपुर |
| संजय सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| सत्य प्रकाश सोनकर, श्री | वाराणसी |
| सरजीत सिंह डंग, डा० | मिर्जापुर |
| सरदार सिंह, श्री | मथुरा |
| सरवर अली खां, श्री | बाराबंकी |
| सीताराम निषाद, श्री | फैजाबाद |
| सुखदेवी वर्मा, श्रीमती | इटावा |
| सुखपाल पाण्डेय, श्री | बस्ती |
| सुधाकर सिंह, श्री | मऊ |
| सौलत अली, एडवोकेट | मुरादाबाद |
| हरदेव सिंह, श्री | बाराबंकी |
| हरवंश कपूर, श्री | देहरादून |
| हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री | सोनभद्र |
| हरि शंकर तिवारी, श्री | गोरखपुर |
| हरीश चन्द्र ''हरीश जी'', श्री | वाराणसी |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 18 फरवरी, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

(व्यवधान)

**विभिन्न सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास**

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

एक दलित को पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी है, सरकार दलित विरोधी है.....

श्री उदय राज यादव–

इससे गम्भीर और क्या हो सकता है ?

(अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये और दलित विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, के नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

जो बहुजन समाज पार्टी के लोग प्रश्न उठा रहे हैं, उस पर मेरे पास सूचना आयी है और जब उस सूचना का निस्तारण करूंगा, तो सुन लूंगा । आप लोग अपने स्थान पर चलिये ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री उदयराज यादव–

इससे गम्भीर और कोई प्रश्न नहीं हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

आप सुसंगत नियमों में उठायें । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री उदयराज यादव–

आज पूरे उत्तर प्रदेश में छात्रों की लूट हो रही है ।

(व्यवधान)

[ नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर ]

(माननीय मंत्री श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल उत्तर पढ़ने के लिये खड़े हुए)

(समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे और नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया स्थान ग्रहण कर लें ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा स्थान ग्रहण न किये जाने पर)

मुझे नाम नोट करके दीजिये । जानबूझकर सदन की कार्यवाही में व्यवधान किया जा रहा है, मुझे इंगित करना पड़ेगा । जो भी व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, चाहे खड़े होकर, चाहे नारा लगाकर, सभी के नाम लिखकर दीजिये ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा लगातार अपने-अपने स्थानों से एक साथ अपनी बात कहते रहने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यदि आप लोगों ने सदन की कार्यवाही में व्यवधान करने का निश्चय कर लिया है तो सदन को भी कुछ निश्चय करना पड़ेगा, सख्त कदम उठाना पड़ेगा ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप इस बारे में कानूनी सलाह कर लीजिये । कुछ सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने के बारे में भी विचार किया जा सकता है । जो लगातार व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, उनकी सदस्यता समाप्त करने के बारे में विचार करना पड़ेगा ।

(लगातार व्यवधान जारी रहने पर)

मैं सदन को 11.30 बजे तक स्थगित करता हूं । इसके बाद भी व्यवधान जारी रहा तो इंगित करूंगा ।

(इस समय 11 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।)

(11 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री उदयराज यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, कल मैंने एक सूचना नियम 311 के अन्तर्गत दी थी ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल प्रारम्भ हो गया है कृपया प्रश्न काल चलने दीजिये । अभी नियम 311 की सूचनायें नहीं ली जा रही हैं । इस समय प्रश्न काल, चल रहा है ।

श्री उदयराज यादव–

[ × × × ]

श्री अध्यक्ष–

आपको बोलने की अनुमति नहीं है, यह लिखा नहीं जायगा ।

श्री उदयराज यादव–

[ x x x ]

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्यामदेव राय चौधरी आप प्रश्न करें ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय उदयराज जी कृपया बैठ जायं ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

अगर आपने तय किया है कि सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी तो सदन ने भी तय किया है कि सदन की कार्यवाही चलेगी । कृपया बैठ जाइये, कृपया कार्यवाही चलने दीजिये ।

---

नोट :– [ × × × ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चन्द्रनाथ सिंह जी, कृपया आप सदन त्याग कर दीजिये ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि तापीय बिजलीघरो का लोड फैक्टर क्या है.....(शोर)

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था का प्रश्न नहीं है यह जानबूझकर आप अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं, यह गलत है । कृपया सदन त्याग कर दीजिये ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

मेरा दूसरे माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

पहले आप पढ़ लिखकर आइये नियमावली को, फिर व्यवस्था का प्रश्न उठाइयेगा । कृपया व्यवधान न उत्पन्न करिये, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वह निष्पक्ष है । हमारे संसदीय अधिकारों का हनन हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य शांत बैठे हैं उनके अधिकारों का क्या होगा, कृपया बैठ जाइये ।

(श्री चन्द्रनाथ सिंह के न बैठने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय चन्द्रनाथ सिंह, मैंने आपको सदन त्याग करने का निर्देश दिया है कृपया सदन त्याग कर दीजिये ।

(अनेक सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

**श्री उदयराज यादव तथा श्री चन्द्रनाथ सिंह को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव**

श्री अध्यक्ष–

माननीय उदय राज यादव और माननीय चन्द्रनाथ सिंह, इन 2 लोगों को मैं इंगित कर रहा हूं। संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 299 के उप नियम 3 (ख) के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों को श्री अध्यक्ष ने इंगित किया है उन्हें सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री चन्द्र नाथ सिंह एवं श्री उदय राज यादव को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री चन्द्र नाथ सिंह तथा श्री उदयराज यादव को सदन की सेवा से निलम्बित कर दिया गया है। पहला निलम्बन 3 दिन के लिए होता है। आप दोनों माननीय सदस्य तुरन्त सदन का त्याग कर दें।

(श्री चन्द्र नाथ सिंह एवं श्री उदयराज यादव द्वारा सदन का त्याग न करने तथा श्री रामेश्वर दयाल, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री रामाधार सिंह, श्री मोतीलाल पैलवी आदि सदस्यों द्वारा अपने-अपने मेज पर खड़े होकर एक साथ बोलते रहने पर घोर व्यवधान/शोर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। यह शोभा नहीं दे रहा है। आप लोगों ने सदन के साथ मजाक कर दिया है।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

हम लोगों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। हमारी कोई बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। कल जिन लोगों को इंगित नहीं किया गया था उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण स्थान ग्रहण करें।

(सदस्यों द्वारा स्थान ग्रहण न करने तथा लगातार व्यवधान उत्पन्न करने पर)

**श्री जोखू लाल यादव, श्री अरुणवीर सिंह, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री मोतीलाल पैलवी, श्री उबैदुर्रहमान, डा० मुस्लिम, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री भोनू, श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री रामाधार सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह यादव, श्री रिफाकत हुसैन, श्री दिलीप कुमार तथा मास्टर छोटे लाल गंगवार को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव**

श्री अध्यक्ष–

अब मैं श्री जोखू लाल यादव, श्री अरुणवीर सिंह, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री मोतीलाल पैलवी, श्री उबैदुर्रहमान, डा० मुस्लिम, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री भोनू, श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री रामाधार सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह यादव, श्री रिफाकत हुसैन, श्री दिलीप कुमार एवं मास्टर छोटे लाल गंगवार को इंगित कर रहा हूं।

(इंगित किये गये सदस्यों द्वारा सदन का त्याग न करने पर)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप प्रस्ताव लाइये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम 299 के उप नियम 3 (ख) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा इंगित किये गये माननीय सदस्यों को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

श्री जोखू लाल यादव, श्री अरुणवीर सिंह, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री मोतीलाल पैलवी, श्री उबैदुर्रहमान, डा० मुस्लिम, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री भोनू, श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी,

श्री रामाधार सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह यादव, श्री रिफाकत हुसैन, श्री दिलीप कुमार एवं मास्टर छोटे लाल गंगवार को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये जाते रहने से घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों को निलम्बित किया गया है वह सदन का परित्याग कर दें ।

(निलम्बित सदस्यों द्वारा सदन का त्याग न करने पर)

अब मैं 299 के उप नियम 3 (ग) को पढ़कर आपको सुना रहा हूं । नियम 299 के उप नियम 3(ग) के अन्तर्गत सदन द्वारा निलम्बित सदस्य बाध्य होंगे कि वे सदन के परिसर का तुरन्त परित्याग करें । किन्तु ऐसा न करने पर और अध्यक्ष द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किये जाने पर कि बल का प्रयोग अनिवार्य हो गया है, निलम्बित सदस्य, बिना किसी अग्रेतर प्रस्ताव के सत्र की अवशिष्ट कालावधि के लिए निलम्बित हो जायेंगे । जो माननीय सदस्य सदन की सेवा से निलम्बित हुए हैं मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वह सदन के परिसर का तुरन्त त्याग कर दें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मेरे बार-बार कहने के पश्चात् निलम्बित माननीय सदस्य सदन का परित्याग नहीं कर रहे हैं, सभा मण्डप के बाहर नहीं जा रहे हैं । इसलिए मैं मार्शल को आदेश देता हूं कि वह ससम्मान निलम्बित सदस्यों को सदन से बाहर कर दें । चूंकि मेरे बार-बार अनुरोध करने के बावजूद माननीय सदस्य सदन का परित्याग नहीं कर रहे हैं इसलिए बल प्रयोग अनिवार्य हो गया है और इसका परिणाम हो गया है कि निलम्बित सदस्य सदन के शेष कालावधि के लिये निलम्बित हो गये हैं ।

मार्शल कृपया ससम्मान सभी निलम्बित सदस्यों को सदन के बाहर कर दें ।

(मार्शल सभी निलम्बित माननीय सदस्यों को ससम्मान सदन के बाहर ले गये)

**प्रश्नकाल को 1 बजे तक बढ़ाये जाने के लिये श्री अध्यक्ष का निर्देश**

श्री अध्यक्ष–

श्री श्याम देव राय चौधरी कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न करें । चूंकि प्रश्नकाल में लगभग 40 मिनट का व्यवधान हुआ है । इसलिए यदि 12.20 तक सभी प्रश्न समाप्त न हुए तो प्रश्नकाल को 40 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया जायेगा । प्रश्नकाल 1.00 बजे तक के लिये चलता रहेगा उसके पहले समाप्त हो गया तो अलग बात है ।

## प्रश्नोत्तर

### अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

**ओबरा व आनपारा विद्युत गृह को उत्पादन निगम को सौंपने के निर्णय की जानकारी**

**1.—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ओबरा व आनपारा विद्युत गृह को उत्पादन निगम को सौंपने का क्या कोई निर्णय सरकार ने लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

प्रकरण विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के राजस्व व्यय के सापेक्ष उनकी राजस्व वसूली में कमी के कारण वर्तमान में तापीय विद्युत गृहों का समुचित संचालन एवं अनुरक्षण नहीं हो पा रहा है । इन तापीय

विद्युत गृहों को लाभप्रद स्वतंत्र इकाई के रूप में चलाकर इनकी उत्पादकता एवं क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु इन्हें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम को हस्तान्तरित किये जाने की आवश्यकता अनुभव की गयी है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा उत्तर में कहा गया है कि प्रकरण विचाराधीन है व अन्त में कहा गया कि उत्पादकता एवं क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु इन्हें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम को हस्तान्तरित किये जाने की आवश्यकता अनुभव की गई। दूसरी तरफ जहां तक मेरी जानकारी है वह यह है कि इससे हस्तान्तरण पर, मंत्रि-परिषद् ने अपने निर्णय की मुहर लगा दी है तो इस विरोधाभासी उत्तर का कारण क्या है ? दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि एन० टी० पी० सी० अन्य तापीय विद्युत गृहों का प्लांट लोड फैक्टर क्या है और जो ओबरा और आनपारा विद्युत गृह हैं इसका प्लान्ट लोड फैक्टर क्या है ? यदि इसका कम है तो कारण क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उत्तर में कोई विरोधाभास नहीं है। माननीय सदस्य समझ नहीं पा रहे हैं। यह सही है कि मंत्रि-मण्डल ने यह निर्णय लिया था कि ओबरा और आनपारा को उत्पादन निगम को दे दिया जाए लेकिन यह भी निर्णय लिया गया था कि इस विधान सभा में विद्युत रिफार्म बिल आने के पहले और नई ऊर्जा नीति बनाने के पहले कार्यान्वयन नहीं होगा। हम आगे नई ऊर्जा नीति के तहत निर्णय लेंगे। जो दो तापीय विद्युत गृह हैं इनके बारे में नई ऊर्जा नीति लागू होने के बाद क्रियान्वयन शुरू करेंगे। जहां तक माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि एन० टी० पी० सी० जो पावर स्टेशन हैं उनका पी० एल० एफ० क्या है ? जहां तक माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि एन० टी० पी० सी० के पावर स्टेशन्स का पी० एल० एफ० क्या है। यह सही है कि एन० टी० पी० सी० के पावर स्टेशन का पी० एल० एफ० 80 प्रतिशत मिनिमम है। हमारे यहां के आनपारा बी का 100 प्रतिशत से ऊपर है, जो लगभग दो वर्षों से चल रहा है, इसी प्रकार आनपारा–ए का 80 प्रतिशत चल रहा है। ओबरा चूंकि पुराना हो गया है, इसलिये उसका प्लान्ट लोड फैक्टर 40 प्रतिशत से ऊपर नहीं है। इसका कारण यह है कि ओ० एन० एम० में जितना पैसा लगना चाहिए था, वह राज्य विद्युत परिषद् नहीं दे पा रही है लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि हम ओबरा का पूर्ण नवीनीकरण करायेंगे और इसके प्लान्ट लोड फैक्टर को बढ़ायेंगे।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, एक बहुप्रतीक्षित योजना आनपारा–सी है। क्या इसे निजी क्षेत्र में देने पर सरकार ने विचार किया है अथवा राज्य विद्युत परिषद् के अधीन ही इस प्रोजेक्ट को लगाया जायेगा। इसे माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें। दूसरा, ओबरा तथा आनपारा, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, यदि इनका हस्तान्तरण किया जाता है तो इसकी कीमत क्या होगी, बुक वैल्यू क्या होगी और इन दोनों की सम्पत्तियां कितनी हैं और कितना दायित्व है। दूसरा, इसमें जो अधिकारी/कर्मचारी लगे हैं, उनकी सेवा शर्तों के हस्तान्तरण का आधार क्या होगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है, उसका मूल प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। आनपारा–सी के बारे में निजी क्षेत्रों से मांगा गया था, दो कम्पनियों का आया भी परन्तु इसी बीच राज्य सरकार यह भी विचार कर रही है कि इसको पब्लिक सेक्टर में लगाया जाय। इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। जहां तक इनके दूसरे प्रश्न का सवाल है, हमारे कंसलटेन्ट नियुक्त होते हैं। वह उसकी

कीमत आंकेंगे, जो भी कीमत यह आंकेंगे, उसी के हिसाब से ट्रांसफर किये जायेंगे । हम तो आज की मारकेट वैल्यू के हिसाब से उसे देखना चाहते हैं । नयी ऊर्जा नीति में ही हमने यह निश्चित कर दिया है कि वहां पर जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं, उनकी सेवा, उनका वेतन, उनका प्रोविडेन्ट फण्ड और ग्रेच्युटी, इसकी गारन्टी राज्य सरकार की है । न उन्हें नौकरी से निकाला जायेगा और न भविष्य में ही कोई परेशानी होगी ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि आनपारा–सी को राज्य विद्युत परिषद् के अधीन लगाये जाने का विचार है तो उनका यह विचार कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, शीघ्र ही निर्णय करेंगे ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, इस समय ओबरा और आनपारा सामान्यतः इन दोनों को मिलाकर 50 मिलियन यूनिट बिजली की वर्तमान में लागत 2 करोड़ रुपये प्रति दिन पड़ रही है । इन दोनों विद्युत गृहों के हस्तान्तरण के बाद क्या यह लागत काफी बढ़ जायेगी, जिसके कारण राज्य विद्युत परिषद् पर 300 करोड़ रुपये का भार बढ़ेगा । यदि ऐसा है तो क्या विद्युत सुधार के नाम पर माननीय विद्युत मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, यह गलत धारणा है कि हस्तान्तरण के बाद कीमत बढ़ जायेगी । मान्यवर, निगम भी प्रदेश सरकार के ही अंग हैं और राज्य विद्युत परिषद् भी । तो ऐसा नहीं है कि कोई कीमत बढ़ जायेगी । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् पर भार बढ़ जायेगा । हम तो इन विद्युत गृहों के सुधार के लिये यह कर रहे हैं कि इसको अलग निगम को देकर इसमें प्रोफिटेबिलिटी लायें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मेरे प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो दो विद्युत गृह सुधार के नाम पर निगम को स्थानान्तरित करेंगे तो इनका जो अभी प्रतिदिन का खर्च है 50 लाख मिलियन का है । निगम द्वारा इन विद्युत गृहों को ले लिये जाने पर यह खर्च कितना आयेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जो अभी है वैसा ही रहेगा । इसको कोई बदल नहीं रहे हैं । कर्मचारी उसके वही रहेंगे । हम बस यह चाहते हैं कि जो विद्युत का उत्पादन वो करते हैं वह जो डिस्ट्रीब्यूशन में जा रही है उसका पूरा पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है । हम चाहते हैं कि जितना उत्पादन है उसका उनको सही रिटर्न मिले ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का कहना है कि इसमें खर्च नहीं बढ़ेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि निगम बनाने के बाद यह कितना प्रोफिट ले लेंगे इससे इसका कुछ अन्दाजा है तो बतायें ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

यह प्रश्न तो बड़ा व्यापक है । कितना प्रोफिट हो जायेगा यह तो जितना विद्युत जैनरेट करेंगे उसके हिसाब से मिलेगा । हम यह चाहते हैं कि जितना विद्युत जैनरेट कर रहे हैं उसका रिटर्न उन्हें मिले ।

श्री कौकब हमीद–

अभी तक जितना उत्पादन हो रहा है उसमें आपको लास हो रहा है । निगम बनाने पर प्रोफिट होगा यह आप स्वयं बता रहे हैं । मैं यह जानना चाह रहा था कि आपको कितना प्रोफिट होगा अन्दाजन ?

श्री अध्यक्ष–

यह पूछ लीजिये कि लागत निकल आयेगी कि नहीं चाहे लाभ हो या न हो । मंत्री जी इतना ही बता दें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह उत्पादन केन्द्र लास में जा रहे हैं । सवाल यह है कि जैनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यह तीनों एक ही आदमी के पास है इसलिये इसमें जिम्मेदारी फिक्स नहीं हो पा रही है । जितना विद्युत उत्पादन होकर डिस्ट्रीब्यूशन होना है उसका रिटर्न मिल नहीं पाता है क्योंकि विद्युत चोरी बीच में बहुत ज्यादा है । लाइन लास है इसके मारे अलग-अलग जिम्मेदारी देने के लिये अलग-अलग क्षेत्र में बांट रहे हैं । जब जिम्मेदारी फिक्स हो जायेगी तो इसमें सुधार हो जायेगा । उत्तर प्रदेश का 72% विद्युत उत्पादन इन दो केन्द्रों से होता है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि निगम को सौंप देने में न लागत बढ़ेगी न घटेगी । जितना विद्युत उत्पादन हो रहा है उतना ही होता रहेगा । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि निगम को देने की क्या आवश्यकता है ? आपने कहा कि जैनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग करने के लिये निगम को सौंपा जा रहा है । अभी तक राज्य विद्युत परिषद् में मेम्बर डिस्ट्रीब्यूशन, मेम्बर ट्रांसमिशन और मेम्बर जैनरेशन अलग-अलग हैं । इनको आप वैसे ही अलग करके कह सकते हैं वे पैसों को हस्तान्तरण एक दूसरे को न करें । प्रत्येक की अलग-अलग जिम्मेदारी बना दें तो निगम को देने की आवश्यकता ही नहीं है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, हम रिफार्म बिल इसी सदन में ला रहे हैं और एक-एक चीज सदन के सामने स्पष्ट करेंगे । रिफार्म बिल क्या है ? इसके क्या उद्देश्य हैं और इससे जनता को क्या लाभ मिलेगा यह सब स्पष्ट करने के लिये यह सदन में ला रहे हैं । मंत्रि-मण्डल ने इसको मंजूरी दे दी है । कार्य मंत्रणा में जब आप तय करेंगे दिन भर उस पर डिबेट होगी ।

**प्रदेश में सरसों उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों को उचित मूल्य दिये जाने की जानकारी**

**2—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरसों का उत्पादन बढ़ाने और किसानों को उसका समुचित मूल्य दिये जाने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो गत वर्ष सरसों के तेल में हुई बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए क्या कोई वैकल्पिक उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी हां ।

प्रदेश में सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य योजना के अनुसार 13 लाख हेक्टेयर में तोरिया, राई/सरसों की बुवाई का कार्यक्रम बनाया गया था, जिसके सापेक्ष 11.35 लाख हे० में बुवाई हो चुकी है । कृषकों को उत्पादन बढ़ाने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये निम्न सुविधायें दी गई :—

1—तोरिया, राई/सरसों के प्रमाणित बीजों पर विक्रय स्रोत पर ही रु० 300/- कुन्तल का अनुदान ।

2–तोरिया, राई/सरसों के बीज मिनीकिट का निःशुल्क वितरण ।

3–तोरिया तथा राई/सरसों के फसल पर क्रमशः रु० 500/- एवं रु० 700/- का खंड प्रदर्शन आयोजन हेतु अनुदान ।

4–तोरिया. राई/सरसों की फसल में बीमारियों/कीड़ों (आल्टरनेरिया एवं एफिड) के बचाव हेतु प्रत्येक छिड़काव के लिए रु० 100/- प्रति हे० अधिकतम रु० 200/- तक अनुदान अनुमन्य किया गया है ।

5–स्प्रिंक्लर सेट वितरण पर लघु एवं सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला कृषकों को मूल्य का 50 प्रतिशत तथा सामान्य कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान ।

6–मूल्य का 50% अधिकतम रु० 600/- प्रति कृषि रक्षा उपकरण मानव चालित पर अनुदान ।

7–आई० पी० एम० प्रदर्शन के आयोजन पर रु० 1500/- प्रति हे० का अनुदान ।

8–कृषि यंत्र के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु० 1500/- का अनुदान ।

9–जिप्सम पर रु० 200/- प्रति हेक्टेयर का अनुदान ।

10–बीजोपचार हेतु रसायन के मूल्य का 50% अनुदान ।

इसके फलस्वरूप 13.45 लाख मै० टन तोरिया राई/सरसों का उत्पादन सम्भावित है ।

कृषकों को सरसों का उचित मूल्य दिलाने हेतु रु० 1000.00 प्रति कुन्तल का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में रु० 60.00 अधिक है । किसी कारणवश दामों में कमी होने की सम्भावना में नैफेड द्वारा इसके क्रय की व्यवस्था की गयी है ।

उत्पादन में बढ़ोत्तरी को देखते हुए अब आवश्यकता नहीं रह गई है ।

आवश्यकता नहीं रह गयी है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष कितने हेक्टेयर भूमि में सरसों की बुआई की गई थी उसमें लक्ष्य से कितना अन्तर था ?

श्री हुकुम सिंह–

पिछले वर्ष लक्ष्य 11 लाख हेक्टेयर का था । केवल साढ़े बारह लाख बुआई आ सकी वह भी फसल बरबाद हो गई उसको पलटा दिया गया तो साढ़े चार लाख हेक्टेयर में बुआई हुई ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

जो पिछले वर्ष लक्ष्य उत्पाद था वह कितना हुआ और इस वर्ष के लक्ष्य उत्पादन में कितना अन्तर है ?

श्री हुकुम सिंह–

श्रीमन् इस वर्ष का तो मैंने मूल उत्तर में उत्तर दिया है 13.45 लाख मीट्रिक टन है । गत वर्ष कुल मिलाकर 4.89 लाख ही उत्पादन हुआ था ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

**प्रदेश में कृषकों को उचित दाम पर उर्वरक उपलब्ध कराने एवं उसकी चोरबाजारी/मिलावट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग**

*1.—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में उर्वरकों का कृत्रिम अभाव उत्पन्न किये जाने के फलस्वरूप कृषकों को समुचित दाम पर पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं हो रही है [illegible] है, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उर्वरकों की चोरबाजारी तथा उसमें मिलावट की जा रही है [illegible] तो चोरबाजारी तथा मिलावट करने वालों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि [illegible] तथा और क्या ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं । प्रदेश में रबी, 1998-99 में उर्वरकों का अभाव नहीं रहा है, परन्तु कुछ जनपदों में सहकारिता क्षेत्र में उर्वरकों की कमी रही जिसको पूरा करने के लिये शासन द्वारा यथा समय कार्यवाही की गयी ।

चोरबाजारी तथा मिलावट की शिकायत की समुचित जांच शासन द्वारा निरन्तर कराई जाती है और यह सतत् चलने वाली प्रक्रिया है ।

जी हां । चोरबाजारी एवं मिलावट को रोकने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है :—

1–प्रदेश के समस्त जनपदों में व्यापक रूप से उर्वरक व्यवसाय पर छापों का आयोजन एवं संदिग्ध उर्वरक स्टाक के नमूने ग्रहीत कर प्राथमिकता पर परीक्षण ।

2–उर्वरकों के अवैधानिक संचलन पर नियंत्रण हेतु प्रदेश के सीमान्त जनपदों पर पुलिस कस्टम एवं उर्वरक निरीक्षकों द्वारा कड़ी निगरानी ।

3–उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उर्वरक स्टाक का सत्यापन ।

4–उर्वरकों के त्वरित परीक्षण हेतु किसान सेवा केन्द्रों पर उर्वरक परीक्षण किट की सुविधा ।

5–उर्वरकों के शीर्ष उपयोग के समय उर्वरक व्यवसाय पर प्रदेशव्यापी विशेष छापों का आयोजन ।

6–उर्वरक नमूने अमानक पाये जाने एवं अन्य नियमों के उल्लंघन की दशा में दोषी विक्रेताओं के विरुद्ध त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है "जी हां" ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने "जी नहीं" कहा है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

आगे आपने कहा है । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब शीर्ष उपयोग का समय होता है उस समय कृषकों को सही खाद, सही मानक और सही मूल्य पर और सही मात्रा में उपलब्ध हो यह जिम्मेदारी सरकार की है और उसी के तहत सरकार ने कुछ नियम बना रखे हैं और सरकार ने कहा है कि शीर्ष उपयोग के समय हम अपनी सक्रियता बढ़ाते हैं । लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कुछ घटनायें प्रकाश में आयी हैं तो निश्चित रूप से उन घटनाओं के कारण चोर बाजारी के कारण मानक के अनुसार खाद उपलब्ध न हो पायी जिससे कृषकों को कठिनाई हुई और

सरकार को भी बदनामी झेलनी पड़ी । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आपने एक लगायत 6 तक प्रक्रिया बतलायी है उस समय शीर्ष उपयोग के समय कार्यवाही चली सही दाम पर, सही मानक के अनुसार और सही मात्रा में खाद उपलब्ध हो इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी होगी । तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी, उस सम्बन्ध में क्या परिणाम सामने आये ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जैसा कि मूल उत्तर में कहा गया है कि छापे मारे गये और नमूने लिये गये । मेरे पास पूरा विवरण है अगर आप चाहें तो मैं दे सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यह बहुत ज्यादा हो जायेगा इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1998-99 के दौरान नकली खाद को पकड़ने के लिए, चोर बाजारी को रोकने के लिए कितने छापे मारे गये, कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी और क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, दो हजार दो सौ चौबीस छापे मारे गये और छापे मारने के बाद जो भी आवश्यक कार्यवाही थी वह की गयी ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि छापे मारे गये होंगे और उसके बाद जो चोर बाजारी कर रहे थे और छापे मारने वालों के बीच समझौता हो गया और किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी । अगर कोई कार्यवाही की गयी है तो माननीय मंत्री जी बता दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, टोटल मिलाकर 53 हजार 937 छापे मारे गये और इसमें जो अधोमानक पाये गये वह 903 हैं और जो कार्यवाही की गयी उसमें 493 के लाइसेंस सस्पेंड किये गये जो डीलर थे और 298 के निरस्त कर दिये और 189 के खिलाफ 3/7 का मुकदमा कायम किया गया और 134 में चार आदमियों के खिलाफ एन० एस० ए० की कार्यवाही हुई ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं प्रश्न पूछना चाह रहा था लेकिन माननीय मंत्री जी ने पूरी जानकारी दे दी है । उन्होंने कहा है कि एन० एस० ए० की भी कार्यवाही की गयी है इसलिए अब मेरा कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, किसान जो नकली खाद ले जाता है तो उसको जानकारी कैसे हो कि यह नकली है ? क्या इसकी जानकारी कराने के लिए कोई प्रचार-प्रसार कराया गया ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, उसमें जितने भी कृषि सेवा केन्द्र हैं वहां किट रखी गयी है सरसरी तौर पर उसमें पता लग सकता है इसके अलावा पूरे प्रदेश में 11 लैब हैं मण्डल स्तर पर वहां परीक्षण करा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न है कि किसान को कैसे जानकारी हो कि असली है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 93 हजार 9 सौ 37 छापे मारे गये । मान्यवर, किसान तो बाद में पिक्चर में आयेंगे उससे पहले सरकारी तंत्र लगा रहता है कि जहां-जहां शिकायत आयेगी कि मिलावटी खाद मिल रही है वहां छापे मारे गये और परीक्षण कराया जाए । मान्यवर, किसान तो प्रशिक्षित है नहीं कि वहां उसे टेस्ट कर लेगा अगर उसको जानकारी है तो सरकारी तंत्र उसकी सेवा के लिये उपलब्ध है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, प्रश्न यह है कि किसान को प्रथम दृष्टया कैसे पता चले जैसे पेट्रोल पम्प आदि पर जानकारी उपलब्ध रहती है कि यदि मिलावट है तो धुआं आयेगा इस तरीके से कैसे सूचना द्वारा इसे जानकारी हो इसका कुछ प्रचार-प्रसार कराया ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बराबर इस बात का प्रचार कराया जाता है कि यदि शक है तो परीक्षण करा सकते हैं। रही बात शक पैदा करने की तो आप से माहिर कौन होगा आप पैदा करते रहते हैं ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, सरकारी ढिलाई के कारण जिन किसानों ने नकली खाद डाल दी और फसल चौपट होने जा रही है तो क्या उनको मुआवजा देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल्य प्रश्न से नहीं आता है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, रबी की बुआई का जो पीक आवर था नवम्बर दिसम्बर उसमें डीएपी नहीं मिली, पोटाश बाजार से गायब थी । सहकारी संस्थाओं से आपने कितनी खाद का वितरण कराया है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जी नहीं, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ''जी नहीं'' के साथ कुछ कारण जुड़ा हुआ था कि जो प्राइवेट डीलर्स थे वह कृत्रिम अभाव पैदा कर पाये कि नहीं उसके लिये मैंने 'जी नहीं' कहा, उनके कारण कोई कृत्रिम अभाव नहीं पैदा हुआ । मैं आपको 10-9-98 तक की स्थिति बता देता हूं–

मान्यवर, 96-97 में 22 लाख 47 हजार, 97-98 में 25 लाख 5 हजार और 98-99 में 28 लाख 31 हजार 930 मीट्रिक टन उपलब्ध रहा है । नवम्बर के महीने में जरूर था जिसमें कुछ कमी आयी थी लेकिन दिसम्बर के महीने में उसे कम्पलीट कर लिया इसलिए कोई अभाव नहीं था ।

*2—श्री राम औतार शाक्य–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**प्रदेश में न्याय पंचायतों के गठन की मांग**

*3—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 20 वर्ष से न्याय पंचायतों का गठन नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में न्याय पंचायतों का गठन शीघ्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)–(श्री धर्मपाल सिंह)–

जी हां । प्रदेश में न्याय पंचायत के पंचों का अन्तिम चुनाव वर्ष 1972 में हुआ था और इनका कार्यकाल विभिन्न शासनादेशों एवं अधिसूचनाओं के द्वारा वर्ष 1982 तक बढ़ाया गया था ।

जी हां । न्याय पंचायतों का गठन शीघ्र कराये जाने का उच्च स्तरीय निर्णय लिया जा चुका है ।

न्याय पंचायतों का गठन शीघ्र करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि न्याय पंचायतों का गठन शीघ्र करा दिया जायेगा तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो गठन होगा क्या इसकी कोई सीमा माननीय मंत्री जी निर्धारित कर पायेंगे दो माह, तीन माह या चार माह ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, उच्चस्तरीय निर्णय लिया जा चुका है इसमें शीघ्रता लाई जायेगी फिर भी इसमें तीन माह का समय लग जायेगा ।

श्री यशपाल सिंह चौहान–

मान्यवर, इतने सालों से चुनाव नहीं हुए हैं मैं जानना चाहता हूं कि न्याय पंचायतों के अधिकार बढ़ाने के लिये सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, कल्याण सिंह सरकार पंच परमेश्वर की व्यवस्था में पूरा विश्वास रखती है इसलिये पंचों को पूरे अधिकार, मजिस्ट्रेट का दर्जा दिया जायेगा और हम सरपंच की योग्यता भी तय करने जा रहे हैं ताकि न्याय का सरलीकरण हो सके और न्याय पंचायत के स्तर पर गांव के व्यक्ति को न्याय मिल सके इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, न्याय पंचायतों की व्यवस्था का क्या स्वरूप रहेगा ?

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, 83 जनपदों में से 72 जनपदों का परिसीमन और पुनर्गठन कर लिया गया है । यदि ऐसी कोई दिक्कत है तो माननीय सदस्य मुझे अवगत करा दें ।

श्री बिन्दु लाल–

मान्यवर, पहले लोग नामित किये जाते थे, अब चुनाव होगा तो कैसे यह चुने जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

अधिनियम देख लीजिए, नियमावली देख लीजिए, मालूम हो जायेगा ।

## तारांकित प्रश्न

*1—श्री राम औतार शाक्य–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*2—श्री लालजी वर्मा–

[ आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*3—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[ दि० 11-2-99 को अता० प्र० सं०–114 द्वारा उत्तरित]

**जनपद भदोही, ज्ञानपुर में मुख्यालय के भवन हेतु जमीन अधिग्रहण करने हेतु धन अवमुक्त करने तथा निर्माण कार्य पूरा किये जाने की जानकारी**

*4—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद भदोही मुख्यालय ज्ञानपुर में मुख्यालय भवन निर्माण हेतु जमीन सम्बन्धी अधिग्रहण कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो कितनी भूमि अधिग्रहीत की गयी है ? क्या नये जनपदों के विकास भवन निर्माण हेतु कोई मानक सरकार ने बनाया है ? यदि हां, तो चार वर्ष पूर्व घोषित जनपद भदोही के मुख्यालय भवन निर्माण हेतु कोई धन अवमुक्त किया गया ? यदि हां, तो कितना तथा उसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

जी नहीं ।

जनपद भदोही वर्तमान में सन्त रविदासनगर के मुख्यालय हेतु भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत प्रकरण में कोई धनराशि अभी स्वीकृत नहीं की गई है । भूमि की उपलब्धता व धनराशि की व्यवस्था होने पर निर्माण कार्य सम्भव हो सकेगा । धनावंटन होने एवं भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण होने पर मुख्यालय का निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ हो सकेगी ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि अभी मंत्री जी ने उत्तर में कहा है–जी नहीं । जनपद भदोही वर्तमान में संत रविदासनगर के मुख्यालय हेतु भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है तो मैं जानना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही किस स्तर पर लम्बित है, कितनी भूमि अधिग्रहीत की जा रही है और कब तक यह कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, अभी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू नहीं हुई है । ग्राम सभा की 87 बीघा जमीन प्राप्त हुई है तथा अन्य भूमि की तलाश की जा रही है और सही रेट पर भूमि उपलब्ध होने पर इसमें विचार किया जायेगा तथा इसमें हम शीघ्रता करेंगे ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस निर्माण कार्य में कितना व्यय सम्भावित है और भवन निर्माण की स्वीकृति कब तक मिल जायेगी ? जनहित में यह आवश्यक है इसलिए इसमें मंत्री जी कोई अवधि निश्चित कर दें तो अच्छा होगा ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, इसमें कोई अवधि निश्चित करना सम्भव नहीं है ।

**पूर्वी उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा पशुओं को एक जिले से दूसरे जिले ले जाने पर प्रतिबन्ध न होने के फलस्वरूप चालान करने की रोकथाम की जानकारी**

*5—श्री राजधारी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्दर एक जिले से दूसरे जिले अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक पशुओं को लाने और ले जाने को सरकार ने प्रतिबन्धित कर रखा है ? यदि

नहीं, तो क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा आये दिन गलत ढंग से मवेशी, मवेशी वाहन एवं मवेशी मालिकों का चालान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दुर्व्यवस्था एवं पुलिस उत्पीड़न की रोकथाम के लिये कोई कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राजधारी–

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न में लगभग डेढ़ महीना हो रहा है तो क्या सूचना एकत्रित की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी यह प्रश्न दिये हुए एक महीना से ऊपर हो गया है तो आप इसमें क्या सूचना एकत्र कर रहे हैं ?

श्री राजधारी–

मान्यवर, मैं पशुधन मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर पशुओं को एक छोर से दूसरे छोर तक पशुओं को लाने एवं ले जाने में सरकार ने क्या कोई प्रतिबन्ध कर रखा है, तो इसमें क्या सूचना एकत्र की जा रही है ? बताया जा रहा है कि इस प्रश्न का सम्बन्ध गृह विभाग से है । मान्यवर, मेरे प्रश्न पूछने का मतलब है चूंकि कृषि प्रधान देश है इसलिए गौ सेवा करना किसान अपना धर्म समझता है । मान्यवर, जो कठिनाई आ रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेरठ से बछिया, जर्सी और उन्नतिशील पशुओं को लाने और ले जाने को रोका जाता है और विशेषकर पुलिस के लोग पैसा लेते हैं जिससे गौ सेवा का कार्य प्रभावित होता है । यह चिन्ता का विषय है । इसलिए पशुधन विभाग इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

मान्यवर, कैटिल एनीमल, काउ-स्लाटर एक्ट बने हैं उसमें उत्तर प्रदेश में पशुओं को लाने एवं ले जाने में कोई मनाही नहीं है लेकिन यहां इसमें प्रतिबन्ध है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ? विभाग की इस सम्बन्ध में क्या योजना है ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी प्रश्न को देखें जिसके पहले भाग में लिखा है कि प्रदेश के अन्दर एक जिले से दूसरे जिले तक पशुओं को लाने एवं ले जाने को सरकार ने प्रतिबन्धित कर रखा है ? तो इसमें क्या सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, इसमें कोई प्रतिबन्ध की बात नहीं है बल्कि प्रश्न है पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतिबन्ध है कि नहीं इसका उत्तर आप पहले देते । इसमें क्या सूचना की आवश्यकता है ? यदि आवश्यकता है तो दुखद है ।

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्री राजधारी–

मान्यवर, यह प्रश्न सीधे पशुधन विभाग से सम्बन्धित है जबकि कहा जा रहा है कि इसका सम्बन्ध गृह विभाग से है । मेरा स्पष्ट उत्तर दिलवायें ।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न को मैं स्थगित करता हूं।

**पंचायत विभाग, गोण्डा/बलरामपुर के सुलभ शौचालय एवं पंचायत भवन के कार्यों को पूरा न कराये जाने की जांच की मांग**

*6—श्री उबैदुर्रहमान (अनुपस्थित)–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1995 से 1998 तक पंचायत विभाग गोण्डा/बलरामपुर के विकास खण्डवार ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ शौचालय एवं पंचायत भवन हेतु किस-किस ग्राम पंचायत को कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? क्या यह सही है कि 50 प्रतिशत कार्य अधूरा है ? क्या यह सही है कि धनराशि अवमुक्त होने के बाद कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार निदेशक, पंचायत राज स्तर से जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

विवरण संलग्न है†।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में आलू के भण्डारण हेतु शीतगृहों की स्थापना**

*7—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत वर्ष आलू किसानों की दुर्दशा को दृष्टिगत रखते हुए आलू की आगामी फसल के आने पर शीत गृह आदि की कुछ विशेष व्यवस्था करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह उपाय क्या है ? वह कब से लागू होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

जी हां।

वर्ष 1998-99 में निजी क्षेत्र में 74 नये शीतगृहों की स्थापना हेतु अनुज्ञा प्रदान की गयी और साथ ही 04 पुराने शीतगृहों के विस्तारीकरण की भी अनुज्ञा प्रदान की गयी। इन 78 शीतगृहों की स्थापना/विस्तारीकरण से 6.14 लाख टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजित हो सकेगी। साथ ही कुछ बन्द पड़े शीतगृहों को पुनः संचालित कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। इन प्रयासों से अनुमानित लगभग 5.00 लाख टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध हो सकेगी जिसका इस भण्डारण सत्र (फरवरी, मार्च, 1999) में उपयोग हो सकेगा। साथ ही सुव्यवस्थित भण्डारण हेतु शासनादेश सं०–3532/58–1–98–100(28)/98, दिनांक 16-10-98 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

वर्तमान भण्डारण सत्र (10 मार्च, 1999) से ही लागू होंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† छापा नहीं गया।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि 78 शीतगृहों की स्थापना/विस्तारीकरण की अनुमति दी गई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इनकी स्थापना/विस्तारीकरण की वर्तमान में प्रगति क्या है ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, निश्चित जानकारी के अनुसार 4 शीतगृहों के विस्तारीकरण की व्यवस्था पूरी हो गई है । 74 जो नये शीत गृहों के लाइसेंस जारी किये गये हैं, वह इस वर्ष से भण्डारण करेंगे ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो बंद पड़े शीतगृह हैं, उनको संचालित करने से 5.00 लाख टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता प्राप्त हो जायेगी और मंत्री जी ने यह भी कहा है कि फरवरी-मार्च, 1999 से भण्डारण हो सकेगा । मैं जानना यह चाहता हूं कि आज की तारीख में यह शीतगृह भण्डारण लायक हो गये हैं या नहीं ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, प्रदेश में कुल 1060 पुराने शीतगृह हैं, जिनमें से 834 इस समय चालू हैं । सहकारिता के करीब 26 शीतगृह, जो बन्द पड़े थे, विद्युत के कारण अथवा अन्य कारणों से, उनको चालू कर दिया गया है । वह इस समय भण्डारण के योग्य हैं । आलू का भण्डारण 15 फरवरी से माना जाता है, पिछले वर्ष हमारी भण्डारण क्षमता 43 लाख मीट्रिक टन की थी, इस वर्ष लगभग 49 लाख मीट्रिक टन हो गई है । निजी क्षेत्र के जो शीतगृह बन्द पड़े थे, उनकी भी कठिनाइयां दूर करके उनको चालू कराया गया है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, उत्तर में बताया गया कि 78 शीतगृहों की स्थापना/विस्तारीकरण से 6.14 लाख टन क्षमता की वृद्धि होगी और बंद पड़े शीतगृहों को पुनः संचालित कराने से 5.00 लाख टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता हो जायेगी, इस प्रकार कुल मिलाकर 11.14 लाख टन की वृद्धि होगी । पिछले वर्ष के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया कि 43 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता थी, इस प्रकार कुल मिलाकर 54 लाख मीट्रिक टन की क्षमता हो जानी चाहिए, जबकि मंत्री जी ने इस वर्ष 49 लाख मीट्रिक टन की क्षमता बताई है, मैं जानना चाहता हूं कि अन्तर का कारण क्या है ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, माननीय सदस्य शायद अन्तर को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाये हैं । मान्यवर, इन 78 शीतगृहों की विस्तारीकरण से 6.14 लाख टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजित होगी । बंद पड़े शीतगृहों को संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री राजधारी–

मान्यवर, आलू भण्डारण की समस्या सबसे बड़ी समस्या है इस वर्ष आलू की काफी पैदावार होने जा रही है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्राइवेट सेक्टर में जो शीतगृह हैं, उनको सरकार क्या कोई योजना बनाकर प्रोत्साहित करने के लिये कोई कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि एक वर्ष में 74 शीतगृहों का निर्माण इस सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहां तक शीतगृहों को ऋण देने की बात है, नेशनल हार्टीकल्चर बोर्ड द्वारा ऋण दिया जाता है जो व्यक्ति शीतगृह बनाना चाहते हैं, उनकी पत्रावली मेरे द्वारा जाती है, लेकिन राज्य सरकार की ऋण देने की कोई योजना नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शीतगृहों में आलू भण्डारण के लिये क्या कोई रणनीति आलू व्यवसाइयों के लिये बनायी गयी है, यदि बनायी गयी है, तो वह क्या है ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि किसान के आलू भण्डारण और व्यवसाइयों के लिये आलू भण्डारण की क्या रणनीति तय की गयी है, यह माननीय मंत्री जी बता दें ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 85 प्रतिशत आलू उत्पादकों के लिये, 10 प्रतिशत आलू व्यवसाइयों के लिये और 5 प्रतिशत शीतगृह मालिकों के लिये सुरक्षित किया गया है ।

श्री बनवारी लाल दोहरे–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग के शीतगृहों में जो बिजली के बिल बकाया थे, लेकिन सरकार ने उनको चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है, इसी तरह से क्या निजी क्षेत्र में जिन शीत गृहों के बिजली के बिल बकाया हैं, उनको चलाने की अनुमति प्रदान करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से नहीं आता है ।

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मैं बताना चाहता हूं कि जिन शीत गृह मालिकों का विद्युत बिल बकाया है या अन्य कोई समस्या है, तो मैं बताना चाहता हूं कि 12 लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा चुका है अगर किसी अन्य शीतगृह की समस्या हो तो उसको भी हम हल करने के लिये तैयार हैं ।

श्री जगदीश नारायण राय–

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि किसानों के लिये स्थान सुरक्षित रख दिये गये हैं, तो क्या कोई प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, समस्त जिलाधिकारियों और समस्त जिला उद्यान अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि किसानों के लिये 85 प्रतिशत, व्यवसाइयों के लिये 10 प्रतिशत और शीतगृह मालिकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये गये हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूं कि जो उन्होंने प्रक्रिया बनायी है, लेकिन वास्तविक रूप से किसानों का आलू भण्डारण नहीं किया जाता है, व्यवसायी लोग किसानों की पर्ची बनवा कर अपना आलू भण्डारण करा लेते हैं और किसान रह जाता है । इसको क्या सुनिश्चित कराया जायेगा ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, किसान अपना रजिस्ट्रेशन करायेगा किसान किसी बी० डी० सी० मेम्बर, प्रधान, जिला परिषद् सदस्य, मेम्बर पंचायत, ब्लाक प्रमुख, जिला परिषद् के चेयरमैन या ग्राम विकास अधिकारी तो इनमें से किसी भी से प्रमाणित कराकर जब किसान देता है तो उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है इसके साथ ही साथ पर्ची शीतगृह का मालिक जारी करता है और उसका रिकार्ड रहता है । इसके लिये उद्यान अधिकारी और जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया जिससे कि किसानों के हक की हकतलफी न हो और उसके आलू की भण्डारण की प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि लेखपाल, प्रधान या बी० डी० सी० के मेम्बर या उद्यान अधिकारी से प्रमाणित कराया जा सकता है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि किसान की पहचान किसान बही से क्यों नहीं की जा सकती है ।

दूसरी चीज मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि भण्डारण का समय फरवरी से शुरू होता है लेकिन अब किसान जितने शीतगृह हैं वहां आलू लेकर जाता है तो शीतगृह मालिक यह कहकर किसान को लौटा देते हैं कि अब कोल्डस्टोरेज में जगह नहीं है और वह व्यवसाइयों का और अपना आलू रखते हैं तथा किसान को धता बता कर वापस कर देते हैं तो इसके बारे में मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, वैसे तो जब माननीय मौर्या जी मंत्री थे तो उस समय शीतगृहों के बारे में बड़े अच्छे निर्णय लिये गये । मैं यह कहना चाहता हूं कि 15 फरवरी से आलू भण्डारण का सत्र शुरू हो जाता है और अप्रैल के मध्य तक भण्डारण होता है । अभी तो सत्र प्रारम्भ हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्या जी ने किसान बही के बारे में पूछा था उसका उत्तर दे दें ।

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, किसान बही भी मान्य है । प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक शीतगृह से लिखित सूचना जिला उद्यान अधिकारी और जिलाधिकारी के दफ्तर में जाती है । हमारे उद्यान अधिकारी रजिस्ट्रेशन के समय कोई न कोई कर्मचारी भेजते हैं । अगर इस सम्बन्ध में कोई एक भी शीतगृह की शिकायत हो तो हम उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि कोई लेखपाल, सींचपाल, कानूनगो या बी० डी० सी० का सदस्य तस्दीक कर सकता है । आलू के भण्डारण में व्यापारी अपने को किसान बताकर कहलवा देता है कि वह किसान है । वह आलू रख लेते हैं, किसान जब आलू ले करके जाता है तो शीतगृह के अन्दर स्थान नहीं मिल पाता है । क्या

सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी ? किसान की पहिचान, केवल किसान बही या रेवेन्यू रिकार्ड देखकर ही किसान माना जाये और तभी उसका आलू रखा जाये ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

किसान बही तो उसमें शामिल है ही, रेवेन्यू रिकार्ड आपने देखने की बात कही तो उससे लेंथी हो जायेगा और किसान को परेशानी होगी, काफी समय लगेगा । मैं आश्वासन कर चुका हूं कि एक भी जगह किसी भी माननीय सदस्य को किसी भी शीतगृह की शिकायत हो, हम तुरन्त जांच कराकर कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं । अगर आप किसी भी शीतगृह की शिकायत देंगे तो इसी सदन के अन्दर एक सप्ताह के अन्दर कार्यवाही से अवगत करा दिया जायेगा ।

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

हमारे जनपद फतेहपुर में सहकारी शीतगृह अकबरपुर तथा फर्रुखाबाद में कमालगंज को पिछले वर्ष धनराशि दी गयी थी कोल्ड स्टोरेज को चलाने के लिये, किसानों से अग्रिम भुगतान भी लिया गया और उनका आलू भी सड़ गया, कोल्ड स्टोरेज की दीवाले तोड़कर आलू निकाला गया । इस वर्ष ऐसी व्यवस्था न की जाये जिससे पिछले साल की स्थिति हो । कम से कम किसान का रुपया और आलू तो बच जाये ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है लेकिन इस वर्ष उत्तर प्रदेश में रिकार्ड आलू का उत्पादन हुआ है, जो कोल्ड स्टोरेज बंद हैं, हम उनको चलाने के लिये प्रयास कर रहे हैं । माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज को बन्द रखा जाये, अगर माननीय सदस्य को कोई शिकायत है तो वह लिखकर दे दें हम उसकी जांच कराने के लिये तैयार हैं ।

**जनपद जालौन, उरई में घुन लगा हुआ गेहूं के बीज का पैकेट पकड़े जाने में कार्यवाही की मांग**

*8—श्री श्रीराम पाल–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में स्थित कृषि विभाग के ग्रेडिंग सेंटर पर गत माह नवम्बर, 1998 में किसान यूनियन के नेताओं के साथ जिला कृषि अधिकारी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने छापा मारा था ? यदि हां, तो क्या ग्रेडिंग तथा पैकिंग किया हुआ गेहूं का बीज पैकेट्स में बिना कीटनाशक दवाओं के घुन लगा पकड़ा गया था ? यदि हां, तो क्या बीज प्रभावीकरण के अधिकारियों तथा ग्रेडिंग सेन्टर प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, चूंकि किसान यूनियन के नेताओं तथा दूसरे कृषि अधिकारी और एस० डी० एम० ने मिलकर ग्रेडिंग और पैकिंग सेन्टर पर छापा मारा और गैहूं के ऊपर घुन लगा पकड़ा गया । मान्यवर, मेरे प्रश्न के दूसरे पैरे का उत्तर आया कि जी नहीं, जबकि गेहूं के ऊपर घुन को देखा गया जबकि उत्तर में इस तथ्य को छुपाया गया है । क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह घुन गेहूं से चलकर कहां बैठा, जिस समय नमूने लिये गये, यह नमूना केवल कृषि विभाग के अधिकारी ने नहीं लिया था। पैकेट्स को दिनांक 19-11-98 को सील किया गया और दिनांक 21-11-98 को सील खोलकर ए० डी० एम० फाइनेंस और कृषि अधिकारी जितने भी पैकेट थे उससे नमूना लिया और उसका परीक्षण कराया और परीक्षण कराने के बाद अच्छी क्वालिटी का पाया गया।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, गेहूं का बीज जनपद जालौन और कृषि फार्मों से चल करके बीज प्रमाणीकरण की जो इकाई कानपुर में है वहां भेजा जाता है। प्रक्रिया यह है कि सैम्पल परखी से निकाल कर परीक्षण के लिये भेजा जाए लेकिन अधिकारीगण की मिली भगत से एक किलो बीज छठवा बिनवाकर भेज दिया जाता है और वह पास हो जाता है। ग्रेडिंग पैकिंग की इकाई उरई में है और बीज प्रमाणीकरण की इकाई कानपुर में है तो क्या उरई में बीज प्रमाणीकरण की इकाई स्थापित की जाएगी ?

श्री हुकुम सिंह–

ग्रेडिंग का प्रश्न अलग है और प्रमाणीकरण का प्रश्न अलग है। प्रमाणीकरण के लिये कानपुर में सारी सुविधायें उपलब्ध हैं। इसलिए कानपुर में प्रमाणीकरण किया जाता है। परीक्षण के उपरान्त सारी की सारी पैकिंग ठीक पाई गई।

श्री श्रीराम पाल–

कानपुर में जो बीज का सैम्पल आता है वह छटवाकर और बिनवाकर भेजा जाता है जबकि बाकी बीज खराब होता है इससे उत्पादन प्रभावित होता है तो किसानों के हित को देखते हुए उरई में पृथक से बीज प्रमाणीकरण की इकाई सरकार गठित करने जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

वर्तमान में कोई इस तरह का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**नवसृजित जनपद श्रावस्ती के मुख्यालय हेतु भिनगा के स्थान पर इकौना करने की मांग**

*9—श्री अक्षयवर लाल (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1997 में नवसृजित जनपद श्रावस्ती के मुख्यालय का चयन भिनगा के लिये किया गया था ? यदि हां, तो उसका भौगोलिक एवं प्रशासनिक आधार क्या है ? क्या यह सही है कि जनपद श्रावस्ती के अधिकांश निवासियों द्वारा जनपद मुख्यालय भिनगा के बजाय इकौना करने हेतु धरना, प्रदर्शन एवं मांग निरन्तर की जा रही है तथा इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा भी दिनांक 28-5-97, 8-10-97 तथा 15-4-98 के पत्रों द्वारा सरकार का ध्यान स्थान परिवर्तन हेतु दिलाया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर अब तक क्या-क्या निर्णय लिये गये ? क्या सरकार जिला मुख्यालय इकौना बनाये जाने हेतु निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?*

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

शान्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने, देश विरोधी गतिविधियों को रोकने तथा जनता की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए नया जनपद श्रावस्ती सृजित करते हुए इसका मुख्यालय भिनगा स्थापित किया गया।

जी हां।

पत्र दिनांक 15-4-98 प्राप्त हुआ है ।

राजस्व परिषद् की विशेषज्ञ समिति की आख्या/संस्तुति मांगी गई है जो अभी प्राप्त नहीं हुई है।

राजस्व परिषद् की विशेषज्ञ समिति की आख्या/संस्तुति प्राप्त होने के बाद विचारोपरान्त उचित निर्णय यथा समय लिया जाएगा ।

(श्री अक्षयवर लाल–के अनुपस्थित होने पर)

श्री चन्द्रमणि कान्त सिंह–

मान्यवर, इसमें मेरी रुचि है ।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जनपद श्रावस्ती और उसके मुख्यालय के भिनगा के पक्ष में वहां की अधिकांश जनता ने धरना और प्रदर्शन किया वहां पर जो विभिन्न संघ हैं उन लोगों ने मांग पत्र भी इस सम्बन्ध में दिया । इस सम्बन्ध में मेरा भी पत्र है जो 6 जनवरी 1999 का है वह भी मंत्री जी के संज्ञान में है कि नहीं और निर्णय लेते समय वह इसका ध्यान रखेंगे कि नहीं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद श्रावस्ती के मुख्यालय को बदलने के सम्बन्ध में अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं । परीक्षण करने के बाद ही इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया जायेगा ।

श्री चन्द्रमणि कान्त सिंह–

श्रावस्ती और भिनगा की जनता ने धरना दिया है और प्रदर्शन भी किये हैं । मैंने भी पत्र भेजा है वह पत्र मंत्री जी को प्राप्त हुआ है कि नहीं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

भिनगा से मुख्यालय इकौना बदलने के सम्बन्ध में तीन पत्र प्राप्त हुए हैं । लेटेस्ट पत्र 15-4-98 का है ।

**उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौवध पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के विषय में जानकारी**

*10–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात की तरह क्या उ० प्र० सरकार भी गौवध पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

उ० प्र० गोवध निवारण अधिनियम, 1955 के द्वारा प्रदेश में गोवंशीय पशुओं के वध पर प्रतिबन्ध है परन्तु 15 वर्ष के ऊपर की उम्र के बैल तथा सांड़ को कृषि एवं प्रजनन कार्यों के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किये जाने पर उनका वध एक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जा सकेगा । राज्य सरकार द्वारा गोवंशीय पशुओं पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उ० प्र० गोवध निवारण अधिनियम, 1955 को संशोधित करने के लिये संशोधित अधिनियम, 1992 विधान सभा द्वारा पारित कर, भारत सरकार को महामहिम राष्ट्रपति जी के अनुमोदन हेतु भेजा गया है ।

महामहिम राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त गोवध व गोवंशीय पशुओं पर पूर्ण प्रतिबन्ध लागू किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री यशपाल सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए कहना चाहता हूं कि मेरा जो प्रश्न है वह बहुसंख्यक समाज से जुड़ा हुआ है । मैंने मंत्री जी से पूछा था कि क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात की तरह क्या उ० प्र० सरकार भी गोवध पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? इसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि उ० प्र० गोवध निवारण अधिनियम, 1955 के द्वारा.....

श्री अध्यक्ष–

उत्तर तो आपके पास है ही । इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह चौहान–

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 1992 में विधान सभा द्वारा पारित कर भारत सरकार को महामहिम राष्ट्रपति जी के अनुमोदन हेतु भेजे जाने और आज तक के बीच गोवध को रोकने के लिये सरकार ने क्या सार्थक कदम उठाये हैं ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, 1992 में हमारी ही सरकार ने इसे विधान सभा से पास कराकर भारत सरकार को भेजा था । इसके बाद पुनः जब हमारी सरकार आयी तो माननीय मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने दिनांक 2-9-1998 को माननीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा और इसके अनुश्रवण हेतु अपना एक अधिकारी भी भेजा कि गोवध निवारण अधिनियम को लागू करने हेतु हमें आदेशित किया जाय परन्तु उसमें कुछ कठिनाइयां आयी । माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक गोवध पर जनहित याचिका लगी हुई है। गृह विभाग में यह विचाराधीन है, ज्योंही वहां से अनुमति मिल जायेगी हम पूरी तरह से गोवध पर प्रतिबन्ध लागू कर देंगे । हमारी सरकार ने गो-सेवा आयोग का गठन किया है ।

श्री यशपाल सिंह चौहान–

रामपुर, सिकन्दरामऊ और जलेसर में अवैध तरीके से प्रति दिन हजारों जानवर काटे जाते हैं । तो क्या सरकार ने वहां पर लाइसेन्स दे रखा है इन अवैध तरीके से जानवरों के काटने पर सरकार कोई प्रतिबन्ध लगायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

**प्रदेश में किसानों को डी० ए० पी० खाद उपलब्ध कराये जाने की मांग**

*11—श्री समरपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि पूरे प्रदेश में किसानों को डी० ए० पी० खाद नहीं मिल रही है । यदि हां, तो किसानों को डी० ए० पी० खाद उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

प्रदेश में डी० ए० पी० खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा किसानों को इसकी कोई समस्या नहीं है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, उत्तर में कहा गया है कि प्रदेश में डी० ए० पी० की खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । इससे पहले भी मंत्री जी कह चुके हैं कि डी० ए० पी० पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । जब किसान को इसकी आवश्यकता थी और आलू तथा गेहूं की जब बुवाई हो रही थी तो उस समय डी० ए० पी०

की खाद को उपलब्ध नहीं करा पाये थे तो क्या सरकार ने जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराई किसी रणनीति के तहत या सरकार उपलब्ध कराने में असफल रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

सरकार ने उपलब्ध भी कराई और सफल भी रही है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, नवम्बर महीने में किसानों की आलू की बुवाई चल रही थी और उन्हें डी० ए० पी० नहीं मिली थी । श्रीमन्, आप स्वयं जानते हैं कि सरकार ने स्वीकार किया था कि कमी है और अब कह रहे हैं कि उपलब्ध कराई । उपलब्ध कराई भी तो वह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराई जहां पर 10 क्विंटल की जरूरत है वहां पर 10 किलो उपलब्ध कराई तो इसको उपलब्धता नहीं कहेंगे । यह सरकार खाद होते हुए भी उपलब्ध नहीं करा रही है ।

प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कहा कि डी० ए० पी० है और बन्दरगाहों में पड़ी है । जहां पर खाद की आवश्यकता है वहां उपलब्ध नहीं हो रही है भले ही आपके गोदामों में पड़ी हो या बन्दरगाहों में हो । आवश्यकता पर किसानों को खाद उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है और यह अपनी जिम्मेदारी का दायित्व क्यों नहीं निभा रहे हैं । क्या भविष्य में खाद उपलब्ध कराने के लिये कुछ प्रबन्ध करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

जो प्रश्न है वह यह है कि किसानों को डी० ए० पी० खाद नहीं मिल रही है । इस समय हमारे पास 73,795 मीट्रिक टन डी० ए० पी० उपलब्ध है जबकि गत वर्ष 97-98 में इसी महीने में 59,800 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध थी । इससे स्पष्ट है कि हमारे पास 60 हजार मीट्रिक टन अधिक उपलब्ध है । मैं कैसे कह दूं कि कमी है ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, यह प्रश्न किया गया है कि दिनांक 16-12-98 को जिस समय कि खाद उपलब्ध नहीं थी । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस समय खाद की आवश्यकता थी किसानों को उस समय उनको खाद उपलब्ध न होने से जो नुकसान हुआ है क्या सरकार उन किसानों को मुआवजा देगी कि नहीं ?

श्री हुकुम सिंह–

दिसम्बर के महीने में डी० ए० पी० की उपलब्धता की जो स्थिति थी कहिए तो कम्पनीवाइज बता दूं । टोटल उपलब्धता 1,27,396 मीट्रिक टन थी जब कि गत वर्ष 39,387 मीट्रिक टन थी ।

श्री कौकब हमीद–

जो उपलब्ध रही होगी मान्यवर, वह इनके स्टोर में रही होगी या बन्दरगाह में उपलब्ध रही होगी । किसानों को मिल नहीं पाई । सवाल यह है कि वह खेती के समय खेत में नहीं डाल पाया उसको नुकसान हुआ ।

श्री अध्यक्ष–

गोदामों में रही होगी, किसानों तक नहीं पहुंची माननीय सदस्य का यह कहना है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, किसानों तक पहुंची है उसका इस बात से पता लगता है कि आप गांव में जाइये रिकार्ड उत्पादन दलहन, सरसों और आलू का हुआ है । गांवों में जाकर देखें चारों तरफ रौनक हो रही है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इतना गम्भीर मसला है । अक्टूबर, नवम्बर में बुआई का समय होता है उस समय खाद उपलब्ध नहीं कराई गई । यह सरकार किसान विरोधी है इसलिये हम बी० एस० पी० के लोग इनकी गलत बयानी और गलत नीति का विरोध करते हैं और सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन त्यागकर चले गये)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं बड़े कृपापूर्वक आपके माध्यम से खाद्य मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । इसी प्रश्न के सन्दर्भ में माननीय खाद्य मंत्री जी ने कुछ दिन पहले जवाब दिया था और यह स्वीकार किया था कि नवम्बर, दिसम्बर में बुआई के समय में खाद उपलब्ध नहीं थी बाद में उपलब्ध हुई है । मैं माननीय मंत्री जी से पहला प्रश्न तो यह जानना चाहता हूं कि क्या वो उस समय सच बोल रहे थे जब उन्होंने वह उत्तर दिया था या आज जब इस समय यह उत्तर दे रहे हैं, इस समय सच बोल रहे हैं ? मान्यवर, दो में से एक बात सच नहीं है । आप भी स्वीकार करेंगे क्योंकि उस समय आप पीठ पर थे ।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि नवम्बर में आवश्यकता कितनी थी उपलब्ध कितनी हुई । दिसम्बर में आवश्यकता कितनी थी और उपलब्ध कितनी हुई । जनवरी में आवश्यकता कितनी थी और उपलब्ध कितनी कराई गई माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे । जहां तक माननीय मंत्री जी खेतों की बात कर रहे हैं । यहां बैठे हुए लोग गांवों से ही चुनकर आये हैं । सबने खेतों को देखा है । यह बात अलग है कि सावन के अन्धे को हरा ही हरा दिखाई पड़ता है ।

श्री हुकुम सिंह–

सावन के अन्धे को हरा भरा दिखाई देता है लेकिन भादो के अंधे को सूखा-सूखा दिखाई पड़ता है । यह बात अलग है कि कौन कब अन्धा हुआ ?

श्री प्रमोद कुमार–

भादो में पानी ज्यादा बरसता है । उस समय हरियाली ज्यादा होती है ।

श्री अध्यक्ष–

मौसम की साइकिल बदल रही है ।

श्री हुकुम सिंह–

खाद मिली या नहीं मैं तीन महीने का बताता हूं यह भी बता देता हूं कैसे मिली ? मैंने पहले भी कहा यह कमी अक्टूबर के महीने में थी यह सही है कमी थी । इसके लिये योजना बनाई गई योजना इसलिए बनाई गई कि हमेशा दिसम्बर के महीने में बुआई शुरू होती है । पश्चिम में भी नवम्बर में बुआई शुरू हो गई कारण यही था कि पहले वर्षा शुरू हो गई यह इंतजार नहीं रहा कि बिजली आयेगी पलेवा होगा सिंचाई होगी, इसकी आवश्यकता ही नहीं रही जब आलू के दाम ऊंचे चले गये तो आलू की बुआई शुरू कर दी गई । 2 लाख 80 हजार मीट्रिक टन उस समय उपलब्ध थी । 60 हजार मीट्रिक टन कम थी, हर दिन की अलग-अलग आवश्यकता होती है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष–

समरपाल जी मूल प्रश्नकर्ता हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैंने पूछा अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर में क्या उपलब्ध थी ?

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न दूसरा है।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×] मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री प्रमोद कुमार ने सदन का बहिष्कार किया।)

श्री अध्यक्ष–

अकेले न करिए।

(हंसी)

श्री समरपाल सिंह–

मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उससे स्पष्ट है खाद की आवश्यकता जो अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर के महीने में थी वह आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध नहीं थी। खाद का भण्डारण हो और किसानों को खाद समय से उपलब्ध न हो तो यह किसान विरोधी सरकार है सरकार सदन के अन्दर गलत बयानी करके सदन को गुमराह कर रही है इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री समरपाल सिंह ने सदन का त्याग किया)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने किसानों को खाद उपलब्ध नहीं कराई इसलिए सरकार की अकर्मण्यता के खिलाफ मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव ने सदन का त्याग किया)

**प्रदेश के गांवों में बहुआयामी उद्देश्यों के लिये बने तालाबों को समाप्त न किये जाने की मांग**

*12—प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के गांवों में बहुआयामी उद्देश्यों के लिये बने तालाबों को समाप्त किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? इन तालाबों को बचाने की सरकार की क्या कार्य योजना है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

मान्यवर, इन्होंने प्रथम भाग का उत्तर दिया है "जी नहीं" और दूसरे भाग में मैं यह जानना चाहता हूं कि इन तालाबों को बचाने के लिये क्या कोई कार्य योजना सरकार की है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, तालाबों को समाप्त करने की बात कही गयी है तो तालाबों को समाप्त नहीं किया जा रहा है जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है और हमने उसको आकर्षक बनाने के लिये पेड़

---

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लगाने के लिये, घेरा बनाने के लिये कार्यवाही की है । वर्ष 98 में जी० ओ० जारी हो चुका है और उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

मान्यवर, आज गांवों में अतिक्रमण हो रहा है, अवैध पट्टे कट रहे हैं । यदि तालाब कम हुए तो जल स्तर नीचे गिर जायेगा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, हमने उत्तर प्रदेश में कड़े निर्देश दिये हैं अब किसी भी तालाब का आवंटन नहीं किया जा रहा है । यदि पीछे कोई आवंटन किया गया है तो उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, जिनके पट्टे कट गये हैं और जहां तालाब थे वह बन्द हो गये हैं, तो क्या सरकार उनको खुलवायेगी, उनके पट्टे निरस्त करने का काम करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, जो तालाब हमारे रिकार्ड में दर्ज हैं, अगर उनका अवैध कब्जा किया गया है तो उसको निरस्त किया जा रहा है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है घेरा डालने, पेड़ लगाने और आकर्षक बनाने की कार्यवाही की जा रही है ।

*13—श्री लाखीराम जोशी–

[ 3सरे बुधवार में तारांकित प्रश्न सं० 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

**शीतगृह के लाइसेंस अधिकारियों की शक्तियां जिलाधिकारी को दिये जाने एवं उक्त शक्तियां जिला उद्यान अधिकारियों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी**

*14—डा० मुस्लिम–

क्या सरकार को जानकारी है कि उ० प्र० कोल्ड स्टोरेज अधिनियम, 1976 की धारा 2 (छ) के अनुसार लाइसेंस अधिकारी शीतगृहों की शक्तियां जिलाधिकारियों को दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त अधिकार जिला उद्यान अधिकारियों को हस्तान्तरित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 के प्राविधानों को जनहित में सुचारु रूप से कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज अधिनियम, 1976 की धारा 2(छ) के अनुसार लाइसेंसिंग अधिकारी शीतगृह की कतिपय शक्तियां जिलाधिकारी को दी गयी हैं ।

जी नहीं ।

आवश्यकता नहीं है ।

*15—श्री महेन्द्र कुमार–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ]

**प्रदेश में आलू एवं प्याज के भण्डारण मूल्य का निर्धारण की योजना के क्रियान्वयन की मांग**

*16—श्री केशो मेहरा–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आलू एवं प्याज के भण्डारण का मूल्य निश्चित सीमा में रहे, इसके निर्धारण हेतु कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जी हां ।

आलू के शीतगृह भण्डारण का मूल्य (प्रभार) निश्चित सीमा में रखने के लिये शासन द्वारा आगामी भण्डारण सत्र वर्ष 1999 के लिए रु० 70/- प्रति कुन्तल 60,000 कुन्तल से कम क्षमता के शीतगृहों के और रु० 65/- 60,000 कुन्तल क्षमता के तथा इससे अधिक क्षमता के शीतगृहों के लिये परामर्शी भण्डारण प्रभार घोषित किया जा चुका है जो वर्तमान भण्डारण सत्र (फरवरी, 1999) से लागू होंगे । प्रदेश में प्याज का भण्डारण शीतगृहों में नगण्य होता है अतएव उसके लिये कोई भण्डारण प्रभार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद उन्नाव के पुरवा के ग्रामों में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों के सम्बन्ध में दिये गये ज्ञापन पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

*17—श्री उदय राज यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र पुरवा, जनपद उन्नाव के ग्राम जबरेला, उतरौला, पश्चिम ग्राम आदि लगभग 22 ग्रामों में दिनांक 7-1-99 को ओलावृष्टि के कारण फसलें पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी हैं तथा ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 9-1-99 को मौरावां–मोहनलालगंज मार्ग को जाम कर एस० डी० एम० पुरवा को ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो दिये गये ज्ञापन पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

विधान सभा क्षेत्र पुरवा में दिनांक 7-1-99 को हुई ओलावृष्टि से 52 ग्राम प्रभावित हुए । जांचोपरान्त उक्त प्रभावित ग्रामों की फसलें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई ।

जी हां ।

ज्ञापन में उल्लिखित बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :—

1—ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों में कम से कम 10 प्रतिशत व अधिक से अधिक 30 प्रतिशत की क्षति आंकी गयी है ।

प्राइमरी पाठशालाओं में गेहूं का वितरण किया गया है । गेहूं का वितरण न करने वाले तथा समय से गेहूं की उठान न करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध नियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की गयी ।

2—ज्ञापन के बिन्दु सं०–2 में उल्लिखित इन्दिरा आवास के आवंटन में पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया गया है । इस संदर्भ में शासनादेश सं०–3087/38-5-98–654/98, ग्राम्य विकास अनु०–5, लखनऊ दिनांक 27 मई, 98 के परिपालन में पुरवा विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्डों में मानक के अनुसार इन्दिरा आवासों का आवंटन किया गया है ।

3—ज्ञापन के बिन्दु सं०–3 के संदर्भ में वर्ष 98 में सई नदी में आई बाढ़ से प्रभावित ग्रामों के पात्र बाढ़ पीडितों को गेहूं बीज का वितरण किया गया है ।

**जनपद फैजाबाद, सहकारी शीतगृह खिरौनी, सुचितागंज में नष्ट हुए किसानों के आलू की क्षतिपूर्ति की मांग**

*18—श्री अवधेश प्रसाद–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद स्थित सहकारी शीतगृह खिरौनी, सुचितागंज में वर्ष 1996-97 में आलू किसानों का लगभग 80- हजार बोरा आलू

सड़कर बरबाद हो गया था ? क्या आलू कृषकों को उसका मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? किसानों को उनकी क्षतिपूर्ति कब तक करा दी जायेगी ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

इस शीतगृह में मात्र 14740.00 कुन्तल आलू सड़ा था ।

जी नहीं ।

अभी तक कृषकों को देय प्रतिकर सक्षम अधिकारी द्वारा विधि अनुसार घोषित नहीं किया गया है ।

प्रतिकर घोषित होने के उपरान्त विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी ।

**प्रदेश में अग्नि काण्ड से नष्ट हुई गेहूं और गन्ने की फसल की क्षतिपूर्ति कराने की मांग**

*19—श्री राम ललित चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि अग्नि काण्ड द्वारा गेहूं और गन्ने की फसल के नष्ट होने पर उसकी क्षतिपूर्ति के लिये सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्षतिपूर्ति किस हद तक दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गेहूं, खलिहान और गन्ने के खेत में आग लग जाने के बाद क्षतिपूर्ति के लिये क्या कोई व्यवस्था यह सरकार करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, राजस्व विभाग से इसमें कोई व्यवस्था नहीं होती है । मान्यवर, इसमें किसी विभाग की गड़बड़ी के कारण आग लग सकती है ।

श्री राम ललित चौधरी–

यदि किन्हीं कारणों से आग लगती है, गन्ने के खेत में, गेहूं के खेत में तो ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

मान्यवर, ऐसी कोई व्यवस्था विचाराधीन नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का सामूहिक उत्तर सुनकर यह अवगत हुआ है कि यह सरकार पीड़ित किसानों की उपेक्षा करने के लिये कमर कस चुकी है । इसकी नीतियां किसान विरोधी हैं और यह किसानों को किसी भी हालत में न्याय नहीं देना चाहती है इसलिए मैं और मेरा दल इनकी इस नीति के विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

अब बढ़ाया गया प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

---

नोट :–नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या–19 के उपरान्त बढ़ाया गया प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## अतारांकित प्रश्न

### जनपद बांदा, विकास खण्ड जसपुरा के जलागम क्षेत्र गाजीपुर में कराये गये कार्य की जांच

1—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-6-1998 जो जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा की जलागम क्षेत्र गाजीपुर में कराये गये कार्य की जांच विषयक था मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर उप निदेशक बांदा मण्डल से जांच करायी गयी । जांच में सभी शिकायतें निराधार पायी गयीं ।

इसके अतिरिक्त प्रश्नकर्ता द्वारा भी शिकायत के परिप्रेक्ष्य में स्थलीय सत्यापन किया गया और अपने पत्र दिनांक 15-1-1999 द्वारा कार्यों के सम्बन्ध में अब कोई शिकायत न होने एवं कार्य को उपयोगी बताते हुए शिकायती पत्र को निरस्त करने की अपेक्षा की है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

2—श्री लालजी वर्मा–

[ 2सरे मंगलवार के अता० प्र० सं०–183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

### जनपद चन्दौली, मुगलसराय में मण्डी समिति द्वारा सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

3—श्री छब्बू पटेल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र, जनपद चन्दौली के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में मण्डी समिति द्वारा बनाई जा रही सड़कों का निर्माण चकिया रोड से भटरिया सम्पर्क मार्ग, धपरी माइनर से रोहड़ा धपड़ी माइनर से धुरो नरायनपुर मेन कैनाल से सुरौली सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है ? क्या मंत्री जी इन सड़कों का कार्य पूर्ण कराते हुए विलम्ब का कारण बतायेंगे ? क्या इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए सड़क निर्माण का कार्य करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

इन सड़कों का निर्माण कार्य चयन अनुबन्ध के अन्तर्गत है । चयन अनुबन्ध के कार्यों को पूर्ण करने हेतु मण्डी परिषद् के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 10-12-98 में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत इन सम्पर्क मार्गों का कार्य यथास्थिति के आधार पर अन्तिम किया जाना है तथा शेष बचे कार्य को नियमित टेण्डर की प्रक्रिया के अन्तर्गत पूर्ण किया जायेगा तदनुसार कार्यवाही प्रचलित है ।

विलम्ब नीति निर्धारण के कारण हुआ है । इसमें किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी का दोष नहीं है अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है । इन सड़कों का निर्माण कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 10-12-98 के निर्णय के अन्तर्गत पूर्ण किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद शाहजहांपुर, क्षेत्र पंचायत तिलहर द्वारा जनपद के ब्लाकों की योजनाओं में कृषकों को दी जाने वाली धनराशि में अनियमितता की जांच**

4—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्र पंचायत तिलहर, जनपद–शाहजहांपुर ने जनपद के सभी ब्लाकों में चल रहे आई० सी०डी०बी०/आई० पी० एम० योजना में कृषकों को दी जाने वाली धनराशि का वितरण उप कृषि निदेशक (प्रसार) शाहजहांपुर द्वारा न किये जाने तथा उपरोक्त योजना में व्यापक भ्रष्टाचार तथा धन गबन की जांच के सम्बन्ध में ब्लाक प्रमुख तिलहर ने दिनांक 27-7-98 या इसके आस-पास रजिस्टर्ड पत्र जिला कृषि अधिकारी, शाहजहांपुर, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर तथा संयुक्त कृषि निदेशक बरेली को दिये थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार उपरोक्त पत्रों की जांच अपने स्तर से कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

ब्लाक प्रमुख क्षेत्र पंचायत तिलहर के पत्र दिनांक 3-7-98 प्राप्त हुआ ।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने जिला विकास अधिकारी, शाहजहांपुर को तथा अपर कृषि निदेशक (सा०) उ० प्र० कृषि भवन, लखनऊ ने उप निदेशक (कृषि रक्षा), बरेली मण्डल, बरेली को शिकायती पत्र की जांच सौंप दी है ।

जांच अधिकारी से जांच आख्या प्राप्त होने पर यदि अग्रेतर जांच की आवश्यकता होगी तो शासन स्तर से जांच कराई जायेगी तथा दोषी के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

**जिला टिहरी गढ़वाल, चम्बा–मसूरी फल पट्टी योजना के अन्तर्गत आदर्श उद्यानों पर खर्च धनराशि/आवंटन की जानकारी**

5—श्री लाखीराम जोशी–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल में चम्बा–मसूरी फल पट्टी योजना के अन्तर्गत कितने आदर्श उद्यानों के रख-रखाव पर विभाग द्वारा भारी धनराशि खर्च की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त आदर्श उद्यानों को इच्छुक उद्यानपतियों को आवंटित किया जायेगा ? यदि हां, तो किन शर्तों पर और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

27 आदर्श उद्यानों का आवंटन लम्बित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त आदर्श उद्यानों को इच्छुक व्यक्तियों को आवंटित किया जायेगा । शर्तों का निर्धारित होने के उपरान्त अतिशीघ्र आवंटित किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद देवरिया, देवरिया स्टेडियम में स्वीमिंग पुल के निर्माण/गायब हुए सामान के दोषी अधिकारी के विरुद्ध जांच की मांग**

6—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या खेलकूद मंत्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद में तैराकी में निपुण छात्रों को प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु देवरिया स्टेडियम में स्वीमिंग पुल का निर्माण लगभग 25 लाख रुपये की लागत से किया गया था ? क्या यह सत्य है कि स्वीमिंग पुल का अधिकतर सामान गायब कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या मंत्री जी जांच कराकर स्वीमिंग पुल का संचालन प्रारम्भ करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

जनपद देवरिया में तरणताल का निर्माण रु० 28.11 लाख की लागत से किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जांच का प्रश्न नहीं उठता । तरणताल का संचालन स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका । स्टाफ की स्वीकृति होते ही तरणताल प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

7—श्री बाबू राम यादव–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

8—श्री राजधारी–

[ पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

**जनपद बलरामपुर, तहसील उतरौला में राप्ती नदी की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को राहत सामग्री/आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग**

9—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में राप्ती नदी के किनारे बसे गांवों पिपराघाट, सुरहियादेवर, बौडिहार, परसौना आदि गांवों को नदी की कटान से भारी क्षति हुई है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इन गांवों में क्या-क्या राहत सामग्री/आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार उपरोक्त के कटान से हुई तबाही एवं बाढ़ से हुई भारी क्षति की पूर्ति कराने की किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ? क्या इस प्रकरण में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के आदेश मंत्री जी देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला वर्ष 1998 में राप्ती नदी की बाढ़ से बौड़िहार, परसौना, सुरहियादेवर आदि ग्रामों में खरीफ की फसल की क्षति हुई है । पिपराघाट कोई ग्राम नहीं है, बल्कि नाव लगाने का स्थान है ।

राहत सामग्री के रूप में उपरोक्त ग्रामों में निम्नलिखित राहत वितरित की गई है :—

(अ) सामग्री

1—सुरहियादेवर–चावल–4.75 कु०, नमक 0.95 कु०, माचिस 95 पीस, मिट्टी का तेल 190 लीटर ।

2—बौड़िहार–चावल 37.25 कु०, नमक–7.45 कु०, माचिस 745 पीस, मिट्टी का तेल 1490 लीटर ।

3—परसौना–चावल 48 कु०, नमक 9.60 कु०, माचिस 960 पीस, मिट्टी का तेल 1920 लीटर ।

(ब) आर्थिक सहायता

1—सुरहियादेवर–9 व्यक्तियों में रु० 8600/- का वितरण कराया गया ।

2—बौड़िहार–89 व्यक्तियों में रु० 71000/- का वितरण कराया गया ।

3—परसौना–52 व्यक्तियों में रु० 37200/- का वितरण कराया गया ।

राहत स्वरूप बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की भू-राजस्व माफ किया गया है तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों को गृह अनुदान प्रदान किया गया है । क्षतिपूर्ति की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

शिथिलता बरते जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है ।

**जनपद आजमगढ़, तहसील फूलपुर, ग्राम सभा खण्डौरा में वर्ष 1984 में बिना जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति से भूमि के पट्टे आवंटित कराये जाने पर आपत्ति**

10—श्री राजेन्द्र यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ के ग्राम सभा खण्डौरा, तहसील फूलपुर के अन्तर्गत वर्ष 1984 में ग्राम प्रधान द्वारा अपने सगे भाई व ग्राम सभा के सदस्यों के नाम भूमि आवंटित कर बिना जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के पट्टे किये गये हैं ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं ? क्या मंत्री जी दोषी व्यक्तियों को दण्डित करते हुए अनियमित ढंग से किये गये पट्टे निरस्त करेंगे ? यदि नहीं, तो

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

इसके लिये श्री सियाराम सिंह, तत्कालीन लेखपाल दोषी हैं जिसके निलम्बन की कार्यवाही की जा रही है । अभिलेखों में फर्जी प्रविष्टि परगनाधिकारी फूलपुर के आदेश दिनांक 1-2-1999 द्वारा निरस्त कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

11—श्री हरदेव सिंह–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ]

**जनपद प्रतापगढ़, तहसील पट्टी के नये भवन को निर्माण कराने की मांग**

12—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के नये भवन निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त भवन निर्माण की स्वीकृति तथा भवन का निर्माण कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री राम सरन पुत्र श्री राजाराम ग्राम छटीकरा के खाद के गड्ढों से अवैध कब्जा हटवाने सम्बन्धी विधायक कोष्ठक के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

13—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम सरन पुत्र श्री राजा राम ग्राम छटीकरा के खाद के गड्ढों से अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/एम–5–12876/मथुरा/98, दिनांक 4-7-98 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

ग्राम छटीकरा के खसरा सं०–304 व 305 जो खाद के गड्ढे राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं । इन गड्ढों पर कैलाश एवं राधाबल्लभ निवासी छटीकरा द्वारा अवैध कब्जा दिया गया था । इनको बेदखल करने हेतु धारा 122 बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है । तहसीलदार के न्यायालय में वाद सं०–23/46 सरकार बनाम कैलाश तथा वाद सं०–24/47 सरकार बनाम राधाबल्लभ योजित किये गये हैं । इसी अवैध कब्जे के सम्बन्ध में सिविल जज (सी० डि०) मथुरा के यहां भी वाद चल रहा है । प्रश्नगत सम्पत्ति उक्त राम सरन की नहीं है बल्कि गांव सभा की है ।

**जनपद आजमगढ़, निजामाबाद कस्बे के बर्तन उद्योग में लगे प्रजापति परिवारों को भू-खण्ड आवंटित किये जाने तथा उन पर मुख्यालय स्थापित करने सम्बन्धी जानकारी**

14—श्री राजधारी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि आजमगढ़ के निजामाबाद कस्बे के बर्तन उद्योग में लगे प्रजापति परिवारों को 1985 में तत्कालीन सरकार द्वारा कुछ भू-खण्ड आवंटित किये गये थे ? यदि हां,

तो क्या वर्तमान सरकार उक्त आवंटित भू-खण्डों पर नवसृजित तहसील मुख्यालय स्थापित कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

**श्री गणेश राजभर, विधायक द्वारा भेजे गये पत्र में उल्लिखित जांच के सम्बन्ध में जानकारी**

15—श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक माननीय श्री गणेश राजभर का पत्र संख्या क–2 नम्बर 08781 दिनांक 19-9-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? उक्त पत्र में उल्लिखित जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा करवाई जा रही है तथा क्या जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बलरामपुर, उतरौला में आयी बाढ़ से प्रभावित फसलों की क्षतिपूर्ति कराने की मांग**

16—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में वर्ष 1998 में आयी बाढ़ से गन्ना, धान खरीफ की फसलों का कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है तथा इसकी क्षतिपूर्ति हेतु सरकार किसानों को क्या-क्या सुविधा उपलब्ध करा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

तहसील उतरौला, जनपद बलरामपुर में वर्ष 1998 में आई बाढ़ से गन्ना की फसल को 60 प्रतिशत तथा धान की फसल को 80 प्रतिशत क्षति हुई थी । बाढ़/वर्षा से हुई कृषि फसलों की क्षतिपूर्ति दैवी आपदा राहत निधि से दिये जाने का प्राविधान नहीं है । बाढ़/वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में लगान माफी के आदेश राजस्व परिषद् उ० प्र० को दिये गये हैं । तहसील उतरौला के किसानों को रबी फसल बुवाई हेतु निःशुल्क गेहूं बीज 3699.20 कुन्तल वितरित कराया गया है ।

17—श्री उबैदुर्रहमान–

[ दिनांक 11-2-99 को अता० प्र० सं० 136 द्वारा उत्तरित ]

18—श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ]

**लखनऊ के स्पोर्ट्स कालेज में माननीय विधायकों द्वारा भेजे गये शिकायती पत्रों की जांच/दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग**

19—श्री लाल सिंह वर्मा–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के सम्बन्ध में वर्ष 1997-98 व 1998-99 में माननीय विधायकों के कितने शिकायती पत्र प्राप्त हुए ? क्या सरकार द्वारा

उन शिकायती पत्रों की जांच पूर्ण करा ली गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जी हां ।

कुल 6 पत्र प्राप्त हुए थे ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच प्रचलित है ।

**जनपद प्रतापगढ़ में ब्लाकवार डी० ए० पी० खाद की उपलब्धता का ब्योरा**

20—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाकवार डी० ए० पी० खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने का विवरण माह अक्टूबर, 1998 से अब तक क्या है ? गत वर्ष की अपेक्षा कितनी अधिक खाद उपलब्ध करायी गयी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जनपद प्रतापगढ़ में ब्लाकवार डी० ए० पी० की उपलब्धता/लक्ष्य का विवरण निम्नवत् है :–

| क्र०सं० | नाम ब्लाक | अक्टूबर, 98 | | नवम्बर, 98 | | दिसम्बर, 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपल० | लक्ष्य | उपल० | लक्ष्य | उपल० |
| 1 | मगरौरा | 268 | 336 | 670 | 676 | 670 | 806 |
| 2 | आसपुर देवसरा | 239 | 377 | 597 | 433 | 597 | 483 |
| 3 | पट्टी | 243 | 352 | 608 | 485 | 608 | 535 |
| 4 | शिवगढ़ | 197 | 302 | 493 | 447 | 493 | 459 |
| 5 | गौरा | 180 | 298 | 449 | 286 | 449 | 286 |
| 6 | मांधाता | 267 | 290 | 668 | 611 | 568 | 711 |
| 7 | सदर | 196 | 340 | 491 | 687 | 491 | 699 |
| 8 | संडवा चन्द्रिका | 184 | 185 | 460 | 335 | 460 | 335 |
| 9 | सांगीपुर | 146 | 210 | 366 | 285 | 366 | 285 |
| 10 | रामपुर-खास | 318 | 352 | 795 | 753 | 795 | 815 |
| 11 | लक्ष्मणपुर | 142 | 222 | 355 | 295 | 355 | 295 |
| 12 | बाबागंज | 247 | 310 | 618 | 356 | 618 | 371 |
| 13 | कुन्डा | 342 | 517 | 854 | 812 | 854 | 908 |
| 14 | बिहार | 240 | 324 | 598 | 548 | 598 | 556 |
| 15 | कालाकांकर | 191 | 241 | 478 | 374 | 478 | 374 |
| | योग | 3400 | 4656 | 8500 | 7383 | 8500 | 7918 |

गत वर्ष की तुलना में डी० ए० पी० खाद की उपलब्धता इस वर्ष कम रही है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

**जनपद लखनऊ, बादशाहबाग पशु जैविक औषधि संस्थान द्वारा वर्ष 1998-99 में प्राइवेट फर्मों से वैक्सीन क्रय के औचित्य के सम्बन्ध में जानकारी**

21—श्री सन्त–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाह बाग, लखनऊ पशुओं के टीकाकरण हेतु वैक्सीन उत्पादन का मुख्य केन्द्र है। यदि हां, तो वर्ष 1998-99 में कितनी वैक्सीन उक्त संस्थान द्वारा प्राइवेट फर्मों से क्रय की गयी है ? कितने पशु चिकित्सक संस्थान में तैनात हैं ? उनके द्वारा वैक्सीन उत्पादन न कर अन्य फर्मों से वैक्सीन क्रय करवाना कहां तक औचित्यपूर्ण है ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ?- क्या सरकार उनके विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

जी हां।

एफ० एम० डी०–3.70 लाख खुराक (संस्थान द्वारा नहीं बनाई जाती) एच० एस०–16.65 लाख खुराक।

25

वैक्सीन का उत्पादन क्षमता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित कर किया जाता है। आवश्यकता की पूर्ति जब संस्थान से नहीं हो पाती है तब बाहर से क्रय किया जाता है।

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

22—श्री अफजाल अहमद–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

23—श्री हरदेव सिंह –

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ]

24–26—श्री सीताराम निषाद–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये ]

27—श्री रमेश राही–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**जनपद मथुरा, श्री राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम सोन को सचिव, मथुरा–वृन्दावन प्राधिकरण, मथुरा से रु० 1,02,100/- की धनराशि भू-राजस्व के रूप में भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी**

28—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के श्री राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम सोन को भू-राजस्व के रूप में रुपया 1,02,100/- की राशि सचिव, मथुरा-वृन्दावन प्राधिकरण, मथुरा से वसूल कर भुगतान कराने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०–वि०को०/एम–5–12794/मथुरा/98, दिनांक 2-7-98 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

मा० सदस्य विधान सभा के पत्र के साथ संलग्न वसूली प्रमाण-पत्र मु० 1,02,100/- रु० की वसूली के विरुद्ध सचिव, विकास प्राधिकरण द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका सं०–17161/97 दायर की गयी, जिसमें मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-8-98 के अन्तर्गत वसूली कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है तथा मा० न्यायालय के आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सचिव, विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के बकाया वेतन के भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट दि० 17-10-98 मु० 35,700 रु० पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, उ० प्र० आगरा को उपलब्ध कराया जा चुका है ।

**जनपद बलिया में चकबन्दी कार्य पूर्ण होने वाले गांवों को नक्शे उपलब्ध कराये जाने की मांग**

29—श्री राजधारी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि चकबन्दी का कार्य पूर्ण होने के बाद सम्बन्धित गांवों का नक्शा रुड़की से निर्मित होकर, कितने वर्षों बाद उपलब्ध कराये जाते हैं ? क्या बलिया जनपद में चकबन्दी पूर्ण होने वाले गांवों के नक्शे उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने गांवों के नक्शे उपलब्ध हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्राविधान के अनुसार चकबंदी क्रियाओं के अन्तर्गत अन्तिम भूचित्र तैयार होते ही छपने के लिये प्रेस में भेज दिया जाता है और प्रेस से भूचित्र शीघ्र प्रिन्ट करके उपलब्ध करा दिया जाता है ।

जनपद बलिया में जिन गांवों में चकबन्दी कार्य पूर्ण हो चुका है उनमें से 1870 गांवों के भूचित्र प्रेस द्वारा उपलब्ध करा दिये गये हैं ।

**जनपद उन्नाव के निवर्तमान जिला कृषि अधिकारी श्री बी० डी० गुप्ता द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं/नकली खाद बिकवाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर जांच**

30—श्री बाबू लाल कुरील–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–उन्नाव के निवर्तमान जिला कृषि अधिकारी, श्री बी० डी० गुप्ता द्वारा की गयी अनेक वित्तीय अनियमितताओं और नकली खाद बिकवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 19-1-98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र पर जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**वेटनरी काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में वेटनरी कालेज की स्थापना करने सम्बन्धी जानकारी**

31—श्री विजय सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेटनरी काउन्सिल आफ इण्डिया ने जिला फैजाबाद में वेटनरी कालेज की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है ? यदि हां, तो कब ? उक्त स्वीकृति कालेज की स्थापना फैजाबाद जिले में किस स्थल पर प्रस्तावित थी ? क्या उक्त भवन निर्माण स्वीकृत स्थल से भिन्न स्थान पर कराया जा रहा है ? यदि हां, तो किसके आदेश से ? उक्त निर्माण पर कितना

धन अब तक व्यय किया जा चुका है ? क्या व्यय की स्वीकृति निर्माणाधीन स्थल के लिये ली गयी है ? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा ली गयी है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

वेटनरी काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अन्तर्गत वेटनरी कालेज की स्थापना करने की संस्तुति प्रदान की गई थी जिसके आधार पर शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

वेटनरी काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा 1997 के पूर्व संस्तुति प्रदान की गयी थी ।

वेटनरी काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा गोरखपुर या मसौधा या कुमारगंज, परिसर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया ।

जी नहीं ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

प्राप्त सूचना के आधार पर भवन निर्माण पर रु० 5.3640 करोड़ की धनराशि राजकीय निर्माण निगम को व्यय हेतु स्थानान्तरित की जा चुकी है ।

जी हां ।

दिनांक 15-10-1997 को राज्य सरकार द्वारा व्यय की अनुमति दी गई ।

**जनपद फैजाबाद, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज के छात्रावास में श्री सूरज भान नामक छात्र की हत्या की जांच हेतु गठित समिति द्वारा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग**

32—श्री लालमणि प्रसाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5 जून, 1997 को नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के छात्रावास में श्री सूरज भान नामक छात्र की हत्या की जांच के लिये गठित समिति की जांच पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां । विश्वविद्यालय स्तर पर गठित विभागीय जांच समिति की जांच पूरी हो गयी है ।

विभागीय जांच समिति किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी अतः उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं हो सका । स्थानीय थाना कुमारगंज, फैजाबाद में उक्त घटना के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमा अपराध सं०–185/97 के अन्तर्गत की गयी विवेचना के आधार पर पुलिस द्वारा आरोप-पत्र न्यायालय में भेज दिया गया है ।

33–34—श्री अम्बिका चौधरी–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये ]

35–36—श्री हरदेव सिंह–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये ]

37–38—श्री सीताराम निषाद–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये ]

**जनपद हाथरस, तहसील सिकन्दराराऊ में जल प्लावन/अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान, फसलों का मुआवजा देने एवं भू-राजस्व माफ करने की मांग**

39—श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि तहसील सिकन्दराराऊ, जनपद हाथरस में अत्यधिक जल प्लावन एवं भारी अतिवृष्टि से किसानों की फसल पूर्णतया नष्ट हो गयी है और किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को फसल का मुआवजा देने एवं राजस्व वसूली माफ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद हाथरस, तहसील सिकन्दराराऊ में गत सितम्बर व अक्टूबर, 1998 में भारी अतिवृष्टि से धान की फसल में 60 प्रतिशत, बाजरा, मक्का, दलहन, तिलहन की फसल में 75 प्रतिशत, ईख, ज्वार, बाजरा में 60 प्रतिशत की हानि हुई थी । बाढ़/अतिवृष्टि से किसानों की स्थिति चिन्ताजनक हो गयी थी लेकिन भुखमरी जैसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई ।

बाढ़ /अतिवृष्टि से फसलों के नुकसान पर दैवी आपदा राहत निधि से कोई फसल मुआवजा देने का प्राविधान नहीं है । बाढ़/अतिवृष्टि/भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के भू-राजस्व माफी के आदेश राजस्व परिषद् को दिनांक 29-9-98 को दिये जा चुके हैं ।

40—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[ दि० 17-2-99 को सदन की सेवा से निलम्बित रहने के कारण हटाया गया ]

**जनपद महामायानगर कलेक्ट्री में मानक के अनुसार नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी का विवरण**

41—श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जनपद महामायानगर कलेक्ट्री में क्या मानक के अनुसार कर्मचारी एवं अधिकारी नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मानक के अनुसार उनकी नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

राजस्व विभाग द्वारा शासनादेश संख्या–1593/1-4-97-94-बी-4/97, राजस्व-4, दिनांक 11 जून, 1997 द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार जनपद महामायानगर हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के 34 पद स्वीकृत किये गये है, वर्तमान में निम्न अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं :—

पदनाम

1–जिलाधिकारी

2–अपर जिलाधिकारी (वि/रा)

3–ज्येष्ठ सहायक

4–वरिष्ठ सहायक

5–वरिष्ठ लिपिक

6–कनिष्ठ लिपिक

7–जमादार

8–वाहन चालक

9–आदेश वाहक

अवशेष पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी ।

42—श्री विनोद मणि–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ]

43—श्री अम्बिका चौधरी—

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ]

**प्रधानों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मतदाताओं द्वारा रखे जाने का प्राविधान करने की मांग**

44—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नई व्यवस्था के अनुसार अब ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा रखने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रधानों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पुनः मतदाताओं द्वारा रखे जाने के प्राविधान पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथा संशोधित) 1994 की धारा–14 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के प्रधान को ग्राम पंचायत के सदस्यों के 2/3 के बहुमत से हटाने की व्यवस्था है, जो पूर्णतः प्रजातांत्रिक है और इस व्यवस्था को मा० उच्चतम न्यायालय ने भी वैध ठहराया है ।

**जिला व तहसील बस्ती, थाना मुण्डेरवा, ग्राम उमरी अहरा परसी में बाढ़ से क्षतिग्रस्त परिवारों को प्रदान की गयी सहायता राहत की जानकारी**

45—श्री विशम्भर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उमरी अहरा परसी (मलिकपुरवा) थाना मुण्डेरवा, तहसील व जिला–बस्ती के गांवों में बाढ़ से प्रत्येक परिवारों को फसल व मकान आदि से संबंधित नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु प्रत्येक परिवार को बाढ़ राहत के अन्तर्गत कितनी-कितनी सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम उमरी अहरा परसी (मलिकपुरवा), थाना मुण्डेरवा, तहसील व जिला बस्ती में बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित 12 पात्र परिवारों को रु० 600/- की दर से कुल रु० 7,200/- की धनराशि गृह अनुदान के रूप में वितरित की गयी है ।

46–47—श्री राम विशुन आजाद–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये ]

48—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[ दिनांक 11-2-99 को अता० प्र० सं०–114 द्वारा उत्तरित]

**जनपद प्रतापगढ़, ब्लाक पट्टी, आसपुर, देवपुरा, मगरौरा को ऊसर सुधार योजना में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी**

49–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी, आसपुर, देवपुरा, मगरौरा को ऊसर सुधार योजना में शामिल किया गया है ? यदि हां, तो मानकों के अनुसार प्रत्येक ब्लाक में कौन-कौन से ग्राम शामिल किये गये हैं ? क्या मानकों के अनुसार सभी ग्रामों का चयन पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो शेष ग्रामों के चयन की कार्यवाही कब तक पूर्ण की जायेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

मानकों के अनुसार ब्लाक पट्टी में 23, आसपुर देवसरा में 30 तथा मगरौरा में 24 गांवों को शामिल किया गया है जिनकी सूची संलग्न है । †

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 130-131 पर)

**श्री डाल चन्द्र, नि० मैनागढ़, कृष्णापुरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, दुग्ध विकास विभाग के उत्पीड़न सम्बन्धी विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

50—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री डाल चन्द्र नि० मैनागढ़, कृष्णापुरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दुग्ध विकास विभाग के उत्पीड़न विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/12587/मथुरा/98, दिनांक 30-6-98, सचिव, दुग्ध विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

बाढ़ नियंत्रण, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयपाल सिंह)–

जी हां ।

श्री डाल चन्द्र, सहयोगी ने जनपद मथुरा, शाहजहांपुर, बरेली एवं जालौन में अपनी तैनाती के दौरान जनवरी, 1990 से अगस्त, 1996 तक कुल 1179 दिनों का चिकित्सा एवं अर्जित अवकाश वैध एवं अवैध रूप से उपभोग किया है जबकि इन्हें चिकित्सा अवकाश देय नहीं है । अतः दुग्ध आयुक्त, उ० प्र० द्वारा इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जा रही है ।

**श्री देवीदयाल, संग्रह अमीन, कलेक्ट्रेट हमीरपुर द्वारा अनिवार्य सेवा निवृत्त के विरुद्ध दायर याचिका में शासन द्वारा सर्विस टिब्यूनल के आदेशों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी**

51—श्री अमित अग्रवाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री देवीदयाल, संग्रह अमीन, कलेक्ट्रेट हमीरपुर ने अनिवार्य सेवा निवृत्ति के विरुद्ध पिटिशन सं०–53/आई-90 सर्विस ट्रिब्यूनल में दायर की थी ? क्या निर्णय उनके पक्ष में हुआ था ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा सर्विस ट्रिब्यूनल के आदेशों का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

मा० लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध रिट याचिका मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में दायर की गयी है, जो मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

**जनपद मेरठ के सरधना में जल भराव से प्रभावित गांवों को राहत कार्य पहुंचाने की मांग**

52—प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या सरकार को जानकारी है कि सरधना विधान सभा क्षेत्र जनपद मेरठ के 37 गांव इस वर्ष जल प्लावन के कारण प्रभावित हुए हैं ? यदि हां, तो इन गांवों में क्या राहत कार्य किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

वर्ष 1998 में वर्षा के कारण सरधना विधान सभा क्षेत्र, जनपद मेरठ के 24 ग्राम जल प्लावन/जल भराव के कारण प्रभावित हुए थे ।

उक्त प्रभावित गांवों में से किसी भी ग्राम में खरीफ की खड़ी फसलों को जल प्लावन/जल भराव के कारण 50% से अधिक की हानि नहीं हुई है । जिस कारण प्रभावित कृषकों को कोई राहत सहायता प्रदान नहीं की गयी है । जिन ग्रामों में जल भराव/जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न हुई थी उनमें जन सहयोग प्राप्त कर जल निकासी करा दी गयी थी ।

**जनपद एटा, विकास खण्ड सोरों, ग्राम कुमरउआ तथा पचलाना के पशु रक्षा केन्द्र की भूमि से अनधिकृत कब्जा हटाने की मांग**

53—श्री नेतराम सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले के विकास खण्ड सोरों के ग्राम कुमरउआ तथा पचलाना में पशु औषधालय एवं गौसदन पशुधन प्रसार अधिकारी कौन है और कितने समय से इसी पशु रक्षा केन्द्र पर कार्यरत है ? क्या यह सत्य है कि कुमरउआ पचलाना मऊ सदन की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त अनाधिकृत कब्जों को हटवाकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

वर्ष 1970 से श्री शमीम अहमद कार्यरत थे, जिनका स्थानान्तरण दिनांक 11-1-99 को पशु चिकित्सा सेवा केन्द्र, नया गांव, खुरसलिया के लिये कर दिया गया ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**हरदोई के ग्राम पंचायत तमनौर में दैवी आपदा से हुई मौत से मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की मांग**

54—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 91—मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दैवी आपदा से ग्राम पंचायत तमनौर में 4 व्यक्तियों की शहाब्दा के मजरा कछी खेड़ा में एक व्यक्ति तथा गढ़ी रसूलपुर में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी ? यदि हां, तो क्या उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र 91—मल्लावां के तहसील बिलग्राम के ग्राम इस्लामपुर जगाई (तमनौर) में एक ही परिवार के 4 व्यक्तियों की अतिवृष्टि के कारण कच्ची दीवार गिर

जाने से मृत्यु हुई थी । इसी प्रकार ग्राम रूद्दीखेड़ा मजरा शाहब्दा, परगना मल्लावां, तहसील बिलग्राम, जनपद हरदोई में एक व्यक्ति की अतिवृष्टि के कारण कच्ची दीवार गिर जाने से मृत्यु हुई । ग्राम गढ़ी रसूलपुर में भी दीवार गिरने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी ।

ग्राम गढ़ी रसूलपुर के मृतक को छोड़कर सभी मृतकों के वारिसानों को अनुग्रह अनुदान प्रदान कर दी गयी है । ग्राम गढ़ी रसूलपुर में श्री सोनू पुत्र राम रहीस आयु 8 वर्ष की दीवार गिरने से मृत्यु हुई, परन्तु यह घटना दैवी आपदा के अन्तर्गत न आने के कारण अनुग्रह अनुदान प्रदान नहीं किया गया ।

**जनपद उन्नाव, तहसील बीघापुर, ग्राम पंचायत त्रिपुरारीपुर की भूमि पर अवैध निर्माण के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग**

55—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव तहसील बीघापुर, ग्राम पंचायत–त्रिपुरारीपुर की भूमि गाटा सं०–735 व 736 ग्राम समाज की भूमि है ? यदि हां, तो इनका रकबा कितना है ? ग्राम प्रधान के उप चुनाव की अवधि (6-9-97 से 18-9-97 तक) में किसने उक्त भूमि पर निर्माण कार्य कराया है ? क्या यह वैध है ? यदि नहीं, तो क्या अवैध निर्माण के लिये दोषी लोगों के विरुद्ध उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122(ख) एवं 123(ख) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

गाटा सं०–735 का रकबा 0:2.0 व गाटा सं० 736 का रकबा 0.3.0 है । श्री महादेव पुत्र कल्लू ने भूमि गाटा सं०–735 रकबा 0–0–15, 736 रकबा 0–0–5 कुल रकबा 0–1-0 पर दीवार का निर्माण कर कब्जा किया है ।

जी नहीं ।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122 बी/नियम 115 डी के अन्तर्गत बेदखली व क्षतिपूर्ति हेतु न्यायालय असि० कलेक्टर, बीघापुर के वाद सं०–141/98, दिनांक 29-4-98 को वाद पंजीकृत किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद हरदोई, तहसील सण्डीला, ग्राम–हिया के श्री छोटे लाल के प्रार्थना-पत्र पर पैमाइश करवा कर जमीन का कब्जा दिलाये जाने की मांग**

56—श्री शिव गणेश लोधी एडवोकेट–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री छोटे लाल, पुत्र श्री सीताराम नि० ग्राम–हिया, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई का प्रार्थना-पत्र जो कि चकबन्दी के दौरान चक सं०–177 का रकबा–1016 वर्ग मीटर जमीन ग्राम के सवर्ण श्री उत्तम व श्री विजय पाल सिंह के चक से 587 में मिलाने की शिकायत थी और जिस पर मा० मंत्री, राजस्व के विशेष कार्याधिकारी द्वारा पैमाइश कराकर कब्जा दिलाये जाने तथा अवगत कराने के आदेश दिये गये थे, पत्रांक 3542, दिनांक 24-7-98 बन्दोबस्त अधिकारी, हरदोई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या श्री छोटे लाल को जमीन पैमाइश कराकर कब्जा दिला दिया गया ? यदि नहीं, तो कब तक कब्जा दिला दिया जायेगा ? उक्त कार्यों को सम्पादित कराने में विलम्ब के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जी हां।

उपर्युक्त स्थिति में प्रश्न नहीं उठता।

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हरदोई, तहसील सण्डीला, श्री रामबाबू कटियार, लेखपाल आजमपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

57—श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम बाबू कटियार, लेखपाल क्षेत्र असही आजमपुर, तह० सण्डीला, जनपद हरदोई के विरुद्ध श्री श्रीकृष्ण व अन्य निवासी नेवादा नरपति तह० सण्डीला, जनपद हरदोई का शिकायती प्रार्थना-पत्र उन्हें दिनांक 12-8-98 को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त शिकायती प्रार्थना-पत्र पर उन्होंने उक्त लेखपाल को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के आदेश जिलाधिकारी हरदोई को दिये थे जिसकी प्रति पत्रांक 3970, दिनांक 12-8-98 फैक्स संदेश द्वारा जिलाधिकारी, हरदोई को भेजी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त लेखपाल को स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और उसे कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

58—श्री राम विशुन आजाद–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ]

59—प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

[ 2सरे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

**श्री गोपालशरन सिंह, उप कृषि निदेशक (मु०) द्वारा अनियमित रूप से दो व्यक्तियों के लिपिक पद पर नियुक्ति की जांच**

60—श्री बाबूलाल कुरील–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 12-8-98, जो उप कृषि निदेशक (मु०) श्री गोपाल शरन सिंह द्वारा दो लोगों को लिपिक के पद पर नियुक्त किये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? क्या इस हेतु सरकार से अनुमति ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्या दोषी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

शिकायती पत्र दिनांक 12-8-98 शासन में प्राप्त हुआ है जिसमें दो नये लड़कों को उप कृषि निदेशक (मु०) श्री गोपाल शरन सिंह द्वारा दैनिक वेतन पर रखे जाने तथा अन्य शिकायतें की गयी हैं।

जी नहीं।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

61–62—मास्टर छोटे लाल गंगवार–

[ दिनांक 17-2-99 को अता० प्र० सं०–182 द्वारा उत्तरित ]

**जनपद मुरादाबाद, तहसील बिलारी के भू-माफियाओं द्वारा नगर पालिका/ग्राम समाज की भूमि अपने नाम दर्ज कराने की जानकारी**

63–श्री अकबर हुसैन–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के अन्तर्गत भू-माफियाओं द्वारा नगर पालिका एवं ग्राम समाज की भूमि तहसील स्तर पर अपने नाम दर्ज करा ली गयी थी ? क्या उक्त प्रकरण में भू-माफियाओं के विरुद्ध दिनांक 14-10-98 को थाना बिलारी, जनपद मुरादाबाद में एफ० आई० आर० दर्ज करायी गयी थी? यदि हां, तो क्या अभिलेखों में फर्जी तौर पर नाम अंकित करने वाले संबंधित लेखपाल तथा अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

जी हां।

इस प्रकरण में प्रारम्भिक स्तर पर श्री सत्य प्रकाश सक्सेना, रजिस्ट्रार कानूनगो बिलारी को दोषी पाये जाने पर निलम्बित करके उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है तथा इसी प्रकरण में दोषी श्री रामप्रसाद सक्सेना, पेशकार, जिनका स्थानान्तरण बदायूं जुलाई, 96 में हो गया था की मृत्यु मार्ग दुर्घटना में सितम्बर, 1998 को हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

64—मास्टर छोटे लाल गंगवार–

[ दिनांक 17-2-99 को अता० प्र० सं०–184 द्वारा उत्तरित ]

**जनपद श्रावस्ती, तहसील भिन्गा, ग्राम पंचायत–पिपरी, ग्राम सभा–श्रीनगर की भूमि पर दबंग लोगों के कब्जे को हटाये जाने की मांग**

65—मास्टर छोटे लाल गंगवार–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि नव सृजित जनपद श्रावस्ती की तहसील भिन्गा के ग्राम पंचायत पिपरी की ग्राम सभा श्रीनगर में कुल कितने बीघा ग्राम समाज की बचत की भूमि है ? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम समाज की भूमि पर ग्राम सभा के दबंग लोगों का 10 वर्षों से कब्जा है ? क्या सरकार उक्त ग्राम सभा के ग्राम समाज की भूमि को खाली कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम पंचायत पिपरी के ग्राम सभा श्रीनगर में ग्राम समाज की बचत की भूमि 2.128 हे० है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद श्रावस्ती, तहसील भिनगा, ग्राम पंचायत पिपरी के ग्राम प्रधान/बी० डी० सी० सदस्य द्वारा ग्राम श्रीनगर में कब्रिस्तान/श्मशानघाट के चारों ओर खाई खुदवाने पर की गयी कार्यवाही**

66—मास्टर छोटे लाल गंगवार–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि नव सृजित जनपद श्रावस्ती की तहसील भिन्गा के ग्राम पंचायत पिपरी के ग्राम प्रधान एवं बी० डी० सी० सदस्य द्वारा ग्राम श्रीनगर में कब्रिस्तान/श्मशान घाट में लगे बबूल के पेड़ों को कटवाकर कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट के चारों तरफ 5 फिट खाई खुदवा दी है ? क्या इससे ग्राम सभा श्रीनगर के लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस खाई को पटवाकर दोषी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

वर्णित खाई ग्राम प्रधान एवं बी० डी० सी० सदस्य द्वारा नहीं खुदवाई गई थी, बल्कि कब्रिस्तान की देखरेख करने वाली अंजुमन कमेटी द्वारा बबूल के पेड़ों को कटवाकर कब्रिस्तान के चारों और खाई खुदवाई गई थी ।

इस खाई से लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही थी ।

प्रशासन द्वारा खाई पटवाकर पूर्व की भांति रास्ता चालू करवा दिया गया है । अब आने-जाने में ग्राम वासियों को कोई असुविधा नहीं हो रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद व तहसील लखनऊ, ग्राम बरावन कलां, चकरोड संख्या–1773 पर अवैध कब्जा**

67—मास्टर छोटे लाल गंगवार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–बरावन कलां, तहसील व जिला–लखनऊ में स्थित चकरोड संख्या 1773 पर अवैध रूप से कब्जा करके उसी गांव के कतिपय व्यक्तियों ने चकरोड को अपने खेत की सीमा में सम्मिलित कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चकरोड की पैमाइश करवाकर तथा चकरोड की सीमा निर्धारित करके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम बरावन कलां, परगना तहसील व जिला–लखनऊ की भूमि सं०–1773 पर किसी का अवैध कब्जा नहीं है । अवैध कब्जा न होने के कारण किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई ।

**जनपद लखनऊ, ब्लाक गोसाईगंज में कमलापुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, हसनापुर में चुनाव में धांधली की शिकायत**

68—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की कमलापुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, पो०–हसनापुर, ब्लाक गोसाईगंज, जिला–लखनऊ के नामांकन में अध्यक्ष एवं चुनाव अधिकारी की मिलीभगत से चुनाव कराने से सम्बन्धित उक्त क्षेत्र के निवासीगणों का शिकायती पत्र

दिनांक 29-7-98 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार उक्त चुनाव को विशेष परिस्थितियों में रद्द करते हुए पुनः चुनाव कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

69—श्री उबैदुर्रहमान–

[2सरे मंगलवार के अता० प्र० सं०–184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद फिरोजाबाद, विकास खण्ड नारखी में नवनिर्मित गढ़ी एवरन में सड़क की टी० ए० सी० द्वारा जांच के विषय में जानकारी**

70—श्री शिव सिंह चक–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जन प्रतिनिधियों की शिकायत पर माननीय मंत्री जी द्वारा फिरोजाबाद जनपद के विकास खण्ड नारखी में नव निर्मित गढ़ी एवरन में सड़क की जांच टी० ए० सी० द्वारा माह जुलाई, 98 में करायी गयी थी ? क्या जांच में मानक से बहुत घटिया निर्माण पाया गया था ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं । उक्त शिकायत की जांच जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक से करायी गयी थी ।

जांच में श्री दिनेश चन्द्र शर्मा, अवर अभियन्ता (प्रभारी अभियन्ता) को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर आरोप पत्र निर्गत किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद कानपुर में थाना सजेती अन्तर्गत ग्राम धरछुआ के पूरब में स्थित एक कुएं के आस-पास एवं तालाब की ओर जाने वाले मार्गों से अवैध कब्जा हटाये जाने की मांग**

71—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम–धरछुआ, थाना–सजेती, तहसील–घाटमपुर, जिला कानपुर में गांव के पूरब दिशा में स्थित कुएं के आस-पास एवं तालाब की ओर जाने वाले मार्गों पर अवैध कब्जे के कारण ग्रामवासियों को पानी भरने में अत्यन्त असुविधा होती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों से अवैध कब्जा हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

अवैध कब्जों को दिनांक 14-1-99 को हटवा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद जौनपुर, तहसील मछलीशहर, मौजा पहाड़पुर में कब्रिस्तान की जमीन पर से अतिक्रमण हटाये जाने की मांग**

72—श्री राजेन्द्र यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा पहाड़पुर, तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर निवासी मुहम्मद रशीद ने कब्रिस्तान की जमीन आराजी नम्बर 519 व 520 पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में जिला अधिकारी, जौनपुर को दिनांक 28-1-98 व 27-10-97 को प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

(ख) आराजी नम्बर 519 और 520 कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है । आराजी नम्बर 519 पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है । आराजी नम्बर 520 पर अतिक्रमण कारियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही हेतु न्यायालय, तहसीलदार मछलीशहर के यहां जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122 बी के अन्तर्गत वाद योजित है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद मुजफ्फरनगर, कस्बा पुरकाजी में मण्डी परिषद् की मण्डी बनाये जाने की मांग**

73–श्री रणधीर सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी में मण्डी परिषद् की मण्डी बनाये जाने हेतु 25 लाख रुपया की प्रथम किश्त भेजी जा चुकी है तथा मण्डी हेतु भूमि का अधिग्रहण भी किया जा चुका है परन्तु आज तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ? मण्डी निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण है, किन्तु अधिग्रहीत भूमि पर कब्जा मण्डी समिति को प्राप्त न होने के कारण निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

अधिग्रहीत भूमि का कब्जा प्राप्त होने एवं धन की उपलब्धता पर ।

74—श्री अफजाल अहमद–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया । ]

**जनपद बागपत के ग्रामों में विगत 15 वर्षों से लम्बित चकबन्दी का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही**

75—श्री समरपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि बागपत जिले के दाह, दोवर, टीकरी, निरकुढा, गमनौली, रनछाड़, सिरसली, मवीकला आदि ग्रामों में चकबन्दी का कार्य विगत लगभग 15 वर्षों से लम्बित है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इन गांवों में चकबन्दी कार्य पूर्ण कराने हेतु कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

उक्त ग्रामों में मुख्यतः कृषकों में आपसी दलबन्दी आदि से अवरोध उत्पन्न होने के कारण समय से कार्य सम्पादित नहीं कराया जा सका ।

मार्च, 2002 तक चकबन्दी कार्य पूर्ण करने हेतु कार्य योजना तैयार कर ली गयी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद अम्बेडकरनगर, तहसील–आलापुर, ग्राम जल्लापुर में गाटा संख्या–32 का पट्टा के बाद भी पट्टेदार को अधिकार पत्र जारी न किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी**

76—श्री धर्मराज निषाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील–आलापुर के ग्राम जल्लापुर तथा न्योरी में गाटा सं०–32 क्षेत्रफल 0.232 हेक्टेयर का मत्स्य पालन का पट्टा श्री राम

पुत्र सिधारी व श्रीमती गेना पत्नी श्रीराम व श्री नाथ पुत्र सिधारी व श्रीमती मिनता पत्नी श्रीनाथ के पक्ष में दिनांक 25-6-97 को उप जिलाधिकारी, आलापुर द्वारा स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या पट्टेदार को अधिकार पत्र जारी किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद शाहजहांपुर के आई० सी० डी० बी०/आई० पी० एम० योजना में कृषकों को धनराशि का वितरण न किये जाने तथा भ्रष्टाचार की जांच**

77—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के सभी ब्लाकों में चल रहे आई सी० डी० बी०/आई० पी०एम० योजना में कृषकों को दी जाने वाली धनराशि का वितरण उप कृषि निदेशक (प्रसार) शाहजहांपुर द्वारा न किये जाने तथा उपरोक्त योजना में व्यापक भ्रष्टाचार तथा धन गबन की जांच कराये जाने के संबंध में ब्लाक प्रमुख तिलहर ने दिनांक 27-7-98 या इसके आस-पास रजिस्टर्ड पत्र जिला कृषि अधिकारी, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर तथा संयुक्त कृषि निदेशक, बरेली को दिये गये हैं, प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां,

ब्लाक प्रमुख क्षेत्र पंचायत तिलहर का पत्र दिनांक 3-7-98 प्राप्त हुआ ।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने जिला विकास अधिकारी, शाहजहांपुर को तथा अपर कृषि निदेशक (सामान्य) उ० प्र०, कृषि भवन, लखनऊ ने उप निदेशक (कृषि रक्षा) बरेली मण्डल, बरेली को शिकायती पत्र की जांच सौंप दी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

**मण्डी परिषद्, उ० प्र० द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि उप निदेशक, निर्माण अलीगढ़ को उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी**

78—श्री नेत राम सिंह–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि उप निदेशक निर्माण कृषि उत्पादन मण्डी समिति परिषद्, उ० प्र० अलीगढ़ ने अपने पत्र सं० 97/0/16/दिनांक 12-11-97 को 8 मार्गों के निर्माण को स्वीकृति कर मण्डी परिषद्, उ० प्र० को धन उपलब्ध कराने की मांग की थी ? क्या माननीय मुख्य मंत्री के पत्र संख्या /सी०एम०/वी०को०/आर०/1232/98, दिनांक 26-5-98 द्वारा 8 मार्गों में से चार मार्गों हेतु 36.5 लाख रुपये की स्वीकृति के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो मंडी परिषद्, उ० प्र० द्वारा निर्माण उप निदेशक, अलीगढ़ को धन उपलब्ध कराया गया ? यदि नहीं, तो अब तक धन उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त धन कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि उपनिदेशक (निर्माण) अलीगढ़ तथा मा० मुख्य मंत्री जी के संदर्भित पत्र ही प्राप्त नहीं हुए हैं।

**जनपद एटा के विकास खण्ड--कासगंज को फल पट्टी घोषित किये जाने की मांग**

79—श्री नेतराम सिंह–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले के विकास खण्ड कासगंज को फल पट्टी घोषित करने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? प्रश्नकर्ता द्वारा जून, 1998 के अन्तिम सप्ताह में माननीय मुख्य मंत्री को भेजा गया पत्र जो फल पट्टी घोषित करने से सम्बन्धित है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक इसे फल पट्टी घोषित न करने के क्या-क्या कारण हैं ? इसे फल पट्टी कब तक घोषित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जी हां।

जी हां।

क्षेत्र में बागों के घनत्व का सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होते ही यथासम्भव शीघ्र विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

80—श्री अम्बिका चौधरी–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ]

**स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के विरुद्ध श्री ओम प्रकाश यादव, विधायक द्वारा दिये गये शिकायती पत्र की जांच**

81—श्री रामसिंह–

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक श्री ओम प्रकाश यादव का स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती पत्र दिनांक 13-7-1998 प्राप्त हुआ है ? क्या शिकायती पत्र की जांच पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो उन दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जांच प्रचलित है।

**जनपद हरदोई निवासी श्री रामपाल व श्री छैलबिहारी के गाटा संख्या–474 ग, 475, 500, 517 तथा 518 ग पर से अवैध कब्जा हटाकर कब्जा दिलाये जाने की मांग**

82—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामपाल व छैल बिहारी पुत्रगण श्री सुक्खा निवासी छावन, परगना गोइवा, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई की भूमि गाटा सं०–474 ग, 475, 500, 517, 518 ग पर श्री खगन, श्री मत्तन, श्री जगन्नाथ श्री गन्नू पुत्रगण श्री छबीले, सर्वश्री नन्हकऊ, कल्लू, रामरतन पुत्तू पुत्रगण श्री मोती कई वर्ष से अनधिकृत कब्जा कर उक्त भूमि जोत बो रहे हैं ? क्या इस संबंध में दिनांक 17-7-98 को तहसीलदार, सण्डीला ने थाना अतरौली को उक्त भूमि

पर अनधिकृत कब्जा हटाकर श्री रामपाल व श्री छैल बिहारी को कब्जा दिलाये जाने हेतु अनुरोध किया था ? यदि हां, तो अब तक उन्हें कब्जा न दिलाने के क्या कारण हैं ? दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

ग्राम छावन परगना गोड़वा, तहसील सण्डीला के भूमि गाटा संख्या–474ग, 475, 500, 517 व 518 ग रामपाल व छैलबिहारी पुत्रगण सुक्खा के नाम राजस्व अभिलेखों में वर्ष 1383 फ से बतौर असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज है । भूखण्ड संख्या 474 ग, 475, 518 पर उपरोक्त पट्टेदारों का ही कब्जा है, और मौके पर भूमि खाली है ।

भूखण्ड संख्या 500 पर श्री लछिमन, खग्गन, रामरतन पुत्रगण छबीले निवासी, ग्राम तुलसीपुर मजरा छावन व भूमि संख्या–517 पर कल्लू, नन्हकऊ, पुत्तू, जगन्नाथ पुत्रगण मोती निवासी तुलसीपुर मजरा छावन का अनधिकृत कब्जा पाया गया । दिनांक 3-2-99 को गाटा संख्या 500 व 517 पर पट्टेदारों को पुनः कब्जा दिया गया और अनाधिकृत अध्यासियों को बेदखल किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनाधिकृत अध्यासियों को बेदखल कर दिया गया है ।

दिनांक 3-2-99 को कब्जा दिला दिया गया है ।

अतः प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद प्रतापगढ़ में नये पशु चिकित्सालय खोले जाने की मांग**

83—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की जिला योजना 1998-99 के सापेक्ष डी० एल० ओ० प्रतापगढ़ का प्रस्ताव पत्रांक 1682/जि०यो०/लेखा/98-99 दिनांक 23-3-98 संयुक्त निदेशक, रोग नियंत्रण निदेशालय, लखनऊ एवं पट्टी विधान सभा क्षेत्र के लिये नियोजन समिति के अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

जी हां ।

जनपद प्रतापगढ़ में निर्धारित मानक से अधिक पशु चिकित्सालय पहले से ही हैं । अतः जनपद प्रतापगढ़ में नये पशु चिकित्सालय खोले जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

84—डा० अशोक बाजपेयी–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ]

85—श्री राम औतार शाक्य–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ]

86—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[ आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ]

**जनपद उन्नाव, तहसील–बीघापुर, ग्राम पंचायत–त्रिपुरारीपुर के दर्शन बनाम महादेव के मामले में मा० न्यायालय, उप संचालक, चकबन्दी, उन्नाव द्वारा दिये गये आदेश के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जानकारी**

87—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव तहसील बीघापुर, ग्राम पंचायत त्रिपुरारीपुर के दर्शन बनाम महादेव के मामले में मा० न्यायालय, उप संचालक, चकबन्दी, उन्नाव ने जनवरी, 1996 में क्या आदेश दिये थे ? उक्त आदेशानुसार चक पैमाइश कब कराई गई ? क्या चक पर श्री महादेव आदि द्वारा कब्जा न करने देने की शिकायत श्री दर्शन पुत्र श्री सत्य नारायण ने दिनांक 5-8-96 को प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग तथा दिनांक 12-8-96 को जिलाधिकारी, उन्नाव से स्वयं मिलकर की थी ? यदि हां, तो उन पर अब तक मौके पर कार्यवाही न करने के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब्जा न करने देने के लिये श्री महादेव आदि के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कब्जा कब तक दिलवा दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

चूंकि प्रश्नगत प्रकरण में जनवरी, 96 में कोई आदेश नहीं दिये गये । अतः तद्नुसार पैमाइश कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रकरण से आच्छादित दोनों पक्षों को उनकी उपस्थिति में तथा उनकी सहमति से दिनांक 18-11-98 को पैमाइश कराकर कब्जा दिला दिया गया है । जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हैं । मौके पर कार्यवाही न करने के लिये नहीं बल्कि भूचित्र में गलत लाइन डालने के लिये दोषी लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं । वर्णित स्थिति में अब शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद फैजाबाद, तहसील–बीकापुर, परगना–पश्चिम राठ, ग्राम कोरी राघवपुर में गाटा संख्या–550, 561, 810, 811 की बंजर/ग्राम समाज की भूमि के अभिलेखों में हेराफेरी के सम्बन्ध में जानकारी**

88—श्री राम चन्द्र यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम–कोरी राघवपुर, परगना पश्चिम राठ, तहसील–बीकापुर, फैजाबाद में स्थित गाटा सं०–550, 561, 810, 811 बंजर/ग्राम समाज की भूमि को कतिपय व्यक्तियों द्वारा राजस्व विभाग के कर्मियों की मिलीभगत से अभिलेखों में हेरा-फेरी कराकर अपने नाम दर्ज करा ली गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

(ख) प्रकरण की जांच कराई गई । प्रश्नगत भूमि का अभिलेखों में अंकन फर्जी पाये जाने के कारण सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम निरस्त करके भूमि बंजर/ग्राम सभा के नाम अंकित कर दी गई और दिनांक 26-9-98 को अमलदरामद भी करा दिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के समूह ''घ'' तथा अन्य विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के दैनिक वेतन में भिन्नता के सम्बन्ध में जानकारी**

89—श्री राम चन्द्र यादव–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 के शासनादेश सं०–जी०–2-570 दस–97-301/85, लखनऊ, दिनांक 19 जुलाई, 1997 के द्वारा दैनिक वेतन पर समूह ''घ'' के कर्मचारियों को रुपया 42.50 प्रति दिन तथा समूह ''घ'' के कर्मचारियों को रुपया 47.50 प्रति दिन का भुगतान किये जाने का आदेश है ? यदि हां, तो क्या नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में समूह ''घ'' को 42.50 प्रति दिन का भुगतान दिया जा रहा है जबकि अन्य कृषि विश्वविद्यालय में दिनांक 31 अक्टूबर, 1996 से रुपया 47/- प्रति दिन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसी भिन्नता क्यों है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

उक्त शासनादेश सरकारी विभागों में दैनिक कर्मचारियों पर लागू है ।

कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के दैनिक श्रमिकों के बारे में प्रशासकीय विभाग द्वारा अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है । कृषि कार्य करने वाले श्रमिकों को श्रम अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी की दर अलग से निर्धारित है जिसके अनुसार कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में कृषि कार्य करने वाले श्रमिकों को 47 रुपये तथा कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर में 49 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जा रहा है ।

भिन्नता के कारण के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की जा रही है ।

**जनपद बांदा, आदर्श करघा उद्योग सहकारी समिति लि० तिन्दवारी तथा श्री लक्ष्मी नारायन गुप्ता के बीच विवादास्पद गाटा संख्या 985 के प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग**

90—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में आदर्श करघा उद्योग सह० समिति लि० तिन्दवारी, बांदा व श्री लक्ष्मी नारायन गुप्ता के बीच समिति की भूमि गाटा सं० 985 रकबा 18 डिस्मिल को लेकर विवाद चल रहा है ? यदि हां, तो क्या विवादास्पद गाटा सं० 985 को श्री गुप्ता द्वारा अवैध ढंग से बेच कर समिति को हानि पहुंचाई जा रही है ? क्या उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

**जनपद बांदा के नगर क्षेत्र तिन्दवारी में आदर्श करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, तिन्दवारी के नाम दर्ज समिति की भूमि पर अवैध निर्माण की जानकारी**

91—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के नगर क्षेत्र तिन्दवारी में आदर्श करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, तिन्दवारी, बांदा के नाम कितनी भूमि दर्ज है ? कितनी भूमि पर मौके पर समिति का कब्जा है ? क्या यह सही है कि समिति की जमीन पर अवैध निर्माण करने की साजिश की जा रही है ? यदि हां, तो क्या पैमाइश कराकर समिति की भूमि का सीमांकन कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

**जनपद संत रविदास नगर के ब्लाक डीघ एवं ज्ञानपुर में ब्लाक स्तर से खर्च की गयी धनराशि की जानकारी**

92—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद संत रविदास नगर के ब्लाक डीघ एवं ज्ञानपुर में वर्ष 1997-98 में ब्लाक स्तर से कितना धन किन मदों में खर्च किया गया है तथा किन स्थलों पर कार्य हो रहे हैं ? क्या इसकी जानकारी स्थानीय जन प्रतिनिधियों को दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

विकास खण्ड ज्ञानपुर एवं डीघ में ब्लाक स्तर से दस लाख कूप योजना सुनिश्चित रोजगार एवं 15% जवाहर रोजगार योजना से कुल 46,61,838/- की धनराशि खर्च की गई है । कार्य कराये गये स्थलों की सूची संलग्न है ।†

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

**जिला चित्रकूट में कतिपय भू-स्वामियों के विरुद्ध सीलिंग एक्ट की कार्यवाही किये जाने की मांग**

93—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चित्रकूट में कितने भू-स्वामी ऐसे हैं जो सीलिंग एक्ट की सीमा से ज्यादा जमीन के मालिक हैं ? इन सबके विरुद्ध सीलिंग एक्ट की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

19 भू-स्वामी ।

सभी 19 मामलों में सीलिंग अधिनियम की धारा 10(2), 29/30 के अन्तर्गत नोटिस जारी की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश में ऋण बकायेदारों की गिरफ्तारी/बन्दीकरण हेतु नये लाकप बनवाये जाने की मांग**

94—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऋण बकायेदारों की संख्या को देखते हुए उनकी गिरफ्तारी/बन्दीकरण हेतु नये लाकप बनवाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? ऋण बकायेदारों की बन्दीकरण के दौरान उनकी भोजन आदि पर प्रति व्यक्ति कितना धन व्यय किया जाता है ? क्या दिनांक 2-12-98 को जिला चित्रकूट की कर्वी तहसील में ऋण बकायेदार श्री राम प्रसाद की सरकारी लाकप में मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो मृतक के परिवार को क्या मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† छापी नहीं गई ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

संग्रह नियमावली में इस सम्बन्ध में निम्नवत् प्राविधान है :—

(अ) पैरा 248(1) "यदि व्यतिक्रमी सिविल जेल में निरुद्ध है, तो उसके निर्वाह का खर्च सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा–57 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विरचित नियमावली में प्रतिस्थापित प्रतिमानों के अनुसार होगा । ऐसे खर्च व्यतिक्रमी के उन्मोचन पर जेलर द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि वह वसूला नहीं जा सका है, उस अधिकारी, जिसने निरोध का आदेश दिया था, के द्वारा उससे वसूल किया जायेगा ।"

(ब) पैरा–248(2) "यदि व्यतिक्रमी तहसील पर हाजत में निरुद्ध किया गया है, तो उसे अपने रहने अथवा भोजन बनाने की अनुमति दी जायेगी यदि वह अनिच्छुक है अथवा ऐसा करने में असमर्थ है, तो तहसीलदार द्वारा उसे या तो भोजन दिया जाये अथवा निर्वाह खर्च के रूप में एक भोजन धन अग्रिम के रूप में दिया जायेगा । ऐसे किसी मामले में खर्च उप प्रस्तर (1) के अनुज्ञात प्रतिमान के अनुसार होगा तथा इसी प्रकार वसूल किये जायेंगे ।"

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

**जनपद हाथरस के सिकन्दराराऊ में चरागाहों हेतु ग्राम सभाओं की भूमि सुरक्षित रखने की मांग**

95—श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराराऊ, जनपद हाथरस में सरकार के पास चरागाहों के लिये कितनी ग्राम सभाओं में भूमि उपलब्ध है ? कितनी भूमि पर अवैध कब्जे हैं ? क्या सरकार चरागाहों की भूमि सुरक्षित रखने हेतु अवैध कब्जे को हटवाने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

तहसील सिकन्दराराऊ के विकास खण्ड हसायन एवं सिकन्दराराऊ (वर्तमान) तहसील सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत 54 ग्राम सभाओं में 399 हेक्टेयर भूमि चरागाहों हेतु उपलब्ध एवं आरक्षित है ।

20 हेक्टेयर भूमि पर अनधिकृत कब्जा है ।

जी हां ।

दिनांक 31-3-99 तक कब्जे हटाये जाने के प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद हाथरस की कलेक्ट्री मुख्यालय निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि की जानकारी**

96—श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1998-99 में जनपद हाथरस की कलेक्ट्री मुख्यालय के निर्माण हेतु कोई धनराशि स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो क्या उसका सदुपयोग हुआ है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 98-99 में रु० 216.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

इसका उपयोग अभी नहीं हो सका है ।

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही सम्पन्न न हो पाने के कारण उक्त धनराशि का उपयोग नहीं हो सका है ।

**प्रदेश के बरेली, फिरोजाबाद, जलेसर, सिकन्दराराऊ (हाथरस), रामपुर क्षेत्रों में गौवंश वध कर व्यापार हेतु भेजने पर रोक की मांग**

97—श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में बरेली, फिरोजाबाद, जलेसर (एटा) सिकन्दराराऊ (हाथरस), रामपुर में योजनाबद्ध तरीके से गौवंश का बध करके व्यापार हेतु बाहर भेजा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने के लिये कोई प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

प्रकरण की जांच हेतु संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी ।

**जनपद–हाथरस, तहसील–सिकन्दराराऊ में तहसील मुख्यालय भवन की व्यवस्था की मांग**

98—श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के तहसील सिकन्दराराऊ में तहसील मुख्यालय की अपनी भूमि एवं भवन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार तहसील मुख्यालय के भवन की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद हाथरस की तहसील सिकन्दराराऊ का अपनी विभागीय भूमि पर बना प्राचीन भवन नष्ट होने के कारण लगभग 5 वर्ष से उप कोषागार कार्यालय सिकन्दराराऊ के भवन में संचालित किया जा रहा है ।

यथासमय आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

99—श्री श्रीराम पाल–

[ 3सरे मंगलवार में अता० प्र० सं०–183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

**जनपद सुल्तानपुर, ब्लाक गौरीगंज, ग्राम पहाड़गंज (सैठा) के ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

100–श्री तेजभान सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर को ब्लाक गौरीगंज के ग्राम पहाड़गंज (सैठा) के ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध किसानों का उत्पीड़न करने, समय के अन्तर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र न देने, किसानों से पैसा मांगने से संबंधित शिकायती पत्र दिनांक 16-11-98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच कब और किसके द्वारा कराई गई तथा जांच परिणाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो जांच कब तक कराई जायेगी ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

इसकी जांच दिनांक 3-2-99 को सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) सुल्तानपुर द्वारा की गयी । जांच में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत अधिकारी के पास प्रपत्र उपलब्ध न होने के कारण मृत्यु प्रमाण-पत्र देर से दिया गया है, परन्तु किसी से कोई धनराशि नहीं ली गयी है । विलम्ब के लिये ग्राम पंचायत अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए कठोर चेतावनी दे दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद सन्त रविदास नगर, ग्राम सोवरी/बिहरोजपुर के प्रधानों द्वारा की जा रही कथित धांधली की जांच**

101–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के सोवरी ग्राम सभा ब्लाक ज्ञानपुर तथा ग्राम सभा बिहरोजपुर ब्लाक दीघ के प्रधानों द्वारा व्यापक पैमाने पर की गई धांधली की जांच जिलाधिकारी स्तर से की जा रही है ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है तथा इसमें दोषी व्यक्तियों पर क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

ग्राम पंचायत सोवरी, विकास खण्ड ज्ञानपुर तथा ग्राम पंचायत बिहरोजपुर, विकास खण्ड डीघ के प्रधानों पर लगाये गये आरोप निराधार पाये गये हैं तथा इनका कार्य सन्तोषजनक पाया गया है । अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**निदेशक, राजकीय कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, लखनऊ द्वारा पिछड़े वर्ग के कोटे के अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी**

102—श्री लालजी वर्मा–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् उ० प्र० लखनऊ में निदेशक, मण्डी परिषद् द्वारा दिनांक 26-9-94 को चयन समिति गठित कर पिछड़े वर्ग के आरक्षित कोटे के अन्तर्गत कुछ अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति नियमित वेतनमान पर की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त अवर अभियन्ता नियुक्ति से लगातार नियमित वेतनमान में कार्यरत थे ? यदि हां, तो क्या अब उक्त अवर अभियन्ताओं की सेवा समाप्ति का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी पिछड़े वर्ग के आरक्षित कोटे को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवायें बहाल करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद मथुरा के माधुरी कुण्ड निवासी श्री हरस्वरूप सिंह के अवशेष वेतन भुगतान सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही**

103—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा निवासी श्री हरस्वरूप सिंह, निवासी माधुरी कुण्ड पो०–अडींग, जिला मथुरा के अवशेष वेतन भुगतान के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का

पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–1/155/19/मथुरा/98, दिनांक 27-8-98 सचिव, कृषि को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

श्री हरस्वरूप सिंह पुत्र श्री वीरी सिंह विश्वविद्यालय प्रक्षेत्र माधुरी कुण्ड पर एक योजना में दैनिक श्रमिक के रूप में कार्यरत थे । प्रक्षेत्र पर कार्य कम होने के कारण से श्री स्वरूप को वर्ष 1994 में कार्य से हटा दिया गया था । इसके विरुद्ध श्री स्वरूप श्रम न्यायालय, आगरा में वाद सं०–66श्रम-94 दाखिल किया जो औद्योगिक अधिनियम की धारा-6 एच (1) के तहत प्राप्त किया था फलस्वरूप श्रम न्यायालय के निर्णय दिनांक 9-12-96 पर मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका सं०–23168/98 दाखिल कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया । मा० उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रु० 34960/- श्रम न्यायालय, आगरा में जमा करा दिया गया है एवं श्री हरस्वरूप सिंह को पुनः दैनिक श्रमिक के रूप में कार्य पर लगा लिया गया है ।

104—श्री राम औतार शाक्य–

[ सदन से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ]

**जनपद लखनऊ, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, गोमती नगर के अधिकारियों द्वारा वाहनों का प्रयोग तथा मारुति जिप्सी में व्यय किये गये पेट्रोल के विषय में जानकारी**

105—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, गोमती नगर लखनऊ की कौन-कौन से चार पहिया वाहन शासन के कौन-कौन से अधिकारियों को दिये गये हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मारूति जिप्सी नं० यू०पी० 32 एम–8426 अप्रैल 1998 से जुलाई 1998 के मध्य कहां-कहां रही, और उस पर कितना पेट्रोल व्यय हुआ ? ड्राइवर को कितनी धनराशि का यात्रा भत्ता कहां-कहां जाने का दिया गया ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

106—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[ पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ]

**जनपद चित्रकूट में भूमि संरक्षण अधिकारी कर्वी (द्वितीय) को विभिन्न योजनाओं से प्राप्त धनराशि से व्यय किये गये धन का ब्यौरा**

107—श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चित्रकूट में भूमि संरक्षण अधिकारी कर्वी द्वितीय को वित्तीय वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में विभिन्न योजनाओं से कुल कितना धन प्राप्त हुआ है तथा प्राप्त धन में से अब तक कुल कितना खर्च किया गया है ? खर्च किये गये धन से अब तक कौन-कौन से कार्य कहां-कहां कराये गये हैं ? क्या कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि कराये गये कार्य अधिकांशतः फर्जी हैं तथा मौके पर कोई कार्य नहीं हुए हैं ? क्या उक्त पूरे खर्च किये गये धन की जांच टी० ए० सी० से करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जनपद चित्रकूट, भूमि संरक्षण अधिकारी, कर्वी द्वितीय को वित्तीय वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में विभिन्न योजनाओं से क्रमशः कुल रु० 124.56 लाख एवं रु० 137.03 लाख की धनराशि प्राप्त हुई ।

प्राप्त धनराशि में से वर्षवार निम्नानुसार धनराशि व्यय की गयी :—

| क्र०सं० | वर्ष | व्यय की गयी धनराशि (लाख रु० में) |
|---|---|---|
| 1 | 1997-98 | 88.49 |
| 2 | 1998-99 | 82.32 |

खर्च किये गये धन से अब तक कराये गये कार्यों तथा स्थल का विवरण मेरे कार्यालय में देखा जा सकता है ।

जी हां ।

वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में विभिन्न स्तर पर किये गये परियोजनावार सत्यापन के तिथिवार विवरण से सम्बन्धित अभिलेख मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी, नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही भूमि संरक्षण योजना में सम्पादित कार्यों व उस पर व्यय की जा रही धनराशि के प्राविधिक सम्प्रेक्षण विषयक शासनादेश संख्या 2541/12-3-97–336/96, दिनांक 2-12-97 के प्रस्तर 3(II) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत इकाई द्वारा उक्त धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों के प्राविधिक सम्प्रेक्षण का औचित्य नहीं बनता है ।

**जनपद संत रविदास नगर में जिला पंचायत द्वारा शिक्षण संस्थाओं में अध्यापिकाओं की नियुक्ति में अनियमितताओं की जांच**

108—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत रविदास नगर में जिला पंचायत द्वारा शिक्षा संस्थाओं में अनियमित ढंग से अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गई है, क्या इसकी जांच हेतु शासन स्तर से कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

संत रविदास नगर में जिला पंचायत के अध्यक्ष/प्रबन्धक जिला पंचायत बालिका इण्टर कालेज, ज्ञानपुर तथा गोपीगंज में अध्यापिकाओं की नियुक्ति की गयी है । इन नियुक्तियों की जांच हेतु शासन के द्वारा जिलाधिकारी, संत रविदास नगर को निदेशित किया गया था, जिनके द्वारा जांच की जा रही है । जांच के मध्य यह निष्कर्ष निकालना असम्भव है कि प्रश्नगत नियुक्तियां अनियमित हैं अथवा नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

109—श्री राम विशुन आजाद–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ]

110—श्री राम औतार शाक्य

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ]

**अल्मोड़ा मण्डल में वर्ष 1991 से 1995 के मध्य भूमि संरक्षण इकाइयों के कार्यों के वित्तीय/तकनीकी आडिट की जानकारी**

111—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991 से 1995 के मध्य अल्मोड़ा मण्डल में कुल कितनी भूमि संरक्षण इकाइयों के कार्यों के वित्तीय और तकनीकी आडिट हुए ? इन आडिट आपत्तियों में कितने धन के दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आया ? उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**उत्तर प्रदेश में राजस्व निरीक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी**

112—मास्टर छोटे लाल गंगवार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में राजस्व निरीक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

उत्तर प्रदेश में राजस्व निरीक्षकों के कुल 517 पद रिक्त हैं ।

परिषदादेश सं० 621/4-2एफ/97, दिनांक 28 जनवरी, 1999 द्वारा वर्ष 1996 की अनुपूरक परीक्षा में उत्तीर्ण 96 अभ्यर्थियों को सम्बन्धित मण्डलों से सम्बद्ध/तैनात किया जा चुका है । शेष रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**राजस्व निरीक्षक का कार्य करने वाले लेखपालों को राजस्व निरीक्षक का वेतनमान देने एवं उक्त पदों पर प्रोन्नति की मांग**

113—मास्टर छोटे लाल गंगवार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पांच से दस वर्षों तक राजस्व निरीक्षक का कार्य करने वाले लेखपालों को सरकार राजस्व निरीक्षक का वेतनमान देने तथा राजस्व निरीक्षक के पदों पर प्रोन्नति करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

पांच से दस वर्षों तक राजस्व निरीक्षक का कार्य करने वाले लेखपालों को राजस्व निरीक्षक का वेतनमान केवल उन्हीं लेखपालों को दिया जा रहा है जो जिले स्तर पर विखण्डन नियमावली, 1991 के

प्रख्यापन के पश्चात् भी स्थानीय व्यवस्था में अस्थायी/स्थानापन्न रूप से माननीय न्यायालय के आदेशान्तर्गत कार्यरत हैं।

विखण्डन नियमावली लागू होने के पश्चात् तदर्थ/स्थानापन्न रूप से कार्यरत उन लेखपालों को जो प्रत्यावर्तित कर दिये गये हैं, को राजस्व निरीक्षक का वेतनमान दिये जाने का आधार नहीं है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (सु०का०) सेवा नियमावली 1977 की व्यवस्थानुसार केवल उन्हीं लेखपालों को जो वरिष्ठता के आधार पर उपयुक्त पाये जाते हैं, को सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ही राजस्व निरीक्षक पद पर प्रोन्नति दी जाती है।

114—श्री अजय कुमार पोइया–

[ 2सरे सोमवार में अता० प्र० सं०–135 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

**नोएडा के स्टेडियम के विभाजन की जानकारी**

115—डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या खेलकूद मंत्री को जानकारी है कि नोएडा के स्टेडियम को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विभाजित भाग को किसी व्यक्ति को आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या आधार है ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

नोएडा में खेलकूद विभाग का कोई स्टेडियम नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

116—श्री राम औतार शाक्य–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ]

**जनपद मुजफ्फरनगर, विकास खण्ड पुरकाजी, ग्राम भैसेरहेड़ी के ग्राम प्रधान को प्राथमिक विद्यालय/खड़ंजा के निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि में घपले की जांच**

117—श्री रणधीर सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम भैसेरहेड़ी, विकास खण्ड पुरकाजी के ग्राम प्रधान को प्राथमिक विद्यालय एवं खड़ंजा आदि के निर्माण कार्य हेतु कितना धन प्राप्त हुआ ? क्या यह सही है कि उक्त प्राथमिक विद्यालय एवं खड़ंजा का निर्माण कार्य मानक के अनुरूप नहीं था जिसकी प्रश्नकर्ता द्वारा शिकायत जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर से भी माह दिसम्बर, 1998 में की गयी थी ? क्या उक्त निर्माण कार्यों की जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

ग्राम भैसेरहेड़ी के प्रधान को वर्ष 1998-99 में प्राथमिक विद्यालय हेतु रुपया 1,33,000.00 की धनराशि एवं खड़ण्जा निर्माण हेतु वर्ष 1997-98 व 1998-99 में (विगत वर्ष के अवशेष सहित) रु० 1,08,867.00 की धनराशि दी गयी है।

जी हां।

निर्माण कार्य की जांच परियोजना निदेशक, जिला ग्राम विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा कराई गई । प्राथमिक विद्यालय के निर्माण कार्य में लगभग 10% ईंट द्वितीय श्रेणी की प्रयोग की गयी । प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी ईंटों की कीमत के अन्तर की धनराशि प्रधानाध्यापक एवं ग्राम प्रधान से वसूल करने एवं उन्हें दण्डित करने की कार्यवाही की जा रही है । खड़ण्जा निर्माण का कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप पाया गया ।

**जनपद आगरा के उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण के अधीन स्वीकृत संख्या से अधिक सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षकों को हटाये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

118—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, आगरा के अधीन स्वीकृत संख्या से अधिक सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षकों को हटाये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–3/1424/मथुरा/98, दिनांक 28-7-98 सचिव, कृषि को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

उप कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) आगरा के अधीन स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत 37 अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3 के कर्मचारियों को अन्यत्र तैनात कर समायोजित कर दिया गया है ।

119—120—श्री राम विशुन आजाद–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये ]

**प्रदेश में खाद बीज के संकट से निपटने हेतु कार्यवाही की मांग**

121—श्री समरपाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद बीज के संकट से निपटने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो कितने जमाखोरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

प्रदेश में रबी, 1998-99 में उर्वरकों का अभाव नहीं रहा है । अप्रत्याशित बाढ़/वर्षा के फलस्वरूप किसानों का बीज नष्ट हो जाने के कारण रबी में बीज के संकट से निपटने हेतु अन्य प्रदेशों/निजी उत्पादकों से बीज क्रय करके कृषकों को उपलब्ध कराया गया तथा भारतीय खाद्य निगम से गेहूं क्रय करके 38 जनपदों के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के लघु एवं सीमान्त कृषकों को निःशुल्क गेहूं बीज वितरित किया गया ।

उर्वरकों की जमाखोरी की सम्भावना को रोकने हेतु प्रदेश में उर्वरक व्यवसाइयों के यहां वर्ष 1998-99 में 53937 छापे डाले गये तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश–1985 के प्राविधानों के उल्लंघन में 189 व्यवसाइयों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, 791 व्यवसाइयों के उर्वरक विक्रय निबन्धन प्रमाण पत्र निलम्बित/निरस्त किये गये, 134 व्यवसाइयों को जेल भेजा गया तथा चार व्यवसाइयों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत निरुद्ध किया गया ।

बीजों के कुल 976 नमूने संकलित किये गये जिनमें से 216 नमूने अधोमानक पाये गये । सम्बन्धित बीज विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित है ।

**जनपद कुशीनगर, तहसील कसया, ग्राम भुलही पट्टी के निवासी श्री तुफैल अहमद पुत्र श्री इफ्तिखार अहमद की विवादित भूमि पर शासनादेश जारी किये जाने की मांग**

122—श्री जय प्रकाश निषाद–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के तीसरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–46 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि, तुफैल अहमद पुत्र श्री इफ्तिखार अहमद निवासी–भुलही मदरापट्टी, तप्पा–मैनपुर, परगना–सि० जोबाना, तह० कसया, जनपद कुशीनगर द्वारा सुन्दर पुत्र मोसरफ के चक संख्या 1006 (नया नम्बर–919) कुल रकबा दो एकड़ अट्ठावन डिसमिल में से अंश रकबा एक एकड़ दो डिसमिल का चकबन्दी के दौरान लिये गये पार्ट बैनामा दि० 8-6-88 पंजीकृत दिनांकित 26-12-88 वाले प्रकरण में पत्रावली में मौजूद राज्य सरकार की ओर से दाखिल प्रश्नोत्तर दिनांकित 16-3-98 के मद्देनजर क्या यह सही है कि सुन्दर पुत्र मोसरफ ने 5 सी परमिशन के लिये कोई प्रार्थना पत्र दिया ही नहीं था ? यदि हां, तो क्या राजस्व परिषद् के आर० डी० 1970 के पेज 311 (बी० आर०) नियमन के परिपेक्ष्य में उक्त भूमि को राज्य सरकार में निहित करने हेतु शासन स्तर से आदेश निर्गत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद मेरठ में मण्डी परिषद् द्वारा स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की जानकारी**

123—प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 में मण्डी परिषद्, द्वारा जनपद मेरठ में कितनी सड़कें स्वीकृत की गई ? क्या स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक यह सब कार्य पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

वर्ष 1998-99 में जनपद मेरठ के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा कोई सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

124—श्री राम विशुन आजाद–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**जनपद बरेली की सड़कों के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी**

125—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बरेली की सड़कों के निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि वित्तीय वर्ष 1998-99 में शासन द्वारा आवंटित की गयी है ? उसमें से कितनी धनराशि आंवला विधान सभा क्षेत्र को दी गई है ? क्या यह सही है कि प्रदेश के अन्य जनपदों हेतु स्वीकृत धनराशि की कटौती करके जनपद बरेली को सबसे अधिक धनराशि आवंटित की गई है ? यदि हां, तो किन-किन जनपदों की धनराशि काटी गयी है और क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं, वित्तीय वर्ष 1998-99 में प्राविधानित धनराशि से सड़कों के निर्माण हेतु किसी भी जनपद को कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है । अतः बरेली जनपद को सड़कों के निर्माण हेतु धनराशि आवंटित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद आजमगढ़ में डी० ए० पी० खाद उपलब्ध कराने की मांग**

126—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में रबी फसल की बुआई के लिये कुल कितनी डी० ए० पी० खाद आनी थी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद आजमगढ़ में सहकारिता क्षेत्र में कम डी० ए० पी० खाद तथा प्राइवेट क्षेत्र में अधिक डी० ए० पी० खाद दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में सहकारी क्षेत्र में अधिक खाद जनपद आजमगढ़ में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जनपद आजमगढ़ में रबी फसल की बुआई के लिये कुल 13940 मै० टन डी० ए० पी० खाद की आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित था ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश में रबी फसल की बुआई हेतु डी० ए० पी० खाद की प्राप्ति की जानकारी**

127—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 की रबी फसल की बुआई के लिये प्रदेश में कुल कितनी-कितनी मात्रा में डी० ए० पी० खाद सहकारिता क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र तथा एग्रो क्षेत्र को प्राप्त हुई ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

प्रदेश में रबी 98-99 में दिनांक 22-1-99 तक सहकारिता क्षेत्र में 255253 मै० टन, निजी क्षेत्र में 356049 मै० टन व एग्रो क्षेत्र में 56107 मै० टन तथा गन्ना क्षेत्र में 6700 मै० टन कुल 674109 मै० टन डी० ए० पी० खाद प्राप्त हुई ।

**प्रदेश में डी० ए० पी० खाद के अभाव तथा त्रुटिपूर्ण वितरण व्यवस्था को ठीक करने की मांग**

128—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि रबी की बुआई के समय प्रदेश में डी० ए० पी० खाद के अभाव तथा त्रुटिपूर्ण वितरण व्यवस्था के कारण रबी की फसल का उत्पादन प्रभावित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार डी० ए० पी० खाद की कमी को दूर करके वितरण व्यवस्था को ठीक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

रबी की बुवाई के समय कतिपय जनपदों से डी० ए० पी० खाद की कमी की सूचना प्राप्त हुई थी जिसकी पर्याप्त व्यवस्था करके कमी को दूर कर दिया गया है और इससे रबी का उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है ।

**प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यरत कृषि रक्षा अनुसंधान केन्द्रों में सुधार की मांग**

129—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जनपदों में कृषि रक्षा अनुसंधान केन्द्र कार्यरत हैं ? क्या सरकार जनपदों में स्थित कृषि रक्षा अनुसंधान केन्द्रों के कार्यों की समीक्षा करके उसके कार्य क्षमता में सुधार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

130–131—श्री राधेश्याम सिंह–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये ]

132—श्री राम औतार शाक्य–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ]

133—श्री राधेश्याम सिंह–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ]

**जनपद मथुरा के गोवर्धन में जल प्लावन तथा निकासी की व्यवस्था विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

134–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र मथुरा के जल प्लावन तथा जल निकासी की व्यवस्था विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक : सी० एम०/वि० को०/एम–3/17784/मथुरा/98, दिनांक 2-11-98 आयुक्त, राहत को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

उक्त पत्र में उल्लिखित तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए जल प्लावन एवं जल निकासी हेतु रु० 6.00 लाख की धनराशि जनपद को अवमुक्त करते हुए जिलाधिकारी, मथुरा को निर्देशित किया गया है ।

135–136–श्री राधेश्याम सिंह–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये ]

137–डा० अशोक बाजपेयी––

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ]

**जनपद प्रतापगढ़, ब्लाक पट्टी, मगरौरा, आसपुरा, देवसरा को ऊसर सुधार निगम द्वारा ड्रेनों के निर्माण की स्वीकृति की जानकारी**

138–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी, मगरौरा, आसपुरा देवसरा को ऊसर सुधार निगम द्वारा ड्रेनों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है ? यदि हां, तो क्या इससे संबंधित सभी कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां,

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी, मगरौरा, आसपुरा, देवसरा में 41 ड्रेनों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है ।

जी नहीं, 25 ड्रेनों पर मृदा कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा 16 ड्रेनों पर कार्य प्रगति में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद चन्दौली के मुगलसराय में फ्यूल कम्पनियों की जानकारी**

139–श्री छब्बू पटेल–

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली 240–मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल कितनी फ्यूल कम्पनी है ? उनमें से कितनी चालू हालत में हैं और कितनी बन्द हैं ?

लघु उद्योग, निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री बाबू राम एम० काम०)–

जनपद चन्दौली 240 मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 09 फ्यूल कम्पनियां हैं । जो सभी कार्यरत हैं ।

**जनपद हरदोई, तहसील सण्डीला, विकास खण्ड बेंहदर, ग्राम सत्तार खेड़ा के निवासी श्री द्वारिका के भूमिहीन श्रेणी में आवंटित जमीन पर कब्जा दिलाये जाने की मांग**

140–श्री राजीव कुमार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–सत्तार खेड़ा, विकास खण्ड–बेंहदर, तहसील–सण्डीला, जनपद–हरदोई के निवासी श्री द्वारिका पुत्र श्री धरमू को भूमिहीन श्रेणी में आवंटित जमीन पर कब्जा दिलाये जाने के संबंध में उनका पत्रांक : 4600/98, दिनांक 14-12-1998 जिला अधिकारी हरदोई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

श्री द्वारिका पुत्र श्री धरमू निवासी ग्राम सत्तार खेड़ा मजरा गौरी सैयदतालिब वि० ख० बेंहदर, तहसील सण्डीला को आवंटित गाटा संख्या–693/क्षे० 0.600 हे० व गाटा संख्या–748 क/क्षे० 0.2870 हे० में से रकबा 0.1610 हे० पर दिनांक 1-1-99 को कब्जा दिला दिया गया है, गाटा सं०–748 क के शेष क्षे० 0.1260 है० पर वह पूर्व से ही काबिज था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

141–श्री राम प्यारे सिंह–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ]

142–श्री छोटे लाल गंगवार–

[ आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ]

**जनपद मेरठ, ग्राम महादेव में चकबन्दी कार्य पूर्ण होने की जानकारी**

143–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि सरधना विधान सभा क्षेत्र जनपद मेरठ के ग्राम महा में चकबन्दी प्रक्रिया सन् 1984-85 में प्रारम्भ हुई थी ? यदि हां, तो क्या चकबन्दी कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत ग्राम का धारा 4क (2) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 30-8-80 का सरकारी गजट में प्रकाशन से चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ हुई ।

जी नहीं ।

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित स्थगन आदेशों के कारण ।

**डी० ए० पी०, यूरिया, पोटाश खाद की बोरी/कृषि रक्षा दवाओं के प्रति पैकेट/डिब्बों पर दी गयी सब्सिडी की धनराशि की जानकारी**

144–श्री हीरालाल गौतम–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी० ए० पी०, यूरिया, पोटाश खाद की बोरी एवं कृषि रक्षा दवाओं के प्रति पैकेट, प्रति डिब्बा पर सरकार द्वारा कितनी-कितनी धनराशि की सब्सिडी वर्तमान रबी की फसल हेतु दी गयी है ? उक्त खादों एवं दवाओं की सब्सिडी के बाद जो मूल्य किसानों/उपभोक्ताओं को देना है, उसका रेट क्या निर्धारित किया गया है ? क्या खाद विक्रेता एवं दवा विक्रेता को खाद एवं दवा क्रय करने पर कैशमेमो काश्तकारों को दिलाने का निर्देश है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि कृषकों को कैशमेमो न दिये जाने से उनमें घोर असन्तोष व्याप्त है ? क्या मंत्री जी किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

भारत सरकार द्वारा वर्तमान रबी–98-99 में स्वदेशी, डी० ए० पी० पर रु० 220/- निर्यातित डी० ए० पी० पर रु० 170/- एवं पोटाश पर रु० 150/- प्रति बोरी अनुदान दिया जा रहा है । यूरिया पर कोई अनुदान अनुमन्य नहीं है । भारत सरकार से सहायतित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना एवं तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित जनपदों में बीज शोधन एवं कीट/रोग नियंत्रण हेतु छिड़काव पर 50% अनुदान दिया जा रहा है ।

डी० ए० पी० एवं पोटाश का फुटकर विक्री मूल्य क्रमशः 415/- तथा 185/- रुपये प्रति बोरी भारत सरकार ने निर्धारित किया है । इन दरों में देय बिक्रीकर सम्मिलित नहीं है ।

1—बीज शोधन में प्रयुक्त रसायनों पर 50% अनुदान ।

2—राई, सरसों, चना एवं अरहर की खड़ी फसल पर रसायनों के वास्तविक मूल्य का 50% अधिकतम रु० 100/- प्रति छिड़काव प्रति हेक्टेयर अधिकतम दो छिड़काव पर रु० 200 प्रति हेक्टेयर अनुदान ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । कैश्मेमो दिये जाने की पहले से ही व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद मेरठ में मण्डी परिषद् द्वारा स्वीकृत सड़कों के निर्माण की जानकारी**

145–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 में मण्डी परिषद् द्वारा जनपद मेरठ में कितनी सड़कें स्वीकृत की गयी ? क्या स्वीकृत सड़कों का निर्माण पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

वर्ष 1998-99 में जनपद मेरठ के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा कोई सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बाराबंकी के परगना व तहसील रुदौली स्थित ग्राम सभा फिरोजपुर के कतिपय चकों के मध्य नाली हेतु प्रदिष्ट भूमि का विवरण**

146–श्री राम शंकर पाल–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के आठवें गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–146 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चक संख्या 910 को प्रदिष्ट नाली के लिये किन-किन गाटा संख्याओं से कितना-कितना रकबा लिया गया है ? प्रदिष्ट नाली हेतु ली गयी भूमि का क्षेत्रफल क्या है ? क्या नाली की मौके पर पैमाइश करके चकदारों को अवगत कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त प्रदिष्ट नाली की पैमाइश कराकर चकदारों को अवगत कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

गाटा संख्या–1635 मि०, 1636 मि० तथा 1637 मि० की क्रमशः 16 विश्वांसी, 10 विश्वांसी तथा 4 विश्वांसी (कुल 1 बिस्वा 10 विश्वांसी) भूमि चक संख्या–910 को नाली के मद में प्रदिष्ट किया गया है ।

जी हां । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

147–श्री राम औतार शाक्य–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ]

**जनपद उन्नाव, बांगरमऊ में गंगा नदी में आयी बाढ़ से पीड़ित गांववासियों को पुनर्स्थापन हेतु सहायता प्रदान करने की मांग**

148–श्री राम शंकर पाल–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1998 में गंगा नदी में आयी बाढ़ से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बांगरमऊ जनपद उन्नाव के तीन गांव खग्गापुरवा आदि गंगा में विलीन हो गये थे ? यदि हां, तो क्या गांव के निवासियों को अब तक पुनर्स्थापित करने के लिये कोई सहायता राशि दी गयी ? क्या विस्थापितों को आवासीय भूमि आवंटित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

वर्ष 1998 में गंगा नदी में आयी बाढ़ से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बांगरमऊ, जनपद उन्नाव के ग्राम खग्गापुरवा एवं हिन्दूपुर पूर्णतया गंगा नदी में विलीन हो गये थे तथा ग्राम कटरी गदनपुर आहार का आंशिक भाग गंगा नदी से कट गया था ।

गांव के निवासियों के पुनः स्थापित करने हेतु दैवी आपदा कोष से कुल रु० 3,03,000/- की धनराशि गृह अनुदान के रूप में वितरित की गई है ।

ग्राम कटरी गदनपुर आहार के 73 व्यक्तियों को आवास स्थल आवंटित कर दिया गया है । ग्राम खग्गा पुरवा व हिन्दूपुर के विस्थापितों को आवास आवंटन की कार्यवाही की जा रही है ।

**जनपद मथुरा, कृषि मण्डी समिति में श्री नानक चन्द्र को नीलामी के उपरान्त धनराशि जमा न करने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की जानकारी**

149–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा स्थित कृषि मण्डी समिति मथुरा में नानक चन्द्र पुत्र जगन्नाथ प्रसाद निवासी पुरा पोस्ट मगोर्रा, जिला मथुरा को नीलामी के उपरान्त दिनांक 29-9-98 तक धनराशि जमा न किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि०को०/एम–3/16082/मथुरा/98, दिनांक 14-9-98 निदेशक, परिषद् को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र पर संभागीय उपनिदेशक (प्र०) मण्डी परिषद् आगरा से जांच आख्या प्राप्त की गई थी । आवंटन समिति द्वारा दुकान सं०–31 का आवंटन श्री नानक चन्द्र के पक्ष में करने का निर्णय दिनांक 19-1-99 को लिया गया । तदनुसार मण्डी समिति द्वारा फर्म को आवंटन की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करके कब्जा प्राप्त करने हेतु सूचित कर दिया गया है ।

150–श्री श्याम किशोर यादव–

[ सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ]

**जनपद मेरठ के भट्टों को चालू कराने को मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र पर प्रमुख सचिव, पर्यावरण द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी**

151–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के भट्टों को चालू कराने के संबंध में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम– 3/12713/मथुरा/98, दिनाक 1-7-98 प्रमुख सचिव, पर्यावरण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

जी हां ।

प्रकरण की जांच एक समिति द्वारा कराई गई । समिति की संस्तुति प्राप्त हो गई है एवं उक्त संस्तुति पर कार्यवाही विचाराधीन है ।

(समय 1.00 बजे)

**नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं**

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 18 फरवरी, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं ।

(श्री भारत सिंह रावत, डा० सरजीत सिंह डंग, श्री विजय पाल सिंह, श्री राम नक्षत्र, श्री अजय कुमार पोइया,, श्री दद्दू प्रसाद, श्री आर० के० सिंह पटेल के नाम पुकारे गये । डा० सरजीत सिंह डंग, श्री आर० के० सिंह पटेल अनुपस्थित थे । अनुपस्थित सदस्यों की सूचनाओं को छोड़कर शेष उपस्थित 5 सदस्यों की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

**जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड जयहरीखाल, यमकेश्वर एवं रिखनीखाल में आदमखोर बाघों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री भारत सिंह रावत–

[मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड जयहरीखाल, यमकेश्वर एवं रिखनीखाल के कई गांव में कई महीनों से आदमखोर बाघों के द्वारा कई बच्चे, पुरुष एवं महिलायें मार दी गई हैं । गांवों में भय एवं आतंक व्याप्त है । वन विभाग द्वारा आदमखोर बाघों को मारने एवं पकड़ने में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है । आदमखोर बाघों द्वारा मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है । जनता में निराशा भय एवं आतंक व्याप्त है ।

अतः आपसे निवेदन है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन को आदमखोर बाघों को मारने एवं पकड़ने के लिये निर्देशित किया जाय एवं मृतक आश्रितों को मुआवजा दिलाने की कृपा करें । ]

**आगरा के कतिपय मोहल्लों में नालों की सफाई न होने से व्याप्त गंदगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

* श्री विजय पाल सिंह–

[मान्यवर, नगर निगम आगरा में नालों का उफान व गन्दगी का साम्राज्य है नगर आगरा में ताजमहल सिकन्दरा, दयालबाग मंदिर आदि पर्यटक स्थल होने के कारण प्रति वर्ष करोड़ों विदेशी व भारतीय पर्यटकों के आवागमन के बावजूद आगरा नगर की दयनीय स्थिति होना एक खेद का विषय है। जबकि इन पर्यटक स्थलों से भारी आय होती हैं उदाहरण बतौर मोहल्ला तोता का ताल (लोहा मण्डी)

---

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कैनरा बैंक से मदिया कटरा पेट्रोल पम्प वाया सिन्धी गुरुद्वारा मार्ग की हालत अत्यन्त दयनीय होने के कारण जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

यही स्थिति डलावधर व सैय्यदपाड़ा मदिया कटरा नाले की सफाई न होने के कारण नाले का मैला सड़कों पर भर जाता है तथा डलावधर का निर्माण न होने से कूड़ा सड़क पर डाला जाता है। जबकि उक्त स्थल से फतेहचन्द्र इण्टर कालेज व कैनरा बैंक अत्यन्त नजदीक हैं तथा मुख्य मार्ग होने से आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है तथा साथ ही बीमारी को बुलावा दिया जा रहा है, यह एक निन्दनीय विषय है जबकि उक्त समस्या से सम्बन्धित लगभग दो माह पूर्व दिसम्बर, 1998 में माननीय नगर विकास मंत्री जी को एक पत्र भी दिया था परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह एक खेद का विषय है।

अतः उक्त गम्भीर समस्या को देखते हुए सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं। ]

**गोरखपुर मण्डल में स्वास्थ्य विभाग में हुई फर्जी नियुक्तियों एवं कथित गबन में संलिप्त अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

* श्री राम नक्षत्र–

[ मान्यवर, मैं आप की अनुमति से गोरखपुर मण्डल के जनपदों में स्वास्थ्य विभाग में हुई फर्जी औषधि लाइसेंस जारी करने, फर्जी नियुक्ति, गबन के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जांचोपरान्त फर्जी औषधि लाइसेंस, फर्जी नियुक्ति एवं गबन में दोषी पाये गये अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य, गोरखपुर ने शासन एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को अपने पत्र संख्या–953, दिनांक 20-4-96 पत्र संख्या–1424–25, दिनांक 11-5-98, पत्र संख्या–8863, दिनांक 01-10-98 तथा पत्र संख्या–10807 दिनांक 23-10-98 द्वारा रिपोर्ट भेजते हुए अनुशासनिक कार्यवाही का अनुरोध किया गया था, परन्तु अभी तक दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

सदन के संज्ञान में उक्त विषय लाते हुए मेरा अनुरोध है कि संदर्भित प्रकरण के सम्बन्ध में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कराकर सदन में वक्तव्य दिलाने के निर्देश देने की कृपा करें। ]

**मथुरा जनपद स्थित वृन्दावन टी० बी० सेनोटोरियम में शासन द्वारा आर्थिक सहयोग राशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री अजय कुमार पोइया–

[ मान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मथुरा जनपद में वृन्दावन टी० बी० सेनोटोरियम अस्पताल में क्षय रोग से पीड़ितों का निःशुल्क इलाज भर्ती होकर किया जाता है परन्तु दान-दाता एवं समिति अपना कार्य सेवाभाव से कर रही है परन्तु शासन अपने अंश को जो निर्धारित था बढ़ाये जाने का निर्णय जनहित में लेना चाहिए, इसके विपरीत अपना अंशदान देना बन्द कर दिया है जिसके कारण जिला चिकित्साधिकारी, मथुरा के माध्यम से भेजे जाने वाले रोगियों को नहीं लिया जा रहा है तथा रोगियों की भर्ती की भी संख्या नगण्य होती जा रही है,

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वहीं कर्मचारियों को आवासीय सुविधाओं के साथ अन्य कल्याणकारी योजनायें जो लागू होनी हैं, उन पर क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है प्रशासन शासन द्वारा जानबूझकर जो कि आगरा मण्डल में मात्र एक सुव्यवस्थित अस्पताल है उजाड़ने पर अग्रसर होता जा रहा है।

अतः आपके माध्यम से सदन से मांग करता हूं कि वृन्दावन टी० बी० सेनोटोरियम अस्पताल में शासन द्वारा दिये जाने वाले अंश में बढ़ोत्तरी करके दस वर्ष पूर्व भर्तियां क्षय रोग के पीड़ितों का लक्ष्य निर्धारित होकर पूर्णतः बिस्तर एवं दवाएं जनहित में उठाये जाने के साथ कर्मचारियों को भी शासन-प्रशासन कल्याणकारी योजनाओं के साथ आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर करने का कष्ट करें। ]

**थानाध्यक्ष, मानिकपुर, जिला चित्रकूट द्वारा दमनात्मक जन विरोधी कार्यों की सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री दद्दू प्रसाद–

[मान्यवर, थानाध्यक्ष मानिकपुर, जिला चित्रकूट की दमनात्मक जनविरोधी कार्यों से क्षेत्रीय जनता में असन्तोष व आक्रोश व्याप्त है। उक्त व्यक्ति थाना मानिकपुर में वर्ष 1993 से तैनात है। इनका संरक्षण पाकर दस्यु ददुवा गिरोह अनेकों वारदातें करता रहता है, यही नहीं दस्यु रम्पा गिरोह भी थानाध्यक्ष मानिकपुर की छत्रछाया में पल रहा है। गिरोहों तथा अपराधियों को संरक्षण देना तथा निर्दोषों को झूठे केसों में फंसाकर जेल भेजना कमल सिंह की आदत बन चुकी है कुछ उदाहरण निम्न हैं :—

1—थानाध्यक्ष मानिकपुर, थानाध्यक्ष बरगढ़ ने अपने आठ सिपाहियों के साथ मिलकर दिनांक 1-8-98 को ग्राम चमरौहां थाना मानिकपुर में तीन निर्दोष व्यक्तियों श्री अम्बिका दुबे पुत्र श्री होरिल निवासी ग्राम चमरौहां थाना मानिकपुर व श्री केदार उर्फ देलौहा पुत्र श्री राम सलेने निवासी ग्राम औंझर थाना मऊ व श्री रविशंकर पुत्र श्री रजवा निवासी ग्राम रगौली, थाना कोतवाली कर्वी को दस्यु ददुआ गिरोह से सांठ-गांठ करके हत्या कर दी थी। थाना जी० आर० पी० मानिकपुर में मुकदमा अपराध संख्या–2/99 धारा 364/201/302 दर्ज है। परन्तु थानाध्यक्ष मानिकपुर को गिरफ्तार नहीं किया गया जो कि निष्पक्ष विवेचना को प्रभावित कर रहा है।

2—श्री धर्मपाल निवासी ग्राम खरोंध, थाना कोतवाली कर्वी को मारपीट कर फर्जी केस लगाकर नवम्बर, 1998 में श्री कमल सिंह ने जेल भेज दिया था।

3—दिनांक 6-2-99 को ग्राम सिगवा, थाना मानिकपुर के श्री जंगीलाल पुत्र श्री काशी प्रसाद को पकड़ लाया विस्फोटक अधिनियम का झूठा केस लगाकर जेल भेज दिया। लगभग 50 लोग जिलाधिकारी, चित्रकूट कार्यालय के समक्ष कमल सिंह यादव की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे रहे।

4—श्री छोटा, निवासी ग्राम सिद्धपुर थाना कोतवाली कर्वी को कमल सिंह यादव एक माह पहले घर से पकड़ ले गया था, मारपीट कर थाना मानिकपुर में बंद किया कभी भी उसका इन्काउन्टर कर सकता है।

थानाध्यक्ष, मानिकपुर की उपरोक्त वारदातों से क्षेत्रीय जनता में तीव्र आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के उपरोक्त सभी प्रकरणों की जांच सी० बी० सी० आई० डी० से कराने तथा निष्पक्ष जांच हेतु उक्त थानाध्यक्ष, मानिकपुर का स्थानान्तरण इलाहाबाद जोन से बाहर करने हेतु शासन का ध्यानाकर्षण करने की कृपा करें।]

---

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

## औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 18-2-99 को नियम 300 के अन्तर्गत कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री कौकब हमीद, श्री जगदम्बिका पाल की विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदर में जनपद के प्रभारी मंत्री द्वारा पिच मार्ग का शिलान्यास भाजपा के पूर्व विधायक द्वारा कराये जाने के बारे में है । इसमें श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी बोल लें ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, कल माननीय अधिष्ठाता ने यह घोषणा की थी कि नियम 300 की सूचना आज ले ली जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं देख लेता हूं ।

## विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदर में जनपद के प्रभारी मंत्री द्वारा पिच मार्ग का शिलान्यास भा०ज०पा० के पूर्व विधायक द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, यह सवाल इस आदरणीय सदन की मर्यादा और विधायकों के सम्मान से जुड़ा हुआ है । माननीय अध्यक्ष पीठ से अनेक अवसरों पर इस आशय के निर्देश हुए हैं कि विकास की योजनाओं में सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र के निर्वाचित विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी और दलीय आधार पर किसी के साथ भेद-भाव नहीं किया जायेगा । संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अनुसार राज्य मंत्रि-परिषद् इस सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है । लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन इलाकों में, जहां विपक्ष के मा० विधायक हैं, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ही नहीं, बल्कि मंत्रि-परिषद् के माननीय मंत्रियों द्वारा भी इन निर्देशों और समय-समय पर जारी शासनादेशों की अवहेलना करके, संवैधानिक व्यवस्था स्थापित परम्पराओं और इस सम्मानित सदन की मर्यादा के विपरीत आचरण कर रहे हैं ।

मान्यवर, बड़े दुख के साथ विनती करना चाहता हूं कि 10 अगस्त, 1998 को मेरी अनुपस्थिति में मेरे विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदर के अन्तर्गत जनपद देवरिया के मा० प्रभारी मंत्री श्री राधे श्याम गुप्त जी ने दो सड़कों पर शिलान्यास के शिलापटों पर अपना नाम अंकित कराया है मेरे क्षेत्र के सत्तारूढ़ दल के एक भूतपूर्व विधायक का नाम भी अंकित कराकर सम्बन्धित विभागों द्वारा जबरन लगवाया । (विपक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें) मैंने इसकी शिकायत विगत सितम्बर, 1998 में माननीय मुख्य मंत्री जी से की थी उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि वह अपने मंत्री को मर्यादित और अनुशासित करेंगे और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे ।

मान्यवर, लेकिन विगत जनवरी की 17 तारीख 1999 को लखनऊ से माननीय प्रभारी मंत्री जी का सरकारी कार्यक्रम जिला प्रशासन को गया जिसमें पुनः पी० डब्लू० डी० द्वारा निर्मित मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो सड़कों के शिलान्यास के सम्बन्ध में इस बात का उल्लेख किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के उसी भूतपूर्व विधायक की अध्यक्षता में शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे और जिला प्रशासन के माध्यम से लोक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खण्ड के अधिशासी अभियन्ता को बुलाकर दबाव डाला (इस समय 1 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए) गया कि 17 जनवरी को माननीय मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व विधायक की अध्यक्षता में शिलान्यास का कार्यक्रम

करेंगे इसलिए इस आशय का शिलापट लिखवाकर दोनों सड़कों पर लगायें । श्रीमन्, मैंने प्रयास किया, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी से टेलीफोन से सम्पर्क करने का, किन्तु सम्पर्क नहीं हो सका । जिला प्रशासन पर दबाव डालकर पी० डब्लू० डी० से उसे कराने की साजिश की गयी तो मुझे विवश होकर 15 जनवरी को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जिलाधिकारी, देवरिया के आवास के समक्ष करना पड़ा । मान्यवर, जब मेरे जैसे सदस्य को इस सम्मानित सदन को संसदीय लोकतंत्र की मान्य परम्पराओं के रक्षार्थ गांधी जी के उस भूख हड़ताल जैसे अस्त्र को अख्तियार करना पड़ा तो मैं नहीं मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में विधि का राज्य कायम है । जो लोग अपने आपको लोकतांत्रिक कहते हैं जिनके अन्दर असहमति बरदाश्त करने की क्षमता नहीं है तो कैसे लोकतंत्र चलेगा ? उनका फासिस्ट आचरण यह है कि वह जबरदस्ती पूरे प्रदेश में यह संदेश देना चाहते हैं कि जो भी विकास के कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें विपक्ष का कोई योगदान न हो इसलिये प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय व्यक्तियों और अपने भू०पू० विधायकों के नाम लिखवायेंगे । श्रीमन्, जबरन शिलापटों पर प्रदेश सरकार निर्वाचित विधायकों की प्रासंगिकता को खत्म करने की साजिश कर रही है । क्षेत्र के अन्दर होने वाले विकास कार्यों का श्रेय नव निर्वाचित विधायकों को नहीं मिलेगा तो उनकी क्षेत्रीय विकास कार्यों में रुचि खत्म हो जायेगी और यह बात आने वाले दिनो के लिये बहुत खतरनाक साबित होगी । इसलिये बहुत पीड़ा और दुःख के साथ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आज यह उत्तर प्रदेश की सरकार लोक-लाज के प्रति बिल्कुल निर्लज्ज हो गयी है । जो हमारी स्थापित परम्परायें हैं, जो संसदीय मान्यताएं हैं, आज उन की खुली अवहेलना उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है । इसलिए मैं बड़ी विनती के साथ कहना चाहता हूं कि इस सदन की प्रतिष्ठा की हिफाजत के लिये और इस सदन में बैठे माननीय सदस्यों के सम्मान और प्रतिष्ठा की हिफाजत के लिये मैं चाहता हूं कि जो शासनादेश इसी सरकार ने विभिन्न अवसरों पर जारी किये हैं, उनका पालन कराया जाय । आज इस मंत्रि-मंडल के मा० मंत्रियों द्वारा संवैधानिक व्यवस्थाओं और सदन में मा० अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशों की खुली अवहेलना की जा रही है । आज राज्य का मंत्रि-मंडल जिसने संविधान की शपथ लिया है वह मंत्रि-मंडल इस मा० सदन की अवमानना कर रहा है, विशेषाधिकार का हनन कर रहा है । इस औचित्य के प्रश्न पर आपसे स्पष्ट निर्देश और व्यवस्था की विनती करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय श्रीवास्तव जी ने कदाचित अपनी विवशता, अपनी वेदना और स्पष्ट संवैधानिक पहलू सब स्पष्ट कर दिये हैं । मान्यवर, यह प्रश्न सम्पूर्ण विधान सभा की गरिमा का है, विधायक की गरिमा का है, विकास कार्य में अगर शिलान्यास होता है, उद्घाटन होता है तो जनता का विश्वास प्राप्त जो जनप्रतिनिधि है, उसकी भागीदारी तक नहीं है और एक व्यक्ति जिसे जनता नकार चुकी है उसे इसलिए थोप दिया गया क्योंकि वह उस राजनीतिक दल का है जिसकी सरकार है । मैं समझता हूं कि यह अत्यन्त दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत परिपाटी है ।

मैं अपेक्षा करूंगा, आग्रह करूंगा कि इसमें परम्पराएं और परिपाटी देखें, विधायकों से प्रश्न को देखें, इसमें मेरा आग्रह और विनती है कि इस तरह के निर्देश शासन को जायं कि कहीं विकास कार्य अगर सम्बन्धित विधायक के क्षेत्र में होता है और वहां शिलान्यास या उद्घाटन का कार्यक्रम करवाया जाय तो प्राथमिकता उसको मिलनी चाहिए । कोई नई परम्परा आप नहीं डालेंगे ऐसे बार-बार आदेश दिये गये हैं लेकिन मौजूदा सरकार की स्थिति यह है कि वह न विधायकों का सम्मान करती है न मंत्रियों का ही सम्मान करती है । मान्यवर, आज मंत्रियों की बात कोई अधिकारी नहीं सुनता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है और कोई मंत्री विधायकों की बात नहीं सुनता है । इस तरह से प्रदेश में और देश में पूरी तरह से लोकतंत्र समाप्त हो गया है तथा तानाशाही पैदा हो गयी है ।

मान्यवर, प्रश्न यह है कि क्या आप विधान सभा में विधायकों के मर्यादा की रक्षा करेंगे कि नहीं, यह प्रश्न आप के सामने है ? मान्यवर, आप अपने विवेक से विधायकों के मान और सम्मान का ध्यान रखते हुए कड़े निर्देश दें कि जिस किसी मंत्री ने विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किया तो उसे सदन के सामने क्षमा याचना करनी होगी । मान्यवर, आप से मेरा आग्रह है कि भविष्य में इस तरह के दुर्व्यवहार की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत ही महत्व का विषय है क्योंकि इससे सदन के माननीय सदस्यों से सीधा इसका सम्बन्ध है । मान्यवर, हमेशा नियम, कानून, व्यवस्था, परिपाटी एवं प्रस्तावित और स्थापित मूल्यों से यह सदन संचालित होता है । लेकिन जिस तरीके से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों द्वारा पूर्व में स्थापित मूल्यों को समाप्त करने के लिये यह सरकार और उसके मंत्री अराजकता पर आमादा हैं उससे सारी व्यवस्थायें टूट रही हैं और यह केवल माननीय श्रीवास्तव जी के ही क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सभी पार्टियों के माननीय सदस्यों, फिर वह चाहे बहुजन समाज पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे जनता दल अथवा लोकदल के माननीय सदस्य हों सभी के साथ इस प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है और दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही की जा रही है ।

मान्यवर, जगह-जगह पर बचकानी हरकतों के माध्यम से चाहे वह विपक्षी विधायक हों उनके सम्मान को आघात पहुंचाया जा रहा है । साथ ही साथ उनके क्षेत्रों में जनता के बीच में यह भी साबित करने का काम किया जा रहा है कि विपक्ष का कुछ भी मतलब नहीं होता है । सरकार सभी कुछ होती है और वह जब चाहे अपना काम करवा सकती है । जो प्रजातंत्र के लिये बहुत ही घातक है । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर तत्काल ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे कि इस तरह की घटनायें न हों क्योंकि यदि इसी प्रकार माननीय सदस्य अपमानित होते रहेंगे तो यह उत्तर प्रदेश की जनता का सम्मान कैसे बढ़ा सकते हैं । माननीय सदस्यों के क्षेत्र में जो विकास कार्य, उनके प्रयासों से हो रहा है, उस सहभागिता से उनको बाहर करके सरकार सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है, यह बहुत ही शर्मनाक है । मैं तो कहना नहीं चाहता था लेकिन मेरे भी क्षेत्र में एक ऐसा मामला हुआ, जिसे मैं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा । एक पंचायत भवन घर था, जिसका मैंने शिलान्यास किया था ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना एक विशेष प्रकरण के सन्दर्भ में की गई है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

विषय वही है, मैं दृष्टान्त बताना चाहता हूं । वहां पर जिला प्रशासन ने भाजपा के जो प्रत्याशी मुझसे हारे थे, उसके इशारे पर रात में शिलान्यास का पत्थर तुड़वा दिया और इसको तो जाने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण और हारे हुए एम० एल० ए०, एम० पी० अपना पत्थर लगवाने के लिये, जो पत्थर पिछले 20 वर्षों से लगे हुए हैं, उनको भी तुड़वा करके अपने नाम का नया शिलापट लगवा रहे हैं, यह बहुत ही शर्मनाक है । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ताकि सदन की गरिमा बनी रहे, माननीय विधायकों के सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वह समाप्त हो सके और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार की बचकानी हरकतों पर अंकुश लगाने के लिये आप व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे माननीय विधायकों के सम्मान की रक्षा हो सके ।

*श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, यह प्रश्न सरकार का भी है और विपक्ष का भी है। जो धन हम यहां से पास करते हैं, वहीं जाकर विकास कार्यों पर लगता है। मैं इनकी दिक्कत समझ सकता हूं, इतना बड़ा मंत्रिमण्डल है, तकरीबन 90–100 के बीच मंत्री हैं, यह आखिर करें तो क्या करें, दो चार को छोड़कर किसी के पास कोई काम तो है नहीं, इसलिये उन्होंने यह सोच लिया कि चलो किसी के यहां भी चले चलो और जाकर पत्थर लगा आये। जो आज विधायक नहीं हैं, जो अब नहीं रहे, उनके नाम से अब पत्थर लगाना तो ठीक नहीं है या जो पत्थर 20 साल पहले लगा था, उसको उखाड़ना भी गलत है। दो-चार जगह तो ऐसा हुआ कि जिनकी हिम्मत वहां जाने की नहीं पड़ी, उन्होंने सड़क कहीं और से शुरू करके अपने नाम का पत्थर लगवा दिया। यह प्रकरण सदन में कई बार उठ चुका है और आपकी पीठ से आदेश भी हुए हैं, जो उस समय के नेता सदन थे, उनसे भी आश्वासन मिला है, लेकिन आज तक इस पर कोई अंकुश नहीं है।

मान्यवर, माननीय अधिष्ठाता महोदय मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि आपकी पीठ से व्यवस्था हो जाय कि आइन्दा ऐसा नहीं होगा। प्रकरण उठाया गया है कि मंत्री जी गये थे, तो वह क्षमा याचना कर लें, सारी बात समाप्त हो जाये। उनसे कहा जाये कि अगर वह पत्थर लगाना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र में लगायें, अगर पत्थर लगवाना चाहते हैं तो अलीगढ़ चले जायें।

*संसदीय कार्य, मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, औचित्य के प्रश्न के रूप में एक घटना का उल्लेख किया गया है और संविधान से लेकर नियमावली और परम्पराओं और स्वस्थ परम्पराओं, सभी का उल्लेख किया गया है। मान्यवर, मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि जो प्रभारी मंत्री थे, अगर उन्होंने शिलान्यास किया है, तो उन्होंने किस परम्परा का उल्लंघन कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि हम यहां पर संख्या बल के आधार पर बैठे हैं, ऐसे ही नहीं बैठे हैं, मैं नहीं समझ पाया कि यह कौन सी नयी परम्परा हो गयी कि उन्होंने शिलान्यास कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर स्थानीय विधायक नहीं पहुंचे, वह मौजूद रहे होंगे, लेकिन पहुंचे नहीं, वह होते तो समस्या का समाधान हो सकता था, मान्यवर, इतनी बड़ी बात नहीं थी, जितनी यहां पर कही गयी है।

(व्यवधान)

आप हमारी बात को सुन तो लें, आपकी बात को तो मैं सुनता रहता हूं।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

अगर वह कार्यक्रम किसी क्षेत्रीय विधायक की उपस्थिति में होता।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मेरी इतनी प्रखर बुद्धि नहीं है। आप उपस्थित नहीं होंगे और उपस्थिति दर्ज करा दी जायेगी, क्या उपस्थिति के लिये प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, आप वहां पर जायेंगे नहीं, ताकि औचित्य का प्रश्न उठा सकें।

मान्यवर, शिकायत यह है कि प्रभारी मंत्री जी ने कैसे उद्घाटन कर दिया। मान्यवर, पूर्व विधायक को छोड़ दीजिये कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी सामाजिक या राजनीतिक कार्यकर्ता भी उद्घाटन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर सकता है । यह कोई किसी का अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वह ही शिलान्यास करेगा यह लोकतंत्र के प्रतिकूल है, यह विधायकों का छोटापन है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आज यह सरकार समूचे नियमों का उल्लंघन कर रही है । मेरे प्रयास से वे कार्य स्वीकृत हुए हैं । मैं उस क्षेत्र का निर्वाचित प्रतिनिधि हूं । मुझे पूछा तक नहीं गया और भारतीय जनता पार्टी के एक्स एम० एल० ए० के नाम से शिलान्यास करा रहे हैं । मा० मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इसकी जांच करायेंगे । आप श्रीमन्, इसकी निष्पक्ष जांच करा दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह परम्परा देखिये कि मैं बोल रहा हूं और आप भी [illegible] । जैसे मैंने सुना वैसे आप भी बैठे रहें और सुनें, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिये । उत्तर प्रदेश विधान सभा की नियमावली के किसी नियम की अवहेलना नहीं हुई है और न किसी निर्देश की अवहेलना हुई है । यह कहीं भी परम्परा नहीं है कि केवल किसी क्षेत्र के विधायक की मौजूदगी में ही कोई कार्यक्रम सम्पन्न होगा । ऐसी किसी परम्परा का उल्लेख कर दें मैं आपकी बात मान लूंगा । अपने तर्क को कुतर्क के आधार पर पेश करना चाहते हैं और आश्वासन लेना चाहते हैं यह मेरे लिये सम्भव नहीं है । यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, इसको समाप्त किया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय मंत्री जी अहंकार में भरकर जवाब दे रहे हैं । मंत्री न होते तो शायद विधायकों की पीड़ा और सम्मान को समझते । प्रश्न यह नहीं है कि मंत्री जी ने उद्घाटन किया । जब तक वह मंत्री हैं उद्घाटन करें या शिलान्यास करें जो चाहे करें । लेकिन माननीय सदस्य की पीड़ा यह है कि उनके क्षेत्र का मामला था और उनको उसमें सम्मिलित करना चाहिए था और उनसे कराना चाहिए था । जो इनसे चुनाव हार चुके हैं, एक कार्यक्रम की अध्यक्षता उनसे करायी जाय इससे ज्यादा अपमान विधायक का और हो नहीं सकता । अहंकार में डूबकर, रावण का भी नाश हुआ था और इनका भी नाश होगा इसको कोई रोक नहीं सकता है । यह कह रहे हैं कि कोई साधारण व्यक्ति भी कर सकता है । लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिसको चुनाव में जनता ने कूड़ेदान में फेंक दिया हो उसको कूड़ेदान से निकालकर अध्यक्षता कराने की परम्परा नहीं है । बीच में माननीय सदस्य 3–4 चुनाव हार गये थे इसलिये नहीं मालूम है ।

इसी विधान सभा में अध्यक्ष पीठ से 3-4 बार निर्देश जारी हुए हैं कि विधायकगण नहीं करेंगे सरकारी अधिकारी नहीं कर सकते । मंत्रियों को निर्देश दिये गये हैं कि विधायकों को सूचना होनी चाहिए और उनको ऐसे अवसर पर सम्मिलित करना चाहिए । यह जिद कर रहे हैं, जिद तो कुछ दिन चल जायगी लेकिन परम्पराओं का हनन होगा । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस पर आप क्या जवाब देंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं । एक पूर्व मुख्य मंत्री थीं अनेक शिलान्यास कर आयीं विधायक और सांसद को पूछा तक नहीं और आज आप परम्पराओं की बात कर रहे हैं । यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है । रावण का सत्यानाश कौन करेगा, करेंगे तो राम राज्य वाले ही ।

श्री प्रमोद कुमार–

रावण सत्ता में है, राम सत्ता से विरत हैं । इस समय रावण कौन है ?

श्री हुकुम सिंह–

कुछ चले गये हैं कुछ बैठे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

लोकतंत्र मे जिसे जनता राम बना देती है वह राम बन जाता है जिसे रावण बना देती है वह रावण बन जाता है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी शिलान्यास या उद्घाटन किये होते तो कोई एतराज नहीं था, एतराज पूर्व विधायक से, वर्तमान विधायक की उपेक्षा करके उद्घाटन कराया गया । अभी जिन पूर्व मुख्य मंत्री का हवाला दिया गया उन्होंने किसी विधायक या सांसद से कोई उद्घाटन नहीं कराया । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी पूर्व विधायक से नहीं कराया, शिला पट्ट पर उसका नाम नहीं लिखा गया । मैं यह चुनौती देता हूं कि इस बात को साबित कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 300 के अन्तर्गत श्री प्रमोद कुमार, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री कौकब हमीद तथा संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, प्रश्नगत प्रकरण नियमावली के नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है अतः इसे अस्वीकार करता हूं ।

दूसरी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नियम 300 में नहीं आता है लेकिन सदन के माननीय सदस्यों के मान-सम्मान को देखते हुए आपकी पीठ से क्या कोई निर्देश नहीं आयेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपसे पहले ही निवेदन कर चुका हूं और पूरे सदन के सामने कर चुका हूं कि यह नियम 300 में नहीं आता है उसके बाद और निर्देश देने के लिये मुझे बाध्य तो नहीं कर सकते । मैं समझता हूं कि हम सबका कर्तव्य है चाहे प्रति पक्ष में बैठे हों या सत्तापक्ष के हों या मंत्रीगण हों, सदन के एक-एक माननीय सदस्य का सम्मान होना चाहिए । इसमें कोई दूसरा मत नहीं हो सकता । यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती इसलिये इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं विनयपूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि यह विधायकों के सम्मान से जुड़ा हुआ है । यहां जानबूझकर एक मंत्री भूतपूर्व विधायक से अध्यक्षता करा रहा है, वर्तमान विधायक सम्मिलित होना चाहता है, उसे कार्यक्रम में शामिल होने नहीं दिया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता ।

श्री प्रमोद कुमार–

[ × × × ]

---

नोट :– [ × × × ] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, चाहे सत्तापक्ष के या प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य हों, समूचे सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण का पुनीत दायित्व इस आदरणीय पीठ का है । हम आपसे यह संरक्षण चाहते हैं कि यह नियम 300 में आती है या नहीं लेकिन सम्पूर्ण विधायकों के सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ यह एक सवाल है । अगर आप सरकार को स्पष्ट निर्देश नहीं देंगे तो यह सरकार सदन के बाहर अधिनायकवादी आचरण कर रही है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान आया, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं, माननीय मंत्री जी शिलान्यास करें लेकिन क्षेत्रीय विधायक की उपस्थिति में माननीय मंत्री जी करें । इस बात की व्यवस्था अगर नहीं होगी तो इस सम्मानित सदन के सदस्यों की अस्मिता की हिफाजत कैसे होगी ? यह बहुत गम्भीर मामला है, कृपा करके सरकार को निर्देश दें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता जी इस पर मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, आपका संरक्षण चाहता हूं । मान्यवर, आप ऐसी पीठ पर हैं जहां से न्याय की अपेक्षा की जाती है । हम यहां कोई बात उठाते हैं तो यह उम्मीद करते हैं कि आपकी इस कुर्सी से हमें न्याय अवश्य मिलेगा । हमारी मंशा आपको मजबूर करने की या किसी प्रकार से सांसत में डालने की नहीं है परन्तु मान्यवर, आप ऐसा निर्देश दे दें, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें । आप अधिष्ठाता हैं और न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, उसकी एक गरिमा होती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इससे आप निर्देश दें । साथ ही साथ सम्मानित सदस्यों के सम्मान के साथ उपहास न किया जाए इसको आप सुनिश्चित करें ।

श्री अधिष्ठाता–

सभी माननीय सदस्यों के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए । यह निर्देश इस पीठ से बार-बार दिये गये हैं । मैं उनको पुनः दोहरा रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

यह सरकार विधायकों का अपमान कर रही है । जिनको जनता ने चुना है उनको हारे हुए विधायकों के नीचे किया जा रहा है ।

(इसी मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किसान कामगार पार्टी, जनता दल एवं बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े होकर नारे लगाने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

जो माननीय सदस्य खड़े हैं । वह अपने-अपने आसन पर बैठ जाएं । आपके आग्रह से पहले ही मैंने यह बात कही है कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हों या विपक्ष के जनप्रतिनिधि हों सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं । सबका सम्मान होना चाहिए । उनके पद के अनुकूल सम्मान होना चाहिए । यह बात आपके कहने के पूर्व ही दोहराई गई है । मैं पुनः शासन से इस बात को कहे दे रहा हूं कि किसी विधायक के सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कोई बात न हो । उनके सम्मान और आदर की सुरक्षा की जाए ।

(इसी मध्य बहुजन समाज पार्टी, किसान कामगार पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं जनता दल के अनेक सदस्य वेल में आ गये एवं नारे लगाने लगे)

आप सभी माननीय सदस्य कृपया अपने-अपने आसन पर जाएं । मैंने सारी बात कह दी है ।

(श्री बुनियाद हुसैन अंसारी द्वारा रिपोर्टर्स की टेबिल के पास खड़े होकर पीठ की ओर कुछ कहने पर)

माननीय सदस्य, मैं आपके इस प्रकार के व्यवहार को ठीक नहीं समझता । मेरा एक निवेदन सुन लें । चूंकि एक प्रकरण का मामला था, मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि एक-एक माननीय विधायक, चाहे वह सत्ता पक्ष में बैठा हो या प्रतिपक्ष में बैठा हो, सबके सम्मान की सुरक्षा करना, विशेषकर कि जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं, मंत्री हैं और शासन के लोग हैं, उनकी है । कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें कई प्रकरण हैं..... (व्यवधान) आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते हैं ।

(विपक्ष के कई सदस्य वेल पर बैठे रहे तथा कुछ खड़े थे, जिस कारण सदन में घोर-व्यवधान रहा)

आप जो कह रहे हैं, वह अंकित नहीं किया जायेगा । यदि आप समझते हैं कि आपका यह व्यवहार संसदीय परम्पराओं के अनुकूल है तो आप करिये ।

(घोर व्यवधान के मध्य वेल में बैठे हुए विपक्षी सदस्य नारे लगाते रहे)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी आप अपनी सूचना पर अपने विचार रखें ।

(घोर व्यवधान)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, पहले सदन तो व्यवस्थित हो जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री प्रमोद कुमार जी बात कह रहे हैं, वह लिखी नहीं जायेगी । श्री मौर्या जी आप अपने सदस्यों को वापस आसन पर जाने के लिये कहें । जो कहा जा रहा है, वह प्रेस द्वारा भी नहीं प्रमाणित किया जायेगा और न ही लिखा जायेगा । मैं इस प्रकरण को समाप्त कर चुका हूं । मुझे जो निर्देश देने थे, वह मैं दे चुका हूं । माननीय श्री मौर्या जी यहां पर तो एक माननीय सदस्य के बारे में प्रकरण आया । मैंने तो कहा कि एक-एक माननीय सदस्य के सम्मान की सुरक्षा होनी चाहिए । केवल एक प्रकरण का सवाल नहीं है । मैंने तो एक व्यापक निर्देश दिये । पहले आप अपने आसन पर जायें, फिर अपनी बात कहें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पीठ से स्पष्ट निर्देश दिया जाता है और सरकार मानती नहीं है । वर्तमान विधायक को कार्यक्रम में बुलाया नहीं जा रहा है, उसकी भागीदारी नहीं हो रही है । एक विधायक पहले था, जिसे जनता ने ठुकरा दिया और नकार दिया, उससे आप अध्यक्षता करा रहे हैं । भूतपूर्व विधायक द्वारा अध्यक्षता करते हुए सरकारी कार्यक्रम में उसके नाम को अंकित किया गया है, यह कहां से अंकित हो गया ? उत्तर प्रदेश की सरकार किसी की [ × × × ] चलाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

कि इनके जिन लोगों को जनता ने ठुकरा दिया है, उन्हें सरकारी कार्यक्रम में.....

श्री अधिष्ठाता–

आप निर्देश देने के लिये बाध्य नहीं कर सकते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं तो अनुरोध कर रहा हूं ।

(कई सदस्य वेल में बैठकर नारे लगाते रहे)

---

नोट :– [ × × × ] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर चले जायं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इतना मेरा आग्रह स्वीकार कर लें कि भविष्य में जो भी कार्यक्रम होगा क्षेत्रीय प्रतिनिधि की उसमें भागीदारी सुनिश्चित होगी ।

(नारे लगाये जाते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

मौर्या जी, अपने दल के सदस्यों को कहें कि वे अपने स्थान पर चले जायं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हम आपके आदेश का अनुपालन करेंगे । आप सरकार को निर्देश दें कि वो भविष्य में तानाशाही न करें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं तो सारे सम्मानित विधायकों की प्रतिष्ठा की सुरक्षा की बात कर रहा हूं । माननीय सदस्यगण कृपया अपने स्थान पर जायं । जिन माननीय सदस्यों ने सूचना दी है उनको भी सुनने दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप उधर देख कर नहीं बोल रहे हैं । आप इनको डांटिये । इनको कहिये कि विधायकों के अधिकारों के खिलाफ न जायं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं तो आपका चेहरा देखकर ही निर्देश दे रहा हूं । माननीय सदस्य कृपा करके अपने स्थान पर जायं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं । आप इस सरकार को निर्देशित करें कि वह लोकतंत्रीय मर्यादाओं के अनुरूप आचरण करे । मैंने आपसे अपनी पीड़ा का उल्लेख किया है । आप स्वयं जांच करा लीजिये माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में पूर्व विधायक के नाम के शिलापट लगवाये गये ।

(सदस्यगण नारे लगाते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 2.30 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 54 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 2 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 45 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है । 2 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से नियम–300 के अन्तर्गत मैंने जिस प्रकरण की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट किया था, बार-बार आपसे अनुरोध किया गया कि प्रदेश सरकार इस सदन के सम्मानित सदस्यों के सम्मान की रक्षा नहीं कर रही है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस प्रकरण पर कोई स्पष्ट आश्वासन इस बात का भी नहीं दिया कि मंत्रि-मंडल के माननीय मंत्री द्वारा सदन के निर्देशों की

अवहेलना करके, स्थापित परम्पराओं की अवहेलना करके जो सदन के प्रति सामूहिक जवाबदेही है उसका उल्लंघन करके, जो काम मेरे क्षेत्र में किया गया है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी तथा उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। मैंने तो अपने क्षेत्र में घटित घटना का अभी एक उदाहरण देकर यह कह रहा हूं। इस तरह की घटनाएं सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के प्रतिपक्ष के विधायकों के क्षेत्र में हो रही हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बात की पुनरावृत्ति दोबारा न होने पाये और जो घटना घटी है और जिन बातों का हवाला दिया गया है उसकी जांच करवा लें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि विधायकों के सम्मान को देखते हुए, परम्पराओं को देखते हुए शासन को निर्देश दें कि ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा न हो और इस घटना को विशेष रूप से दिखवा लें।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है फिर भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस घटना के सम्बन्ध में दिखवा लें।

अब मैं दूसरी सूचना ले रहा हूं।

**दिनांक 11, 12 तथा 16 फरवरी, 1999 को पूरे दिन समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण औचित्य के प्रश्न पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस विषय पर सभी उपस्थित माननीय सदस्यों का संरक्षण चाहूंगा। इस सदन में 9 फरवरी को जब से माननीय श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ है तब से लगातार कुछ इस प्रकार की घटनायें घटी हैं जिसके कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई है। मान्यवर, प्रश्न काल की कार्यवाही बाधित हुई और इस पर सदन के सभी सदस्यों का समान अधिकार है, तो प्रश्न काल नहीं हो रहा था। प्रश्न के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं को उठाकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को हल ढूंढने का प्रत्येक माननीय सदस्य का अधिकार है। नियमावली के अन्य प्राविधानों के अनुसार सूचना देकर प्रदेश की जनता की समस्याओं पर ध्यानाकर्षण करके सरकार से उसका हल मांगना यह प्रत्येक माननीय सदस्य का अधिकार है और यह पूरा नहीं हो पा रहा है।

यह पीठ गरिमामय पीठ है। यह प्रदेश की जनता की कस्टोडियन है। जिन लोगों की इस पीठ पर नजर रही है, यहां लगातार इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं, जो हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने इस देश की खातिर अपना बलिदान दिया उनकी आत्मा आज स्वर्ग में बैठकर कराह रही होगी कि आज चुने हुए विधायक क्या आचरण कर रहे हैं। जनता ने किस आचरण की अपेक्षा करके उन्हें यहां भेजा था। मान्यवर, नियमों का हवाला देकर सदन में प्रश्न उठाना और नियमों के विरुद्ध आचरण करना इसमें कहीं ताल-मेल नहीं है। सन् 1952 में एक घटना हुई थी देश की संसद में मालवीय जी ने महामहिम राष्ट्रपति के विरुद्ध कुछ कहा था उनको सदन से बाहर जाना पड़ा था और उन्होंने अगले दिन महामहिम राष्ट्रपति से लिखित में क्षमा याचना की थी। जब 1971 में भारत की संसद के संयुक्त अभिभाषण हो रहा था श्री जी० एस० ढिल्लो लोक सभा के अध्यक्ष थे, श्री राम देव सांसद ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर यह आवाज उठायी कि हिन्दी में बोलें। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि उसका हिन्दी रूपान्तर माननीय उपाध्यक्ष के द्वारा पढ़ा जायेगा, आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। दुबारा फिर उठाने पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने निर्देशित किया कि शान्ति से बैठें या वाकआउट कर जाएं।

मान्यवर, इस चिन्ता को मई, 92 पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो गांधी की धरती गांधीनगर, गुजरात में हुआ था, रखा गया । उसमें इस बात पर चिन्ता जाहिर की गयी थी कि जब सदन में महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण या जब सदन का कार्यक्रम सामान्य नियमों से चल रहा हो, उसमें जब अव्यवस्था पैदा होती है, तो सदन के अन्य माननीय सदस्यों के भी अधिकारों का हनन होता है और सांसद, विधायक की छवि भी जनता के समक्ष धूमिल होती है । मई, 92 में सम्मेलन में यह तय किया गया कि बहुत शीघ्र इस सम्बन्ध में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, सचेतक, मुख्य सचेतकों, नेता सदन, विपक्ष के नेता, सदनों के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष राजनीतिक दलों के अध्यक्षों इन सबको लेकर बैठक बुलाई जाए ।

नवम्बर, 92 में, संसद के केन्द्रीय कक्ष में यह कार्यक्रम हुआ । श्रीमती नजमा हेपतुल्ला जो राज्य सभा की उप सभापति हैं, ने कहा कि प्रश्नकाल ही नहीं, सदन का कोई भी निर्धारित कार्यक्रम स्थगित नहीं होना चाहिए । उसमें आम राय निकल कर यह आयी थी कि युद्ध या भयंकर आपदा न हो तो सदन का कार्य स्थगित नहीं होना चाहिए । उप राष्ट्रपति (तत्कालीन) श्री के० आर० नारायणन जी ने उसका उद्घाटन किया था और तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री नरसिम्हा राव भी उसमें आये थे यह बात हुई कि प्रश्नकाल तो किसी भी स्थिति में स्थगित नहीं किया जाना चाहिए ।

मान्यवर, सदस्यों को अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं । सदन के प्रश्नकाल और सदन के अन्य निर्धारित कार्यक्रमों के अन्तर्गत होने वाली कार्यवाही बाधित हो रही है । मान्यवर, कुछ लोग एक दल विशेष के लोग, जिनकी डोरी कहीं से चल रही थी, सदन को स्थगित कराके इस प्रदेश के लोकतंत्र पर एक बदनुमा धब्बा, काला धब्बा छोड़ना चाहते हैं । ऐसे लोगों की तरफ ध्यान दिलाते हुए निवेदन करता हूं और विपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि :--

"रौ में जजबात को बहना तो हुआ करता है,
चाके दिल फर्ज के धागे से सीना सीखो ।"

मान्यवर, हमें यहां बोलने की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 94(1) से मिली हुई है, हम जो यहां पर बोलते हैं यहां वह न्यायिक कार्यवाही के क्षेत्र में नहीं आती है यह संविधान के अनुच्छेद 94 (3) में स्वतंत्रता प्राप्त है । मान्यवर, इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग इस सीमा तक पहुंच गया है । इकबाल ने कहा है--

जम्हूरियत वह तर्जे हुकूमत है कि जिसमें बन्दे को गिना तो जाता है तौला नहीं जाता है ।

मान्यवर, बहुत से माननीय सदस्य यहां अपनी बात को रखने के लिये पढ़कर आते हैं तैयारी करके आते हैं प्रश्नकाल में और अन्य नियमों के तहत अपनी बात को उठाना चाहते हैं ।

"जिनको न पीने का सलीका न पिलाने का शऊर,
ऐसे कमजर्फ को महफिल में बुलाते क्यों हो,
और बुलाते हो तो महफिल के बिगाड़ने पर रोते क्यों हो ।"

तो मान्यवर, यह दशा आज हम लोगों की हो गयी है । मैं उन माननीय सदस्यों का संरक्षण चाहता हूं चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाकर सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को न्याय दिलाने के लिये आये हैं । मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी कृपा करके सभी नेताओं को बुलाकर, सदन के सभी दलों के विधान मण्डल दल के नेताओं को बुलाकर बात कर लें, हम लोगों की भावना को अवगत कराते हुए । सदन को नियमों के अन्दर संचालित करें और प्रश्नकाल को किसी भी स्थिति में स्थगित न करें ।

मान्यवर, होना तो यह चाहिए था कि दलों के नेता अपने लोगों को बतायें, पढ़ायें और उनको नियमावली जो सदन की है उसके बारे में जानकारी दें तो उनको यह बताने के बजाय कहें कि अपने क्षेत्र के मसलों को पूरे तर्कों से उठायें । उनको यह बताने के बजाये सदन के वेल में आकर उपद्रव करने व सदन को अव्यवस्थित करने की शिक्षा दे रहे हैं । मान्यवर, जो नये माननीय सदस्य यहां पर आये हुए हैं आज उनके लिये प्रबोधन कार्यक्रम की बहुत आवश्यकता है । उनको यदि यह जानकारी दे दें कि नियमों के तहत अपने क्षेत्र की समस्या उठाकर क्षेत्र के अखबारों में स्थान पा सकते हैं तो फिर वह सदस्य अव्यवस्था करने की नहीं सोचेंगे । मान्यवर, इसे 300 के माध्यम से उठाकर आपकी कृपापूर्वक व्यवस्था चाहता हूं । ''मैं पक्ष विपक्ष के सभी साथियों से अपील करते हुए कि अपने कर्तव्य/दायित्व को पहचानें, जनता हमें देख रही है ।'' मान्यवर, प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति जिसके लिये हम चुनकर यहां बैठे हुए हैं और उसी पर आपकी कृपापूर्ण व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बाजपेयी जी द्वारा जो सूचना दी गयी है और जो विचार व्यक्त किये गये हैं यह विषय सदन के कार्य-संचालन से सम्बन्धित है और उसमें उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के अनेक नियम आकृष्ट होते हैं । मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि इस समस्या के समाधान के लिये विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाकर उसमें कोई सर्वसम्मत निर्णय लिया जाय ।

**मुख्य मंत्री द्वारा गत वर्ष के बजट अभिभाषण में की गयी घोषणाओं का कार्यान्वयन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर नियम 300 में औचित्य के प्रश्न के माध्यम से बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, बार-बार यहां यह बात दोहराई जाती है कि सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है । इस सरकार से अपेक्षा की जाती है कि सरकार सदन के अन्दर जो घोषणा करे उसका पालन करे और सरकार से यह भी अपेक्षा है कि सरकार जो बजट के अन्दर प्राविधान करे उनको शत प्रतिशत लागू करे लेकिन यदि सरकार इस सम्मानित सदन के अन्दर सम्मानित सदस्यों के सम्मुख की गयी घोषणाओं से मुकरे अपने बजट भाषण के अन्दर किये गये प्राविधानों को लागू न करे तो इस सदन को चलाने का और अपनी बात को कहने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्रीमन्, पिछले साल मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा था कि प्रदेश के न्यायालयों में अनेक वर्षों से जो लाखों मुकदमें लम्बित पड़े हैं उन्हें निबटाने के लिये और जनता को शीघ्र न्याय दिलाने हेतु प्रदेश के नवसृजित जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्थापित किये जायेंगे और इसके साथ ही प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों, जनपदीय न्यायालयों का आधुनिकीकरण किया जायेगा जिससे वादों का निस्तारण हो सके, इसके लिये बजट में धन की व्यवस्था भी कर दी गयी थी लेकिन दुख की बात है कि सरकार ने इन घोषणाओं का पालन नहीं किया है ।

मान्यवर, जो नवसृजित जिले हैं उनमें किसी में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना नहीं हुई है । उनके आधुनिकीकरण का काम भी नहीं हुआ है जबकि बजट में धन की व्यवस्था कर दी गयी थी । मान्यवर, प्रदेश में कानून और शांति व्यवस्था बनाये रखना सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लेकिन यह सरकार इसमें नियंत्रण नहीं रख पा रही है, अपराधियों पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है और अपराधी बराबर अपराध कर रहे हैं । इस प्रकार अपराधों के बढ़ने का यह जहां मुख्य कारण है वहीं

अपराधियों को सजा देने में यह सरकार बिल्कुल असफल रही है । लाखों केसेज वर्षों से कोर्ट में लम्बित पड़े हैं । बीस हजार मुकदमों की हाई कोर्ट में पेन्डेंसी है और जनपदीय अधीनस्थ न्यायालयों में सीमा पार हो गयी है और बीस-बीस हजार मुकदमें एक-एक कोर्ट में वर्षों से लम्बित पड़े हैं ।

मान्यवर, एक मुकदमें को सामान्य रूप से समाप्त करने में कम से कम दस दिन लगते हैं और वह तब जबकि हड़ताल न हो, वकील और न्यायाधीश अवकाश पर न हों । इस प्रकार आप देखें यदि बीस हजार मुकदमें हाईकोर्ट में लम्बित हैं तो उनके निस्तारण में चालीस साल का समय लग जायेगा और मैं समझता हूं तब भी मुकदमों का निपटारा नहीं हो पायेगा । इसलिये यदि [illegible] व्यवस्था नहीं करते हैं कि न्यायालयों में जो मुकदमें लम्बित हैं उनका शीघ्र निपटारा हो और अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा दी जाय तो जो मुख्य मंत्री जी ने पिछले साल घोषणा किया था कि नये जिलों में जनपदीय न्यायालयों की स्थापना की जायेगी और उनका आधुनिकीकरण किया जायेगा जिसके लिये [illegible] की व्यवस्था भी बजट में कर दी गयी थी किन्तु यह सरकार अपने इस वादे को पूरा करने में नाकामयाब रहा है ।

मान्यवर, इस प्रकार यहां जो पुरानी व्यवस्था है वही चल रही है जिससे जनता को शीघ्र न्याय सुलभ नहीं हो पा रहा है । इसलिये नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के मामले में, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो प्रदेश की करोड़ों जनता से जुड़ा है, सरकार कानून व्यवस्था में किये गये अपने वादे से मुकर रही है, सरकार यहां जो घोषणा करती है उसको पूरा नहीं करती है तो फिर यहां सदन में घोषणा करने और बजट में रखने का क्या औचित्य है ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जहां तक न्यायालयों के आधुनिकीकरण का प्रश्न है, या नये न्यायालयों के सृजित करने का प्रश्न है, यह एक अलग बात है लेकिन यह कह देना कि किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, सीधा-सीधा रिफिलेक्शन कहीं और है । मैं नहीं मानता कि कोई ऐसी विस्तृत टिप्पणी कर देनी चाहिए । न्याय देना न्यायालय का काम है, न्यायालय न्याय नहीं दे पा रहे हैं, सम्भवतः आपका आशय कुछ और है ।

श्री समरपाल सिंह–

मेरा कोई आक्षेप न्यायपालिका के ऊपर नहीं है, लेकिन न्यायपालिका में बैठे हुए जो न्यायाधीश हैं, वह समय से न्याय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास सीमित साधन हैं, ऊपर से मुकदमों का अम्बार लगा हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं । जब संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े थे, उस समय आपका इस तरह खड़ा हो जाना कोई अच्छी परम्परा नहीं है । मैं निवेदन करूंगा कि जब संसदीय कार्य मंत्री खड़े हों तो उधर से बीच में कोई खड़े न हों ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 3 चरणों में आधुनिकीकरण की योजना बनाई गई थी और इसमें 21-21 जनपद लिये गये थे । 1998-99 के लिये 13 जनपदों में न्यायालयों के आधुनिकीकरण की व्यवस्था की गई है और अब तक कुल मिलाकर 76 जनपद, जिन पर 361 लाख 88 हजार रुपये की स्वीकृति की जा चुकी है । जहां तक नवसृजित जनपदों की बात है, उसमें 33 लाख 32 हजार रुपये का काम आगामी वर्ष में किये

जाने की बात थी। इस समय तीन नये जनपद हाथरस, चित्रकूट, श्रावस्ती में अधिसूचना जारी कर दी गई है, न्यायालयों की स्थापना हेतु शेष गौतमबुद्ध नगर, कन्नौज, चन्दौली, ज्योतिबा फुले नगर, बलरामपुर, बागपत, इनमें अधिसूचना जारी किये जाने का मामला विचाराधीन है, इस बीच में सब कमेटी भी बनी हुई है।

जहां तक हमारे काम का सवाल है, उसे हम कर रहे हैं। तीन जनपदों में अधिसूचना जारी हो चुकी है, 6 का मामला विचाराधीन है। अब रही न्यायालय स्थापित करने की बात, तो एकदम से बटन दबाकर तो न्यायालय खड़े नहीं हो जायेंगे, जो व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए, वह की जा रही है। जहां तक वादों के लम्बित होने का प्रकरण है, यह कोई एक-दो दिन की बीमारी नहीं है। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान तथा भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों द्वारा इस पर चिन्ता व्यक्त की जा चुकी है। प्रदेश के कई न्यायाधीश इस विषय पर अपनी चिन्ता व्यक्त कर चुके हैं।

मेरी नजर में भी यह चिन्ता का विषय है यदि लाखों वाद लम्बित रहेंगे तो कैसे न्याय मिल सकेगा। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि यदि 15-20 साल तक वाद लम्बित रहते हैं तो न्याय का मिलना न मिलने के बराबर है। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन संख्या बढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं है। जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। जब समय आयेगा तो प्रदेश स्तर पर, चाहे केन्द्र स्तर पर हो, निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाना चाहिए।

जहां तक आधुनिकीकरण का प्रश्न है, केवल पंखा लगा देने से आधुनिकीकरण नहीं हो जायेगा, कम्प्यूटराइज्ड कर देने से न्याय मिलने वाला नहीं है, इसके लिये हमको एक सरल प्रक्रिया बनानी होगी। इवीडेन्स एक्ट वही पुराना चल रहा है, आई० पी० सी० वही चल रही है और उसके साथ-साथ सैकड़ों ऐसे कानून और सृजित हो गये हैं, जिनकी वजह से बराबर वादों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती जा रही है। मैं इस बात पर अपनी चिन्ता व्यक्त करता हूं कि किसी को 20 साल बाद, 25 साल बाद न्याय मिले तो क्या स्थिति होगी, लेकिन जो हमारा दायित्व है उस दायित्व की पूर्ति के लिये हमने पहले ही कार्यवाही की है। आपने माननीय सदस्य को इस सूचना पर कृपापूर्वक सूचना, वैसे यह प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के किसी नियम के अन्तर्गत नहीं आती। मुझे भी अपनी बात कहने का अवसर दिया।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि अधिसूचना जारी करने की तैयारी की जा रही है, इस उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि सरकार इस दिशा में क्रियाशील नहीं है और सरकार लोगों को न्याय दिलाने में दृढ़ संकल्प नहीं है। इसलिये मैं इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री समरपाल सिंह सदन का बहिष्कार कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर माननीय सदस्यों को सुनने के बाद और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिये इसको अस्वीकार किया जाता है।

**दिनांक 24-7-98 के विधान सभा के उपवेशन में जनपद मथुरा की पुलिस की कार्य प्रणाली एवं निष्क्रियता के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने के बावजूद शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

श्री अजय कुमार पोइया–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, दिनांक 24-7-1998 को विधान सभा के उपवेशन में जनपद मथुरा की पुलिस के बारे में नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी थी, उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया था, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और इसी कारण मान्यवर, मैंने आज औचित्य के प्रश्न के रूप में इस प्रश्न को यहां पर उठाया है।

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मुकदमा अपराध सं० 123/1998 सदर बाजार में कायम हुआ । आम चौराहे पर लूटपाट की गयी और घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, लेकिन उस घटना के मुलजिमों की सांठगांठ के कारण पुलिस ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की और मुलजिम खुला घूम रहे हैं । गवाहों के शपथ पत्र भी दाखिल किये गये, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो मान्यवर, पुलिस की यह हालत है और सामान्य जनता में असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है ।

मान्यवर, दूसरा मुकदमा अपराध सं० 508/1998 दर्ज किया गया, लेकिन इसके बारे में भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी । उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कंपनियां लालच देकर अपने यहां पर जनता का धन विनियोजित करा रही हैं, यह किसी से छिपा नहीं है । कंपनियां पहले लोगों को बड़ा लालच देती हैं और फिर जब उनके पास धन एकत्र हो जाता है, तो वह कम्पनी को बन्द करके चली जाती हैं और जनता का पैसा मारा जाता है । इस अपराध में भी कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की गयी है । जिन लोगों ने रुपये को उस कम्पनी में जमा किया था, वह दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनको अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा नहीं मिल पा रहा है । तमाम कम्पनियां हैं, जो धन बटोरने का काम कर रही हैं ।

मान्यवर, राजस्थान के लोग सरे आम आकर जानवरों एवं ट्रैक्टरों का अपहरण कर ले जाते हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जिससे गरीब लोग परेशान हैं, तो मान्यवर, यह सब मसले बहुत ही अहम हैं और कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं । आज पुलिस रक्षक के बजाय भक्षक हो गयी है । मान्यवर, एक अपहरण हुआ, थाना गोविन्दनगर मथुरा में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, बहुत प्रयास करने के बाद सवा महीने बाद अ० सं० 195/98 मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पोइया जी आप संक्षेप में कहें ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, श्रीमन्, मथुरा की कानून व्यवस्था की स्थिति गम्भीर है वहां की कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिये वहां की स्थिति को सुधारने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए अहम मसलों पर जो पीठ से निर्देश दिये जाते हैं उनका सरकार की तरफ से पालन किया जाना चाहिए अगर पीठ से दिये गये निर्देशों का पालन नहीं होगा तो कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है । मैं मांग करता हूं कि कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिये कार्यवाही की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

यह प्रकरण 24-7-98 को विधान सभा में आया था । जनपद मथुरा में पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में सूचना थी । इसके अभिलेख मैंने मंगाये 24-7-98 को माननीय सदस्य द्वारा नियम 51 में दूसरे विषय पर सूचना दी गयी है । यह विषय नियम 300 में नहीं आता है इसलिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं ।

## नियम 311 की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

नियम 311 में कुछ सूचनायें प्राप्त हुई हैं । इसके पहले कि इन पर चर्चा हो मैं नियम 311 को माननीय सदस्यों को पढ़कर सुना रहा हूं ।

"नियमों का निलम्बन–कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायेगा । ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा, वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जायगी ।"

मेरे सामने एक सूचना श्री श्रीराम पाल की है । यह नियम 311 में नहीं आती है । मैं अनुरोध करूंगा कि कल इसे किसी सुसंगत नियम में दे दें ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, यह सूचना परसों डाली गयी थी । कल आयी थी और कहा गया था कि आज इस पर सुना जायगा । आप पहले भी सुनते रहे हैं । हमारा अनुरोध है कि सिर्फ 2 मिनट समय दे दें । कल आपने कहा था कि आज सुन लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

आप इसको किसी सुसंगत नियम में ले आयेंगे तो निश्चित रूप से सदन आपको सुनना चाहेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, कल निर्देश हुआ था चूंकि कल अभिभाषण पर विचार चल रहा था, नियम 56 नहीं लिया जा सकता था इसलिये आपने निर्देश दिया था कि नियम 311 या किसी नियम की सूचना पर कल सुन लिया जायेगा । इसलिये निवेदन है कि 2 मिनट सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने नियम 300 के बारे में जरूर कहा था कि कल ले ली जायंगी ।

श्री श्रीराम पाल–

मेरी सूचना नियम 311 में थी । पीठ से निर्देश हुआ था कि कल सुन लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

कल की कार्यवाही मेरे सामने है । मैंने कहा था "आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने की इस सदन की इच्छा है इसलिये अगर कोई माननीय सदस्य सूचना देना चाहते हैं तो कल सुसंगत नियमों के अन्तर्गत दे दें उस पर विचार कर लिया जायगा ।"

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मेरा कोई व्यक्तिगत मसला नहीं है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है । जन सामान्य से सम्बन्धित जो समस्यायें आती हैं, हाउस उन समस्याओं के समाधान के लिये है ।

श्री अधिष्ठाता–

इसको आप कल किसी सुसंगत नियम में दे दीजिए निश्चित रूप से इसको इण्टरटेन किया जायेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

वैसे आपका जो आदेश होगा वह शिरोधार्य है माननीय सदस्य केवल दो मिनट में ही अपनी बात कहना चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरा आग्रह है कि आप इसे सुसंगत नियम में दें ताकि विस्तार से बात आ जाये । आप मेरा आग्रह मान लें ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, आपने कहा था कि कल इसको सुन लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने तो आपको कार्यवाही पढ़कर सुना दी ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है । जितना बीत गया इतने में तो मैं अपनी बात कह लेता । आप केवल दो मिनट दे दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम आगे बढ़ रहे हैं । मद संख्या–3 ले रहा हूं ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, 18-1-99 को 108 साल पुरानी पुलिस बैरक गिरी जिसमें 3-4 पुलिस कर्मी घायल हो गये तथा सिपाही की मौत भी हुई है । बैरक के मरम्मत के लिये प्रत्येक वर्ष पैसा जाता रहा लेकिन अधिकारी उस पैसे को खाते रहे । मेरा अनुरोध है कि जो मर गये हैं उनके परिवार वालों को 10–10 लाख रुपया दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने मद संख्या–3 बुला लिया है । अब आप बैठ जायें ।

**उत्तर प्रदेश विनियोग (1998-99 का अनुपूरक) विधेयक, 1999**

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित किया कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1998-99 का अनुपूरक) विधेयक, 1999, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 1999 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 12 फरवरी को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 फरवरी, 1999 को वापस प्राप्त हो गया ।

**श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा, गाजीपुर को बन्दी बनाकर जिला कारागार में निरुद्ध किये जाने की सूचना**

श्री अधिष्ठाता–

परगना मैजिस्ट्रेट, गाजीपुर ने अपने पत्र दिनांक 17 फरवरी, 1999 जो इस सचिवालय में फैक्स संदेश के रूप में दिनांक 18 फरवरी, 1999 प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा (गाजीपुर) को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत दिनांक 17 फरवरी, 1999 को बन्दी कर जिला कारागार, गाजीपुर में रखा गया है ।

मद संख्या–5, 6 व 7 में कुछ नहीं है । अब मैं मद संख्या–8 ले रहा हूं ।

**कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं**

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 18 फरवरी, 1999 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुईं, शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित की गयीं जिन्हें ग्राह्यता हेतु

सुना जायेगा । पहली सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री जगदम्बिका पाल, श्री कौकब हमीद एवं श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की है । श्री सुबाष जी अपनी बात कहें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, नियम 56 शुरू हो इसके पूर्व निवेदन है कि कल जो नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं थीं उस पर आपकी पीठ से निर्देश हुआ था कि आज सुन लिया जायेगा ।

श्री अनीस खां–

मान्यवर, मैं नया सदस्य हूं, मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने पहले स्मरण कराया होता, अब हम तो आगे बढ़ गये हैं ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, आप कार्यवाही दिखवा लीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर आपको लग रहा है तो आप सुसंगत नियम में लिखकर दे दीजिये, हम विचार कर लेंगे, आज उचित नहीं है ।

**सम्पूर्ण प्रदेश में दैवीय आपदाओं से पीड़ित लोगों को राहत दिये जाने में की गयी धांधली तथा सरकारी देयों की वसूली में की जा रही सख्ती से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना**

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । अधिष्ठाता जी उत्तर प्रदेश की यह सरकार जब से शासनारूढ़ हुई है तब से लगता यह है कि कुदरत भी इस अनैतिक सरकार से नाराज है क्योंकि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वयं अपने जन में उन समूचे अनैतिक हथकंडों का इस्तेमाल किया जिसकी मनाही संसदीय लोकतंत्र में की गयी है । प्राकृतिक आपदाओं का दौर इस सरकार के बनने के बाद से ही जारी है ।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में पिछले जुलाई महीने में सन् 1998 के जुलाई माह में इस सदी की सबसे बड़ी बाढ़ आयी । उससे प्रदेश के 55 जिले प्रभावित हुए । सरकार स्वयं कबूल करती है कि उस बाढ़ से तकरीबन 5,000 करोड़ रुपये की क्षति हुई। हजारों लोगों की जानें गईं । सरकार इस बात को स्वीकारती है कि बाढ़ का विशेष प्रकोप उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सबसे ज्यादा रहा । एक करोड़ बाइस लाख लोग पूरे प्रदेश में प्रभावित हुए । सरकार के आंकड़ों के मुताबिक उस बाढ़ के चलते तकरीबन 15,000 करोड़ रुपये की फसलों का नुकसान हुआ । 3158 पशुओं की मृत्यु हुई । सरकार ने स्वयं कबूल किया है कि एक लाख 10 हजार मकान इस बाढ़ के चलते उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो गये । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विगत 1998 के जुलाई महीने में उत्तर प्रदेश में बाढ़ आयी और सितम्बर माह में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ के इलाके में हिन्दुस्तान के माननीय प्रधान मंत्री जी का दौरा लगा । बाढ़ के दो-तीन महीने बीत जाने के बाद मा० प्रधान मंत्री जी वहां गये और अपने गोरखपुर प्रवास के दौरान स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि बाढ़ से तबाह हुए लोगों को राहत पहुंचाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता का कोई आवेदन पत्र नहीं आया है । मैं आपसे कहना चाहता हूं.....

श्री अधिष्ठाता–

इस पीठ से बारम्बार माननीय सदस्यों को आग्रह किया गया कि यहां पर मोबाइल और सेलुलर फोन लेकर न आयें। मैं बड़े खेद के साथ कह रहा हूं कि बीच-बीच में मोबाइल फोन की ध्वनि सुनाई दे रही है यह ठीक व्यवहार नहीं है और मैं निवेदन करता हूं कि यह सदन की गरिमा के प्रतिकूल है कि मोबाइल फोन की आवाज के बीच यहां गम्भीर चर्चा चले।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

यह कितनी संवेदनशील सरकार है कि बाढ़ के तीन माह बाद तक उसने आर्थिक सहायता की मांग केन्द्र सरकार से नहीं की। बाढ़ से इस प्रदेश को 5,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ पर बाद में मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र से मात्र 1899 करोड़ रुपये की ही मांग की। मा० प्रधानमंत्री जी ने 1899 करोड़ के सापेक्ष 3,000 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की घोषणा की। जो उत्तर प्रदेश सरकार की स्वयं की घोषणा है उसके मुताबिक 3,000 करोड़ रुपये के सापेक्ष केवल 856 करोड़ रुपये ही इस प्रदेश सरकार को मिल सके हैं। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाढ़ से तबाह पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से इससे पहले ओलावृष्टि तथा चक्रवात से परेशान हुए। बाढ़, ओलावृष्टि तथा चक्रवात से तबाह पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को राहत देने के लिये सरकार ने तमाम घोषणायें की और कहा कि हम बाढ़ से प्रभावित लोगों को निःशुल्क भोजन देंगे, दवाइयां वितरित करायेंगे, लालटेन और पेट्रोमेक्स देंगे, छात्रों की फीस माफ करेंगे और किसानों की लगान माफ करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात की भी घोषणा की कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जो लघु सीमान्त कृषक हैं, उन्हें निःशुल्क गेहूं के बीज का वितरण किया जायेगा। दवाइयों के नाम पर क्लोरीन की जो गोली बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बांटी गयी वह बाल्टी में डालने के बाद 24 तथा 48 घण्टे तक भी पानी में नहीं घुली। इस प्रकार की चिन्ता करके सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में इस तरह का चुस्त-दुरुस्त कार्य किया।

सरकार ने यह भी घोषणा की कि मृतक परिवार को हम 50 हजार रुपये देंगे, सरकार ने यह भी कहा कि यदि मरने वाला घर का मुखिया है तो उसे हम एक लाख रुपये देंगे, जिन लोगों के मकान ध्वस्त हो गये हैं, उन्हें 25 हजार रुपये देंगे। मान्यवर, मैं बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार निर्मम है और संवेदनहीन है। अपनी घोषणाओं के अनुरूप भी प्रभावित जिलों में पर्याप्त धनराशि नहीं उपलब्ध करायी, जो धन दिया भी गया वह अफसरशाही तथा बिचौलियों के भेट चढ़ गया। जो प्रभावित लोग थे, पात्र लोग थे, राहत की वह धनराशि उन्हें नहीं मिली। अभी जनपदों में जो थोड़ा बहुत धन पड़ा हुआ था, प्रदेश सरकार ने उस धन को वितरित होने से रोक दिया।

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राह्यता पर बोलें तो ठीक रहेगा। चूंकि आप ग्राह्यता पर नहीं बोल रहे थे इसलिये मैंने आप को टोका।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं। मेरा प्रश्न अविलम्बनीय, लोक महत्व और तात्कालिक तथा ज्वलन्त समस्या से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात की भी घोषणा की थी कि बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर जो मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं उन्हें ठीक करायेंगे। मेरे जनपद देवरिया में 350 किलोमीटर पी० डब्लू० डी० की सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी हैं। सड़कों की मरम्मत के लिये जो रुपया भेजा, उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे उपेक्षित जनपद देवरिया में 10 हजार रुपये प्रति किलोमीटर की दर से मरम्मत कार्यों के लिये धन दिया गया वहीं राज्य मंत्रि-मण्डल में शरीक जो भारी नक्षत्र हैं उनके जनपदों में 30–35 हजार रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से पी० डब्लू० डी० की सड़कों की मरम्मत हेतु भेजा गया।

बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में भी यह सरकार दलीय आधार पर कार्य कर रही है। जहां पर विपक्ष के लोग हैं वहां पर इस सरकार की दृष्टि दूसरी है वहां वह नाइन्साफी कर रही है इसलिये मान्यवर, मैं सादर, विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि बी० जे० पी० की सरकार का जब से जन्म हुआ है तब से इस प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। पुनः कहना चाहता हूं कि प्रकृति भी इस सरकार से कुपित है और इनके अनैतिक आचरण से आज उत्तर प्रदेश की जनता भी तबाह हो गयी है। विगत वर्षों में भी बाढ़ आकर चली जाती थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य में इस सदी की सबसे बड़ी बाढ़ आयी है। इतिहास में अब तक इस ढंग का चक्रवात प्रदेश में नहीं आया, इस ढंग की प्राकृतिक विपत्ति कभी नहीं आयी जैसी कि बी० जे० पी० की सरकार में आई।

श्रीमन्, मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि यह अत्यन्त लोक महत्व का ज्वलन्त सवाल है। आपका प्रभावित क्षेत्रों में राहत के नाम पर प्रदेश की सरकार ने जो घोषणा की उसे भी क्रियान्वित नहीं किया। राहत वितरण की घोषणा सत्य से परे है। आज तक इसको अमली जामा नहीं दिया गया, कार्यान्वित नहीं किया गया इसलिये यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है। मैं मांग करता हूं कि सदन के सारे कार्यों को स्थगित करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

(श्री जगदम्बिका पाल का नाम पुकारे जाने पर वे उपस्थित नहीं थे)

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, जब यह सदन चल रहा था उस समय बाढ़ आई थी और वहां पर कोई राहत कार्य नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से कह सुनकर इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी का सहयोग मिला कि उन्होंने बाढ़ मंत्री को वहां भेजा। तो यह तो मान्यवर, सरकार की नीयत उस समय थी। जब बाढ़ आई हुई थी माननीय मंत्री जी बड़ी मुश्किल से वहां गये।

उत्तर प्रदेश में मान्यवर, इस शताब्दी की यह सबसे भयंकर बाढ़ आई जिसमें तकरीबन 5 हजार करोड़ का नुकसान हुआ। 1 लाख घर तबाह हो गये और मान्यवर, जो मांग इस सरकार ने करी वह केवल 1899 करोड़ की सेन्टर से करी। जब प्रधान मंत्री प्रदेश में तशरीफ लाये तो उन्होंने कहा कि बाढ़ भयंकर है, बहुत हानि हुई है सेन्टर 3 हजार करोड़ देगी। जब मान्यवर, वहां से पैसा आया तो वह 854 करोड़ रुपये आया जो इस प्रदेश को मिला। यह पैसा इसलिये मिला कि जिनका बाढ़ में नुकसान हुआ है उनको बांटा जाय। मान्यवर, बड़ी-बड़ी कमेटी बनाकर मंत्री जी पहुंचे। कहीं-कहीं उसके अध्यक्ष मंत्री जी स्वयं रहे। सारे मंत्री हर जगह अध्यक्ष हैं। यह पैसा सही तरीके से नहीं बांटा गया न दवाइयां, न राशन न ऊनी कपड़े, न कपड़े जो बंटने चाहिए थे वह बंटे। मैं तो कहना चाहता हूं कि 854 करोड़ में से तीन चौथाई यूं ही खत्म हो गया जो पैसा बंट नहीं पाया था, बचा हुआ था, वह सरकार ने वापस मंगा लिया।

मान्यवर, इसके बाद वेस्टर्न यू० पी० में वृष्टि हुई। दो महीने पहले ऐसी बारिश हुई जिसका पानी अभी भी भरा पड़ा है और कई लाख हेक्टेयर जमीन में फसल नहीं बोई जा पा रही है क्योंकि वहां पानी भरा है जिससे दिक्कत आ गई। इस संवेदनशील सरकार को करना चाहिए था कि इतनी बड़ी दिक्कत आई हुई है तो वसूली रोकते, किसानों को मुआवजा देते। मैंने कई बार राजस्व मंत्री को लिखकर दिया कि यह दिक्कतें आ गई हैं मेरे सामने तो इन्होंने लिखकर जरूर भेज दिया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई न किसी को पैसा मिला। यह सरकार कहती है कि हम किसानों का ख्याल रखते हैं मान्यवर, यह ख्याल रखते हैं कि वसूली के नाम पर किसानों को जेल में भेज दिया और इतनी सख्ती कर रही है। मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर चर्चा कराकर सरकार को निर्देशित करें कि जो पैसा बांटा है उसका हिसाब दे दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अधिष्ठाता महोदय, श्री कल्याण सिंह जी की सरकार पूरे प्रदेश में अकल्याणकारी साबित हुई है और जब से इन्होंने मुख्य मंत्री का पद सम्भाला है तब ही से पूरे प्रदेश में भयंकर आपदाएं आनी शुरू हुई हैं । कहीं पर पहाड़ का गिरना, टूटना, धंसना है तो कहीं पर भयंकर बाढ़ और कहीं पर ओलावृष्टि हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

सूचना के सम्बन्ध में ग्राह्यता पर अपनी बात रखें । आप विद्वान, दल के नेता हैं आपका सब सम्मान करते हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, दैवी आपदायें आईं वह अपने बस में नहीं थीं इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। दैवी आपदाओं में राहत के नाम पर बड़े पैमाने पर धांधली और दुरुपयोग किया गया और दैवी आपदाओं से पीड़ित लोगों को जो राहत पहुंचानी चाहिए थी उसमें सरकार अनमनस्क रही । यह इस सदी की सबसे भयंकर बाढ़ थी । जिसमें 53 जिले प्रभावित हुए, लाखों जानवर बह गये । लाखों लोग डूब गये, प्रदेश के 15 हजार से लेकर 20 हजार गांव बाढ़ से प्रभावित हुए ।

(कई सदस्य आपस में बात कर रहे थे जिस कारण व्यवधान हो रहा था ।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्ति बनाये रखें और गम्भीरता से इनकी बात सुनें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, 5 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ 40 लाख हेक्टेयर भूमि जलमग्न हुई । जिसमें 30 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य थी । नतीजा यह हुआ कि सारी फसल बरबाद हो गई । मान्यवर, (सत्तापक्ष के कुछ माननीय सदस्य तथा मंत्रीगण आपस में बात कर रहे थे)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय सरकार के मंत्रीगण का आचरण ठीक नहीं है इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता गम्भीर विषय पर बोल रहे हैं, मैं माननीय सदस्यों, चाहे वह इधर के हों, चाहे उधर के माननीय सदस्य हों, आप सदन की गम्भीरता नहीं बनायेंगे तो कौन बनायेगा ? इसलिये मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कृपया शान्ति बनाये रखें । मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से आग्रह कर रहा हूं गम्भीर प्रकरण पर चर्चा चल रही है ग्राह्यता पर मौर्या जी बात रख रहे हैं इस समय आपस में चर्चा करना या हंसना सही नहीं है कृपया शान्त रहें ।

(समय 3 बजकर 45 मिनट)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

बाढ़ की इतनी विभीषिका रही, 5 हजार करोड़ की क्षति होती है सरकार मात्र इस पर 102 करोड़ खर्चा करके राहत की सांस लेती है केन्द्र सरकार से हमें 1800 करोड़ रुपये मिला । इसको देखते हुए यह साबित होता है कि दैवी आपदा से मरे हुए लोगों को सरकार किसी प्रकार की राहत देने या पहुंचाने में बहुत ही लापरवाह रही है और साथ ही साथ जो थोड़ा प्रयास सरकार द्वारा किया गया है

मान्यवर, उसमें भी बंदरबांट किया गया है । यहां तक कि तमाम ऐसी जगहों पर जाकर उनकी बात सुनकर जब हमारे साथियों का प्रतिनिधि मण्डल पहुंचा तो अवगत कराया कि सरकार पक्ष के मंत्रिगण और विधायक उस बाढ़ राहत कार्य के लिये जो वहां भेजे गये थे सरकार के फर्जी बाउचर लेकर वहां बाढ़ राहत के नाम पर पैसे का दुरुपयोग करते रहे । यह एक गम्भीर मामला है और इसीलिये यह लोक महत्व का प्रश्न है जिस पर पूरे प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है । लोगों के घर तबाह हो गये हैं, लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों हजार गांव बह गये हैं, लोगों को सर छिपाने की जगह नहीं है और सरकार के मंत्री और विधायक उनके आंसू पोछने की बात तो दूर रही, जो राहत का पैसा सरकार ने दिया है उसमें वह बंदरबांट करते रहे । फर्जी बिल और बाउचर बनाकर अपनी जेबें भरते रहे ।

इसलिये मान्यवर, मैं इस लोक महत्व के विषय पर चाहूंगा कि चर्चा कराई जाय और चर्चा इसलिए भी आवश्यक है कि पूरे प्रदेश में दो सौ बांध हैं जिसमें से पौने दो सौ बांध पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं और 42 बांध इस बाढ़ में बह गये हैं, वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये हैं । सरकार यदि संवेदनशील है तो इन बांधों की समुचित व्यवस्था के लिये क्या उपाय कर रही है । भविष्य में यदि इस प्रकार की दैवी आपदा होती है तो उसमें क्या करेगी इसलिये इस लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराना चाहूंगा जिससे इस प्रकार की गड़बड़ी भविष्य में न होने पाये । मेरा अनुरोध है कि इसमें नियमों को निलम्बित करते हुए चर्चा कराई जाय ।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी आप नियम–58(1) देख लें । उसमें यह लिखा हुआ है कि एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं लिये जायेंगे । आपकी एक और सूचना पर हस्ताक्षर हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, वह किसी ने गलत दे दिया है । मेरे हस्ताक्षर सिर्फ इसी सूचना पर हैं । मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में कहने का अवसर दिया है । मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि पूर्व में ही मेरे साथियों ने आंकड़ा देकर इस विषय में कह दिया है । मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं ।

मान्यवर, मैं उन बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, आखिर यह प्रदेश की पहली सरकार नहीं है इसके पहले भी कई सरकारें थीं और यह प्रदेश की पहली दैवी आपदा नहीं है इससे पहले भी दैवी आपदायें आती थीं तो क्या कारण है कि इस बार राहत का कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाया । यह निश्चित रूप से इस सदी की सबसे भयंकर बाढ़ है और इसीलिये इसके लिये संसाधन भी सर्वाधिक होने चाहिए थे । किसी भी प्रदेश सरकार के पास इतना संसाधन नहीं होता है कि वह दैवी आपदा का सामना वह स्रोत के जरिये कर सके । इसलिये इस सरकार का यह पहला कर्तव्य था कि वह केन्द्र से सहायता मांगती लेकिन मान्यवर, यह सरकार केन्द्र से अपने आंतरिक विद्रोह के कारण सहायता मांगने में विफल रही है ।

मान्यवर, वह काला क्षण था जब प्रधान मंत्री जी को लखनऊ में यह कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अधिकृत रूप से कोई ज्ञापन नहीं प्राप्त हुआ है तो यह गलती कहां हुई ? अब इसके दोषी कोई हैं तो मुख्य मंत्री जी हैं जिन्होंने समय से वहां प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया केन्द्रीय सहायता नहीं प्राप्त कर पाये । मान्यवर, वैसे तो भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है लेकिन राहत कार्य जो हैं उसमें तो सरकार को बचना चाहिए था कि वहां भ्रष्टाचार नहीं होता मुझे अपने दौरे के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई जो राहत कार्य उपलब्ध कराया गया उसमें माननीय मंत्री से लेकर नीचे तक लोग भ्रष्टाचार से बचे नहीं थे ।

मान्यवर, बाढ़ से जनता को उतनी चोट नहीं पहुंची जितनी राहत कार्य में भ्रष्टाचार के जरिये पहुंची । मुझे पूर्वांचल में ऐसे किसान मिले जिनके मकान ढह गये थे जिन पर 3-4 हजार का बकाया था उनको जेल भेज दिया गया जबकि उसी किसान का इस सरकार पर 25–30 हजार का गन्ना मूल्य का बकाया है । प्रदेश सरकार ने तो जुल्म किया उसके कारण दैवी आपदा की सहायता नहीं बढ़ पायी ।

मान्यवर, अग्निकांड होते रहे हैं, कभी कुछ घर बाढ़ में कभी अतिवृष्टि में ढह जाते हैं तूफान आता है, चक्रवात आते हैं, उसमें समय से राहत कार्य पहुंचा दिया जाता था । आंकड़ों के सहारे यह कह सकते हैं कि 3 हजार 4 हजार करोड़ राहत कार्य पर खर्च किये हैं लेकिन वास्तविकता क्या है ? जब भारत के प्रधान मंत्री को लखनऊ में कहना पड़ा, तो या तो प्रधान मंत्री जी गलत बोल रहे थे या मुख्य मंत्री जी गलत बोल रहे थे । यदि गलत दोनों नहीं बोल रहे थे तो प्रदेश की जनता यह जानना चाहेगी कि प्रधान मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी के बीच विवाद में ऐसा कौन सा विवाद था जिसके चलते प्रधान मंत्री जी को लखनऊ में आकर मुख्य मंत्री जी को जलील किया ? मान्यवर, कहा जाता है कि जैस राजा वैसी प्रजा । राजा के कर्मों का प्रतिफल जनता को भुगतना पड़ता है, यशस्वी राजा के राज में जनता सुखी रहती है और यदि राजा पापी होता है तो प्रजा कष्ट उठाती है ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या यह ग्राह्यता के सम्बन्ध में आपके विचार हैं ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सबसे बड़ा कष्ट इस प्रदेश की जनता को इसलिये उठाना पड़ रहा है कि सरकार की स्थापना ही कपट और छल से हुई है, इन्होंने भगवान को धोखा दिया, भगवान इन्हें सजा दे रहे हैं । मान्यवर, आपसे आग्रह है कि आप पहल करें और इस सरकार को यहां से उठा दें जिससे प्रदेश में शान्ति स्थापित हो सके ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, 4-5 माह पूर्व यहां बाढ़ आयी थी, तीन बार सदन में इस पर विचार हो चुका है । कुल मिलाकर मान्यवर, 15,618 गांव प्रभावित हुए बाढ़ से 1390 जानें गयीं । 13385 पशुओं की जानें गयीं लाखों हेक्टेयर भूमि भी प्रभावित हुई । जहां तक इस सरकार का प्रश्न है, सारे प्रदेश की जनता गवाह है इस बात की, कुछ लोगों को नकारने की आदत है नकारते रहे हैं, इतनी बड़ी विभीषिका होने के बावजूद भी जिस तीव्र गति से राहत पहुंचायी गयी माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में–दिन-रात एक करके, हर क्षेत्र का दौरा करके, वहां पर राहत की, दवा की व्यवस्था की गयी खाद्यान्न की व्यवस्था की गयी ।

मान्यवर, उनके खाने की, सोने की, कपड़े की व्यवस्था की गयी और खुद माननीय मुख्य मंत्री जी ने दर्जनों जनपदों में स्वयं जाकर इस व्यवस्था को देखा तो कम से कम एक शब्द तो इसके लिये कहते । सम्भवतः इतिहास में आज तक इतनी तेजी के साथ में इतनी बड़ी विभीषिका का इतनी सफलता के साथ मुकाबला नहीं किया गया जितना इस बार इस सरकार ने किया।

मान्यवर, 2-3 बात की तरफ आपने ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया कि प्रधान मंत्री जी ने कहा कि कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है और माननीय प्रधान मंत्री जी से प्रश्न किया गया सरकार जो कार्य कर रही है उससे संतुष्ट हैं । मान्यवर, उन्होंने कहा था कि प्रदेश सरकार का कार्य सराहनीय है और मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं । माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिल्ली जाके ही अपने कार्यालय से प्रेस स्टेटमेंट जारी किया कि प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, यह उनकी तरफ से कहा गया है । एक आरोप लगाया गया, आरोप लगाना आसान है कुछ भी कह दीजिए फर्जी बाउचर दीजिये, विधायकों ने बनवाये मंत्रियों ने

बनवा लिये तो आपके मन में इतनी तो जागरूकता होनी चाहिए थी कि अपने साथियों पर आरोप लगाने से पहले अपने अन्दर झांककर देख लिया होता । इनके मन में कपट भरा हुआ है इसलिये इनको सब कपटी नजर आते हैं । अब बाढ़ पर आता हूं । यह ऐसा वर्ष था कि 11 देशों में अभूतपूर्व विभीषिका आ गयी चीन में, मलेशिया में क्या सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यह तो प्रकृति की व्यवस्था है । मैं बिहार का नाम नहीं लेना चाहता हूं वहां तो बाढ़ ही बाढ़ है ।

मान्यवर, एक भी व्यक्ति का उदाहरण दे दें मैं उनसे सरकार की तरफ से जिम्मेदारी से कह सकता हूं, जिन लोगों ने आरोप लगाया है कि जिसके पास सरकार देय है बाढ़ से प्रभावित है उसको जेल भेजा गया हो । मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश सरकार ने लगान की माफी की और बाकी देयों को स्थगित किया । खामखां यह कह दिया कि जेलों में भेजा गया । एक भी उदाहरण प्रदेश में नहीं मिल सकता है कि सरकारी देय के कारण बाढ़ प्रभावित व्यक्ति को जेल भेजा गया हो । मान्यवर, नहीं भेजा गया । मान्यवर, आपकी अनुमति से माननीय विद्वान सदस्य हैं हमारे सुबाष जी श्रीवास्तव और अति विद्वान प्रखर बुद्धि के, थोड़ा लाइन से विचलित होने वाले हमारे भाई प्रमोद जी उनसे आग्रह करता हूं कि सरकार ने जितना प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य प्रदेश और देश की जनता के लिये किया है उसके लिये अगर बधाई के दो शब्द कह देते तो अच्छा लगता और लगता कि लोकतंत्र में आपका विश्वास है लेकिन कुछ गालियां आपने गिन रखी हैं यही कुछ कमी आप में है ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे यह कह कर बैठ जाता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक चुनौती दी है कि नाम बता दें कि किन-किन लोगों के ऊपर बकाया है और उनके ऊपर कार्यवाही की गयी है मान्यवर, मेरी चुनौती है संसदीय कार्य मंत्री जी को, इन्हीं के नेतृत्व में एक सर्वदलीय समिति चली जाए शनिवार, इतवार दो दिन खाली हैं । मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी के नेतृत्व में हर दल से एक-एक सदस्य आप नामित कर दें, इस प्रकार इस सदन की एक सर्वदलीय समिति जांच हेतु चली जाय और वह अपनी रिपोर्ट सोमवार को यहां आपको दे दे । समिति को उन सभी से मिला दिया जायेगा, मान्यवर, एक नहीं हजारों नाम हम दे देंगे, यदि हम नाम नहीं देंगे तो सोमवार को यहां खेद व्यक्त करेंगे और यदि साबित हो जाय तो मंत्री जी यहां खेद व्यक्त करेंगे ।

(व्यवधान)

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव के खड़े होकर अनुमति मांगने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं और आप जो बोलेंगे वह अंकित नहीं किया जायेगा । माननीय सदस्य बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री राम ललित चौधरी–

[ × × × ]

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं और जो आप बोल रहे हैं वह अंकित नहीं किया जायेगा । (व्यवधान) आप लोग शांत रहें और बैठ जायें । अभी मैंने श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री प्रमोद कुमार एवं अन्य मा० सदस्यों को तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना और सुनने के पश्चात् मैं इसे अग्राह्य करता हूं ।

---

नोट :– [ × × × ] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

**कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)**

दूसरी सूचना श्री ददूदू प्रसाद की है और वह इसकी ग्राह्यता पर बोल सकते हैं ।

श्री ददूदू प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियम 56 के तहत एक महत्वपूर्ण विषय की ग्राह्यता पर बोलने का समय दिया । मान्यवर, नवसृजित जनपद चित्रकूट से मैं चुनकर आया हूं और वहां के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि चित्रकूट के कलेक्ट्रेट परिसर के निर्माण के लिये जिलाधिकारी ने 250 एकड़ भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव जुलाई-अगस्त माह में शासन को भेजा था और जिस भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव भेजा था वह जिले के सबसे ज्यादा सिंचित और उपजाऊ भूमि का है जिस पर पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के सैकड़ों सीमान्त किसान उस भूमि पर अपनी खेती करते हैं । जब लोगों को पता चला कि जो जमीन हमारी रोजी-रोटी का साधन है, जीविकोपार्जन का साधन है, वह अधिग्रहीत कर ली जायेगी तो लोगों ने जिलाधिकारी के सामने अपनी गुहार लगाई । शासन में माननीय मुख्य मंत्री जी को, सम्बन्धित अधिकारियों को, मंत्रीगणों को अपना प्रतिवेदन भेजा और कहा कि हमारी जीविका का साधन हमसे न छुड़ाया जाय, हम सब लघु सीमान्त किसान हैं । हमारे जिले में मुख्यालय के पास बंजर जमीन पड़ी है, जिसको किसान खुशी-खुशी देना चाहते हैं, उसको सरकार अधिग्रहीत कर ले और वहां कलेक्ट्रेट परिसर का निर्माण कराया जाय, परन्तु कहीं से उनकी कोई बात नहीं सुनी गई । इसके बाद ग्राम तेजीपुर, गड़िया के लोगों ने एक ज्ञापन दिया कि यदि हमारी जीविका का साधन जबरन हमसे छुड़ाया गया तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन हम लोग हिन्दू धर्म को छोड़कर अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे, इसके बाद भी संवेदना शून्य सरकार और संवेदना शून्य जिला प्रशासन ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया और अन्त में दुखी होकर उन लोगों ने इस हिन्दू धर्म की ठेकेदार सरकार की छत्रछाया में 26 जनवरी को धर्म परिवर्तन कर लिया और अभी भी हजारों परिवारों द्वारा ईसाई धर्म तथा इस्लाम धर्म स्वीकार करने की सम्भावना बनी हुई है, यह मामला अत्यन्त गम्भीर है, लोक महत्व का है, अविलम्बनीय भी है ।

आखिर कौन सी ऐसी बात है कि जो जमीन उपजाऊ है, जिस पर सरकार को अधिक मुआवजा भी देना पड़ेगा, ज्यादा खर्चा देना पड़ेगा, वह सब लघु सीमान्त किसान हैं, पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के लोग हैं, फिर भी जिलाधिकारी और जिला प्रशासन उसी जमीन को अधिग्रहीत करना चाहते हैं । मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि उनकी अति उपजाऊ जमीन को उनसे न छीना जाय । ग्राम तेजीपुर के कई वृद्धों ने कहा है कि अगर हम लोगों की रोजी-रोटी का साधन छीना गया, तो हम अपने बाल-बच्चों सहित आत्महत्या कर लेंगे, वहां स्थिति काफी गम्भीर बनी हुई है, कभी भी लोग आत्मदाह कर सकते हैं, कभी भी धर्म परिवर्तन कर सकते हैं । सरकार में बैठे लोग उनको अपनी मातृ भूमि व मातृ धर्म से खदेड़ने पर आमादा है । इसलिये मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार जिला प्रशासन को निर्देश दे कि उन लोगों को अपनी मातृभूमि से, मातृ धर्म से न खदेड़ा जाय, उनकी रोजी-रोटी के साधन को बनाये रखा जाय ।

दूसरी जो जमीन है, उसको अधिग्रहीत कर, कलेक्ट्रेट परिसर का निर्माण कराया जाय, वैसे भी इस जनपद के निर्माण में इस सरकार का कोई योगदान नहीं है, अगर इस सरकार का बस चले तो वह इस जिले को ही समाप्त कर देती, परन्तु वहां के लोगों की 30 साल पुरानी मांग थी, हम आभारी हैं, बहन मायावती जी के, जिन्होंने 6 मई, 1997 को इस जिले की घोषणा की और इसका नाम छत्रपति शाहू जी महाराज नगर रखा, इस सरकार ने वह नाम भी बदल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, वह अलग विषय है । मैं पुनः एक बार मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस अति गम्भीर अविलम्बनीय विषय पर चर्चा कराने की आप कृपा करें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही चल रही है, जमीन अर्जित की जायेगी, वहां पर कलेक्ट्रेट बनाना है। अभी समरपाल सिंह जी कह रहे थे कि जजी नहीं बन रही है। माननीय सदस्य ने घोषणाओं का तो आदर कर लिया, बहिन जी की और उनकी घोषणाओं का यह परिणाम है। जब घोषणाओं का स्वागत कर रहे हैं, तो उन घोषणाओं के अनुरूप जो कार्यवाही हो रही है, उसका भी स्वागत करना चाहिए, जब हम अच्छा काम करते हैं, तो आप को कहना चाहिए कि अच्छा काम किया गया है, जब जिला बनेगा, तो कहां की जमीन जायेगी ? माननीय सदस्य कल से बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर उत्पीड़न की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, उपजाऊ भूमि जा रही है, वहां पर बहुत सी बंजर जमीन पड़ी हुई है और लोग उसको खुशी-खुशी देने के लिए तैयार हैं, उसको नहीं लिया जा रहा है। यह दलित विरोधी सरकार है। वहां पर छोटे-छोटे किसानों के खेत हैं, 5-5 बीघे वाले किसान हैं, उनकी जमीन जा रही है, इसलिये उनका उत्पीड़न हो रहा है। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर कार्यवाही करें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, वहां पर उत्पीड़न किसी का नहीं हो रहा है। न्याय संगत कार्यवाही चल रही है।

श्री दद्दू प्रसाद–

जो लोग किसी प्रकार से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनकी जमीन ली जा रही है, उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपना रटा रटाया उत्तर दे देते हैं। मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा, तो उन्होंने कहा कि पहाड़ों से उसकी छटा अच्छी दिखायी देगी, वह छटा देख रहे हैं, वह किसानों की रोजी रोटी को नहीं देख रहे हैं। वहां पर जिलाधिकारी को मनोहर और रमणीक छटा नजर आती है। इसलिये मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। आप शासन को कड़े निर्देश दें अन्यथा इस पर चर्चा करायें।

श्री अधिष्ठाता–

श्री दद्दू प्रसाद को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री दद्दू प्रसाद–

नहीं मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। वहां पर दमनात्मक रवैया चल रहा है। जिलाधिकारी को मनोहर छटा दिखाई पड़ती है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उपजाऊ भूमि क्यों ली जा रही है, जब कि बंजर और गैर उपजाऊ जमीन वहां पर उपलब्ध है। कमिश्नर की भी रिपोर्ट है, उसको देख लिया जाये।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, अगर वहां पर बंजर जमीन उपलब्ध है, तो वहां पर बना दिया जाये। मान्यवर, अगर इस मामले को दिखवाने से गरीबों का हित होता है तो माननीय सदस्य की भावना का आदर करते हुए इस पर पुनर्विचार करने का निर्देश दे दें।

श्री ददूद प्रसाद–

मान्यवर, केवल एक प्रस्ताव पर अड़े हुए हैं, दूसरा प्रस्ताव मंगवा लीजिये ।

श्री श्रीराम पाल–

अगर नजदीक में कहीं पर ऊसर बंजर जमीन है तो वहां पर बनायें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अगर नजदीक कोई बंजर जमीन है तो उस पर बनवायें, इस सम्बन्ध में आपको कुछ कहना है ।

श्री ददूद प्रसाद–

पुरवा तरोहां करहुआ में जमीन है ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य की जानकारी में कोई बात हो तो लिखकर दे दें, दिखवा लूंगा ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं कहना चाहता हूं कि जनपद बागपत में स्थित भूमि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश और हरियाणा का सीमा विवाद है । इस विवाद के कारण 200 किसानों की जानें जा चुकी हैं । 200 किसान अकेले बागपत जनपद में शहीद हो चुके हैं । वैसे तो सहारनपुर, मथुरा की भूमि पर भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सीमा विवाद भी है, इस विवाद के कारण हरियाणा से किसान पुलिस के साथ आते हैं और यहां के किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करते हैं और वहां की पुलिस यहां के किसानों को पकड़ ले जाती है ।

वर्ष 1975 में केन्द्र सरकार ने एक दीक्षित एवार्ड घोषित किया था और उसकी रिपोर्ट 1975 में आ गयी थी । उसमें घोषित किया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार इस विवाद के सम्बन्ध में अपने रेवेन्यू रिकार्ड हरियाणा को दे दे और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने रिकार्ड सौंप दिये लेकिन हरियाणा सरकार ने उसके अनुसार अपने रिकार्ड में संशोधन नहीं किया । इससे वहां के किसान उत्तर प्रदेश की भूमि पर जबरन कब्जा करते हैं । यहां के किसानों को वहां की पुलिस पकड़ कर ले जाती है जेलों में बंद करती है। वहां पर जमीन के विवाद में गोली चलने की घटनायें हो रही हैं । हजारों किसान बेघर हो गये हैं । इस सम्बन्ध में अनेक बार अधिकारियों से कहा गया और शासन के संज्ञान में भी लाया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

पिछले साल एक प्रकरण में हरियाणा के किसानों ने पुलिस के साथ उत्तर प्रदेश के किसानों की भूमि पर जबरन कब्जा किया । किसानों ने थाने पर रिपोर्ट की तो पुलिस और एस० डी० एम० वहां गये । एस० डी० एम० ने कहा कि यह जमीन उत्तर प्रदेश की है तो वहां के किसानों ने पुलिस के साथ एस० डी० एम० को मारापीटा और बेइज्जत किया । यह मामला सरकार के संज्ञान में आया । सरकार को चाहिए था कि वह हरियाणा सरकार से लिखापढ़ी करती लेकिन कोई कार्यवाही करने के बजाय उस एस० डी० एम० का तबादला कर दिया गया और उसे सस्पेंड कर दिया गया ।

इस भूमि विवाद में अनेकों जानें जा चुकी हैं, रोजाना मारपीट की घटनायें हो रही हैं किसी दिन इस मामले में स्थिति विस्फोटक हो सकती है और गम्भीर घटना हो सकती है । इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस समस्या की ओर सरकार ध्यान दे और दीक्षित एवार्ड की जो शर्तें थीं उनके अनुसार हरियाणा सरकार से बात करके उनके अभिलेखों में आवश्यक संशोधन कराके हमारे प्रदेश के

किसानों की भूमि उनको दिलाने का काम करे । मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है, हजारों किसानों से सम्बन्धित है चूंकि वहां पर घटनायें घट रही हैं, गोलियां चल रही हैं इसलिये तात्कालिक है अतः मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आज का सारा कामकाज रोक कर चर्चा कराई जाए ।

(श्री कौकब हमीद के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

यह परम्परा गलत हो जायेगी आपके सूचना पर हस्ताक्षर भी नहीं हैं ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मेरे जिले से सम्बन्धित है इसलिये एक मिनट सुन लीजिये । इस विवाद के अन्दर दो बार बड़ौत, जो हमारे उत्तर प्रदेश में है, के इंस्पेक्टर को हरियाणा पुलिस उठाकर ले गई । वहां के एस० डी० एम० आलोक शेखर तिवारी को 302 के केस में हरियाणा में बन्द रखा और बड़ी मुश्किल से छूट कर आये । उत्तर प्रदेश सरकार कुछ कर नहीं पा रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, एक चीज जो सबसे बड़ी दिक्कत तलब हुई है वह यह है कि उस एरिया के अन्तर्गत खरबूजे और तरबूज की फसल बहुत अच्छी हुआ करती थी । गरीबों का सदियों पुराना व्यापार बन्द हो गया इसलिये इसमें आप कार्यवाही करिये ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री राजपाल सिंह, श्री बनारसी दास चांदना, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री विजेन्द्र आर्य एवं श्री परवेज हलीम का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री हुकुम सिंह–

जिस समस्या का उल्लेख किया गया है यह समस्या लगातार चल रही है इसमें कोई शक की बात नहीं है । आज से नहीं कम से कम 20–25 साल से यही स्थिति है और बार-बार इस समस्या को सदन में उठाया जाता रहा है लेकिन समाधान वास्तव में नहीं हो सका । नियम 56 का जहां तक प्रश्न है तात्कालिक तो यह इतना है कि केवल 1997 की घटना है अब हम 1999 में बैठे हुए हैं । इस बीच में मेरे ख्याल से तीन सिटिंग और हो चुकी हैं । केवल तात्कालिकता के आधार पर विरोध नहीं करूंगा, मैं इतना आश्वासन देता हूं कि वर्तमान सरकार इस समस्या के समाधान के लिये पूरा प्रयास करेगी और अपने पड़ोसी प्रदेश से भी बात करेगी । बातों का सिलसिला भी जारी है जिस घटना का उल्लेख किया गया वह बड़ी दुःखद घटना थी इस घटना के बाद कई बैठकें व बातचीत हो चुकी हैं, आगे प्रयास किया जायेगा कि कैसे समस्या का समाधान हो सके ? यह सीमा विवाद का मामला है इसमें बुलन्दशहर व मथुरा की भी बात आयेगी इसलिये इसका स्थायी समाधान निकलना चाहिए । हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जल्दी ही दोनों प्रदेशों की एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन करेंगे और समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना ग्राह्य योग्य नहीं है अतः इसे अग्राह्य करता हूं ।

अगली सूचना श्री श्रीराम पाल जी की है ।

श्री श्रीराम पाल–

नियम 56 की अति महत्वपूर्ण अविलम्बनीय सूचना की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका धन्यवाद । मान्यवर, वर्तमान सरकार प्रतिपक्ष के विधायकों और उनके क्षेत्र के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार कर रही है इसका जीता-जागता ज्वलंत उदाहरण जो मैंने सूचना के माध्यम से नियम 56 में दी है । सरकार के संसाधन, विकास के कार्य सरकार के हाथ में हैं प्रतिपक्ष के विधायक और उनके क्षेत्रों में विकास कार्य ठप्प करना या उतनी धनराशि उपलब्ध न कराना यह एक नीति बन गई है लेकिन जो प्रकृति से प्रदत्त सुविधाएं हैं जैसे वायु, जल इन सुविधाओं पर भी अप्राकृतिक रूप से यह कटौती करके प्रतिपक्ष के सदस्यों के प्रति सरकार द्वारा जानबूझ कर अन्याय किया जा रहा है ।

जनपद जालौन में कालपी पड़ता है यहां के कुकरगांव, जालौन, तरपौर, हरसिंगपुर, कालपी, संदी, बवीना रजबहों को मुख्य नहर के हेड से ही बन्द कर रखा है जिसकी परिणति यह हुई है कि पलेवा का पानी किसानों को गेहूं की फसल के लिये नहीं मिल पाया । जो ट्यूबवेल हैं उन में से 70 फीसदी ट्यूबवेल खराब रहते हैं इन रजबहों में जो मैंने बताये हैं एक बूंद पानी नहीं छोड़ा गया है । इन रजबहों से जो छोटी-छोटी माइनरें हैं वह भी बन्द पड़ी हैं । जनपद जालौन में आये दिन डकैतियां पड़ती हैं व आये दिन नये गिरोह बन रहे हैं । वहां फसलों को पानी नहीं दिया जा रहा है । जानबूझ कर फसलों को सुखाया जा रहा है वहां के किसानों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है । चूंकि पिछली फसल अतिवृष्टि के कारण नष्ट हो चुकी है ।

जनपद जालौन में सिंगल क्राप होती है उसमें भी पानी नहीं दिया जायेगा तो क्या स्थिति होगी। वहां आज दर्जनों गिरोह अपहरण कर रहे हैं कल भी सरकार के संज्ञान में मैंने यह विषय लाया था अगर फसलों को दो-चार दिनों में पानी नहीं मिलता है तो यह पूरी की पूरी फसलें सूख जायेंगी । आज सैकड़ों किसान एक्सियन व डी० एम० के यहां चक्कर लगा रहे हैं । यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, तात्कालिक विषय है । इस पर आप चर्चा करा लें । इसके अलावा आप संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देश दें कि जिन रजबहों को नहर के हेड से बन्द कर दिया गया है उनको खोल दिया जाए ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र की समस्या का उल्लेख किया, अच्छा होता अभी सिंचाई विभाग का बजट आयेगा यह उस वक्त का विषय है । यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है । चूंकि माननीय सदस्य की अपने क्षेत्र की समस्या है इसलिये टिप्पणी करना उचित नहीं है लेकिन अच्छा होता कि सिंचाई विभाग के बजट के वक्त इस विषय को उठाया जाता ।

श्री श्रीराम पाल–

उस वक्त तक तो फसलें सूख जायेंगी । मेरा अनुरोध है कि आप सरकार को इन रजबहों में पानी छोड़ने का निर्देश दें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह देखना होगा कि रोस्टर के हिसाब से खोले गये हैं या नहीं ।

श्री श्रीराम पाल–

रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह देख लिया जाए कि रोस्टर के मुताबिक यह चल रहे हैं कि नहीं । यह देखा जाए कि किसानों की फसलें नष्ट न होने पायें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरे पास जानकारी है । इन शाखाओं की इंगित माइनरें टेल क्षेत्र में हैं तथा यह शाखाएं दि० 1-2-99 से मूल रोस्टर से संचालित किया जाना प्रस्तावित था । क्षेत्र में वर्षा हो जाने के कारण नहरों में पानी की मांग न होने को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी की सहमति से इन नहरों को दि० 7-2-99 से चलाया गया है । टेल क्षेत्र में पानी पहुंचने में 10–15 दिन का समय लगता है । इस समय यह नहरें चल रही हैं तथा पानी टेल क्षेत्रों में पहुंचने लगा है । व्यापक असंतोष की कोई घटना प्रकाश में नहीं आयी है ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, रोस्टर के हिसाब से भी पानी नहीं जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी रोस्टर के हिसाब से पानी जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसे आप दिखवा लें ।

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य को सुनने के बाद तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं । जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं की गई हैं, उनके नाम हैं–सर्वश्री प्रमोद कुमार, बुनियाद हुसैन अंसारी, राजा राम पाल, राम ललित चौधरी, भगवती प्रसाद सागर, राजा राम पाल तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य । अब मैं अगली को मद ले रहा हूं ।

(मद संख्या–9 पर संकल्प प्रस्तुत करने वाले प्रस्तावक–सर्वश्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, लाल जी वर्मा तथा श्री जगदीश नारायण राय जी का नाम पुकारे जाने पर वे सभी सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे ।)

**उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1998**

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इस संशोधन के माध्यम से एक छोटा सा संशोधन किया गया है । पहले मण्डी शुल्क लगता था, वह जितने सेल प्वाइन्ट्स होते थे, उन हर बिन्दुओं पर मण्डी शुल्क लगता था । व्यापारियों तथा किसानों की यह बहुत पुरानी मांग थी कि जितने बिन्दु होंगे अगर हर एक पर मण्डी शुल्क लगेगा तो इससे बहुत ज्यादा परेशानी होगी और वह बहुत ज्यादा हो जाता था । उनकी इस मांग को स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार ने व्यापारियों तथा किसानों के हित में यह निर्णय लिया कि केवल एक सूत्रीय मण्डी शुल्क निर्धारित किया जाय जो मण्डी शुल्क बहुसूत्रीय था, उसे एक सूत्रीय किया गया है, इसका सब जगह स्वागत हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई अन्य माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रखना चाहता है

(किसी ने भी अपने विचार नहीं रखे)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1999 पर, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**खण्ड–2 से खण्ड–7 तक**

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 17 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम,. 1964 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 17 में, खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(3) (क) लाइसेन्स देने या उसका नवीकरण करने के लिये ऐसे शुल्क लगाना, जो नियत किये जायं और उन्हें वसूल करना ; और

(ख) मण्डी शुल्क, जो मण्डी क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सौदों पर ऐसी दरों पर, जो इस प्रकार बेचे गये कृषि उत्पादन के मूल्य के एक प्रतिशत से कम और ढाई प्रतिशत से अधिक न हो, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, और विकास सेस जो ऐसे सौदों पर, इस प्रकार बेचे गये कृषि उत्पादन के मूल्य के आधा प्रतिशत की दर पर, लगाना और वसूल करना, और ऐसा शुल्क या विकास सेस निम्नलिखित रीति से वसूल किया जायेगा :—

(1) यदि उत्पादन, आढ़तिया के माध्यम से बेचा जाये तो आढ़तिया क्रेता से मण्डी शुल्क और विकास सेस वसूल कर सकता है और वह समिति को उसका देनदार होगा ;

(2) यदि कोई व्यापारी सीधे उत्पादक से उत्पादन क्रय करे तो वह व्यापारी समिति को मण्डी शुल्क और विकास सेस का देनदार होगा ;

(3) यदि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से उत्पादन क्रय करे तो उत्पादन बेचने वाला व्यापारी उसे क्रेता से वसूल कर सकता है और वह समिति को मण्डी शुल्क और विकास सेस का देनदार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उत्पादन बेचने वाला व्यापारी समिति को मण्डी शुल्क का देनदार होगा और 12 जून, 1973 से सदैव से देनदार हुआ समझा जायेगा और इस आधार पर कि उसने उसे क्रेता से वसूल नहीं किया है, ऐसे दायित्व से मुक्त न होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्पादन बेचने वाला व्यापारी विकास सेस का भुगतान करने के दायित्व से, इस आधार पर कि उसने उसे क्रेता से वसूल नहीं किया है, मुक्त न होगा।

(4) ऐसे उत्पादन के विक्रय की किसी अन्य स्थिति में, क्रेता समिति को मण्डी शुल्क और विकास सेस का देनदार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के फुटकर विक्रय पर कोई मण्डी शुल्क या विकास सेस नहीं लगाया जायगा न वसूल किया जायगा यदि ऐसा विक्रय उपभोक्ता को केवल उसके घरेलू उपयोग के लिये किया जाय :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, समिति, यथास्थिति, आढ़तिया, व्यापारी या क्रेता जिसने लाइसेंस प्राप्त किया हो, के विकल्प पर किसी कृषि वर्ष के लिये, उसके द्वारा देय मण्डी शुल्क या विकास सेस की धनराशि के बदले में एक मुश्त धनराशि ऐसे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में ऐसी अवधि के लिये, ऐसी शर्तों पर और ऐसी रीति से जैसी कि राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें, स्वीकार कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के दौरान ऐसे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सौदों पर कोई मण्डी शुल्क या विकास सेस नहीं लगाया जायगा जिस पर किसी मण्डी क्षेत्र में मण्डी शुल्क या विकास सेस लगाया जा चुका है, यदि व्यापारी विहित प्रारूप और रीति से घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि ऐसे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन पर मण्डी शुल्क या विकास सेस किसी अन्य मण्डी क्षेत्र में पहले ही लगाया जा चुका है।"

धारा 19 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 19 में,–

(क) उपधारा (5) में, शब्द और अंक "धारा 17 के खण्ड (5) के अधीन जुटायी गयी धनराशि और राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया अनुदान" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 17 के खण्ड (5) के अधीन जुटायी गयी धनराशि, विकास सेस के रूप में वसूल की गयी धनराशि और राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया अनुदान" रख दिये जायेंगे ,

(ख) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(6) प्रत्येक समिति विकास सेस के रूप में वसूल की गयी समस्त धनराशि को प्रत्येक माह परिषद् को भुगतान करेगी, जिसे धारा 26-ततत के अधीन स्थापित केन्द्रीय मण्डी निधि में जमा किया जायगा।"

नई धारा 26-ततत का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 26-तत के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"26-ततत (1) एक निधि स्थापित की जायगी जिसे "केन्द्रीय मण्डी निधि" कहा जायगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायगी, अर्थात् :–

(क) धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन परिषद् को दी गई समस्त धनराशि ;

(ख) ऐसी अन्य धनराशि जिसे राज्य सरकार या परिषद् निर्देश दे।

(2) केन्द्रीय मण्डी निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये किया जायगा, अर्थात् :—

(क) वित्तीय रूप से कमजोर और अविकसित समितियों को ऋण या अनुदान के रूप में सहायता ;

(ख) मण्डी क्षेत्र में मण्डी स्थल, सम्पर्क सड़क, पुलिया और अन्य विकास कार्यों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत ;

(ग) विकास कार्यों के लिये समितियों को अनुदान या ऋण ;

(घ) ऐसे अन्य प्रयोजन जैसे राज्य सरकार या परिषद् द्वारा, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, निर्देशित किये जायं ।"

धारा 37 का प्रतिस्थापन

5– मूल अधिनियम की धारा 37 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :–

"37-(1) कोई व्यक्ति जो धारा 9 या धारा 10 के या उसके अधीन बनाये गये नियमों, या उपविधियों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्ध दोष होने पर :—

शास्ति

(क) प्रथम अपराध के लिये जुर्माना से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है ;

(ख) उसी प्रकार के द्वितीय और किसी अनुवर्ती अपराध के लिये कारावास के दण्ड से जो एक वर्ष तक हो सकता है, या जुर्माना से जो दस हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में अग्रतर जुर्माना से जो दूसरी दोषसिद्धि या किसी अनुवर्ती दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें उल्लंघन जारी रहे एक हजार रुपये तक हो सकता है ;

दण्डनीय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई विशेष और पर्याप्त प्रतिकूल कारण जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किया जायगा, न हो तो प्रथम अपराध के लिये जुर्माना दो सौ रुपये से कम और द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए पांच सौ रुपये से कम न होगा ।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के किसी उपबन्धों का, धारा 9 और 10 और इसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबन्धों को छोड़कर, उल्लंघन करता है तो वह जुर्माना से जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में प्रथम बार सिद्ध दोष होने के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें उल्लंघन जारी रहे, दो सौ रुपये के अग्रतर जुर्माना से दण्डनीय होगा ।

(3) जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध किया जाय तब मजिस्ट्रेट किसी जुर्माना के अतिरिक्त, जो आरोपित किया जाय, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के अधीन उसके द्वारा देय फीस की धनराशि या अन्य कोई धनराशि सरसरी तौर पर वसूल करेगा और मण्डी समिति को भुगतान करेगा और स्वविवेकानुसार अभियोजन का व्यय भी सरसरी तौर से वसूल कर सकता है और मण्डी समिति को भुगतान कर सकता है।"

धारा 37-क का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 37-क में, शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द "बीस हजार" रख दिया जायगा।

नई धारा 39 क का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 39 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

क्रय और विक्रय का विवरण प्रस्तुत करना

"39-क प्रत्येक थोक व्यापारी या आढ़तिया प्रत्येक वर्ष तीस अप्रैल के पूर्व मण्डी समिति को पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके द्वारा या उसके माध्यम से किये गये निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय और विक्रय का विवरण ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अन्य विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए जैसी कि उपविधियों में निर्दिष्ट की जायें, प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण :-इस धारा के प्रयोजन के लिये "पूर्ववर्ती वर्ष" का तात्पर्य ऐसे वित्तीय वर्ष से है जो उस वर्ष के, ठीक पूर्ववर्ती हो, जिसमें ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–7 तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

खण्ड 8 में माननीय सदस्य डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी आप अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खण्ड–8 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 1998

निरसन और अपवाद

"8-(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 1998

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1998 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।"

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आप सहमत हैं।

श्री हुकुम सिंह–

जी हां।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–8 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय :––

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 1998

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 1998

"8—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1998 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड–8 को इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**खण्ड–1**

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा।

(2) यह 15 अगस्त, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बाजपेयी जी आप अपना संशोधन का प्रस्ताव रखें।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खण्ड–1 के उप खण्ड (1) में प्रयुक्त अंक "1998" के स्थान पर अंक "1999" रख दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आप सहमत हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–1 के उप खण्ड (1) में अंक "1998" के स्थान पर अंक "1999" रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड–1 इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**प्रस्तावना**

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बाजपेयी जी, आप अपना संशोधन का प्रस्ताव रखें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द "उनचासवें वर्ष में" के स्थान पर शब्द "पचासवें वर्ष में" रख दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आप सहमत हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि विधेयक की प्रस्तावना में शब्द "उनचासवें वर्ष में" के स्थान पर शब्द "पचासवें वर्ष में" रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि संशोधित प्रस्तावना इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**शीर्षक**

**उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1998**

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1998 जैसा कि संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, 1998 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 1998**

श्री जगदीश नारायण राय–

मान्यवर, मै आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, 1998 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, इस अध्यादेश द्वारा इस प्रदेश में एक अजीब स्थिति पैदा कर दी गई है । भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है । हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है। इस अध्यादेश द्वारा शिक्षकों को तथा हाईस्कूल इण्टरमीडिएट के शिक्षकों पर रोक लगाई जा रही है वे अपनी बात लोकतांत्रिक ढंग से न कर सकें । यह अध्यादेश काला कानून के रूप में लागू किया जा रहा है जिससे संविधान की मूल भावना पर असर पड़ेगा । एक हिटलरशाही का परिचायक यह सरकार बन जायेगी क्योंकि शिक्षकों के अतिरिक्त कर्मचारियों और पूरी जनता पर इसका असर होगा । इस सरकार की मंशा साफ नहीं है इसलिये मैं अपने प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं इसका अननुमोदन किया जाय।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

मान्यवर, शिक्षा का प्रश्न प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ है और ज्ञान से जुड़ा हुआ है प्रदेश में लगभग पांच हजार.....

श्री अधिष्ठाता–

पहले प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें ।

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाए ?

मान्यवर, कुछ वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में हड़ताल एक सामान्य बात हो गई है पिछले वर्ष मान्यवर, एक जुलाई से ही हड़ताल प्रारम्भ हो गई । विभिन्न तारीखों से हड़ताल थी और विभिन्न तारीखों को हड़ताल समाप्त हुई एक माह से ज्यादा हड़ताल रही इसका प्रभाव यह रहा कि छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़ा । छात्रों की कक्षायें नहीं हो पायी हमने कई बार वार्ता शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से की उनसे अनुरोध किया, निवेदन किया कि शिक्षा के हित में, छात्रों के हित में हड़ताल समाप्त कर दें । उनकी एक ही मांग थी पंचम वेतन आयोग को लागू किया जाए । लेकिन सरकार की अपनी सीमायें हैं, वित्तीय सीमायें हैं हमारे पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू न करने से शिक्षा व्यवस्था

ठप हो रही थी शिक्षक अजीब ढंग से हड़ताल कर रहे थे । शिक्षक विद्यालय में आते थे हस्ताक्षर करते थे लेकिन बच्चों को पढ़ाते नहीं थे जिसकी वजह से परीक्षाफल भी प्रभावित हुआ ।

इस वर्ष हाईस्कूल का लगभग 28 परसेंट परीक्षाफल रहा । इसको देखते हुए सरकार ने विचार किया कि एक अध्यादेश लाया जाए जिसमें हड़तालों पर अंकुश लगाया जा सके । इस अध्यादेश को हम लाये हैं पहले जो व्यवस्था थी उसमें शिक्षकों पर कार्यवाही करने के लिये जांच समिति बैठती थी । तब कार्यवाही हो सकती थी अब इस अध्यादेश के तहत प्रबन्धक और शिक्षकों का कान्ट्रैक्ट शून्य कर दिया है अब सीधे कार्यवाही कर सकते हैं । इससे आगे रिजल्ट ठीक होंगे हम चाहते हैं कि जगदीश नारायण जी अपना प्रस्ताव वापस ले लें । अरे, जगदीश जी चले गये ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री जगदीश नारायण राय का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, 1998 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(समय 4 बजकर 45 मिनट)

**खण्ड–2**

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1971 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम 1971 को जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(3) (क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निदेशक किसी भी समय सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा किसी ऐसे अध्यापक को जो उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अधीन किसी आदेश द्वारा निषिद्ध किसी हड़ताल पर जाता है या रहता है या अन्य प्रकार से उसमें भाग लेता है, निदेश दे सकता है कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय तक अपने काम पर उपस्थित हो ;

(ख) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 या इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 में किसी बात के होते हुए भी प्रबन्धाधिकरण के साथ अध्यापक के सेवायोजन की संविदा, अध्यापक द्वारा काम पर उपस्थित होने में चूक करने पर उपर्युक्त निदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय से, शून्य हो जायेंगी ।

(ग) जहां खण्ड (ख) के अधीन कोई संविदा शून्य हो जाती है, वहां सम्बद्ध अध्यापक की सेवायें समाप्त हो जायेंगी और वह अपनी सेवाओं की ऐसी समाप्ति के पूर्व किसी नोटिस का हकदार न होगा और न ऐसी कार्यवाही

के पूर्व किसी अनुशासनिक जांच की अपेक्षा की जायेगी, भले ही इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 और विनियमों या, यथास्थिति, उसकी सेवा की शर्तों में अन्यथा कुछ क्यों न हो ;

(घ) विशेषतया, और एतदर्थ विनिर्दिष्ट परिणामों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय के पश्चात् राज्य सरकार किसी अध्यापक के वेतन के भुगतान के लिये, धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, उत्तरदायी नहीं होगी ।

(4) प्रबन्धाधिकरण, या उसके चूक करने पर निरीक्षक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 या इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 या चयन, नियुक्ति या नियुक्ति के अनुमोदन की रीति के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त विनियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अध्यापक के पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिये निर्धारित योग्यता-धारी किसी व्यक्ति को अस्थायी आधार पर नियुक्त करने के लिये सक्षम होगा ।''

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**खण्ड–3**

| | | |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 1998 | 3–(1) उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।<br>(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे । | निरसन और अपवाद |

श्री अधिष्ठाता–

खण्ड–3 में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी अपना संशोधन प्रस्तुत करें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खण्ड–3 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाए, अर्थात्––

| | | |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 1998 | ''3–(1) उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।'' | निरसन और अपवाद |

"3—(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, 1998 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।" उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 1998

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आप सहमत हैं।

श्री हुकुम सिंह–

जी हां, सहमत हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि खण्ड–3 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय :—

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।" उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 1998

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, 1998 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ? उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 1998

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(4) प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड–3 को इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

## खण्ड–1

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा।

(2) यह 6 अगस्त, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खण्ड–1 के उपखण्ड (1) में प्रयुक्त अंक ''1998'' के स्थान पर अंक ''1999'' रख दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आप सहमत हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी हां ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं । प्रश्न यह है कि खण्ड–1 के उपखण्ड (1) में अंक ''1998'' के स्थान पर अंक ''1999'' रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(6) प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड–1 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**प्रस्तावना**

**उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 का अग्रतर संशोधन करने के लिये**

विधेयक

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द ''उनचासवें'' के स्थान पर शब्द ''पचासवें'' रख दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आप सहमत हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं । प्रश्न यह है कि विधेयक के प्रस्तावना में शब्द ''उनचासवें वर्ष में'' के स्थान पर शब्द ''पचासवें वर्ष में'' रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि संशोधित प्रस्तावना इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## शीर्षक

### उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 1998

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 1998 , जैसा कि संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अनुपस्थित हैं ।

### उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1998

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, 1974 में इस प्रदेश के अधिवक्ताओं के कल्याण के लिये एक निधि स्थापित की गयी थी और आज यह जो संशोधन हैं उन्हीं के अनुरोध पर है, उनकी सामूहिक बीमा योजना और सामूहिक सुरक्षा निधि योजना को और व्यापक बनाने तथा उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से न्यासी समिति बनी हुई थी । उसके सुझाव पर संशोधन किये गये हैं । इसमें जो प्रभाव होगा, एक तो अधिवक्ता की परिभाषा को परिभाषित कर दिया गया है । दूसरे, 'बार एसोसियेशन' और 'सदस्य' शब्दों को परिभाषित किया गया है । तीसरे, वकालतनामें की परिधि में राज्य सरकार या केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी की ओर से दाखिल किया गया कोई वकालतनामा या उपस्थिति ज्ञापन सम्मिलित न हो । इसके अतिरिक्त न्यासी समिति के गठन में स्टेट बार काउन्सिल के उसके द्वारा निर्वाचित दो सदस्य सम्मिलित किये गये हैं ।

अगला संशोधन यह है कि स्टेट बार काउन्सिल के पास भत्तों के प्रमाण पत्रों के लिये अधिवक्ताओं द्वारा जमा किये गये स्टाम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि राज्य सरकार द्वारा निधि में अन्तरित की जायेगी । इसके अलावा सभी अधिवक्ताओं के लिये वकालतनामें पर पांच रु० का कल्याणकारी टिकट लगाना अनिवार्य किया गया है । कल्याणकारी स्टाम्पों को छपाने का उत्तरदायित्व बार काउन्सिल को दिया गया है । तीन हजार रु० का अंशदान जमा करने पर आजीवन सदस्य बनाया जायेगा । इसके अतिरिक्त सदस्यता समाप्त होने पर अधिवक्ता को निधि से भुगतान की दर, की

न्यूनतम और अधिकतम सीमा को बढ़ाया गया है । मान्यवर, यह कुछ संशोधन इसमें हैं माननीय सदस्यगण इसको स्वीकार करें ।

श्री अधिष्ठाता–

अन्य माननीय सदस्य कोई विचार रखना चाहें ।

कोई नहीं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

## खण्ड–2 से खण्ड–12 तक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1974 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,–

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(क) "अधिवक्ता" का तात्पर्य स्टेट बार काउन्सिल की नामावली में नाम-निर्देशित एडवोकेट से है और इसमें ऐसे प्लीडर और अन्य विधि व्यवसायी भी, जो विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 के उपबन्धों के अधीन इस रूप में नाम-निर्देशित हों, सम्मिलित होंगे ;

(कक) "बार एसोसियेशन" का तात्पर्य स्टेट बार काउन्सिल से सम्बद्ध बार एसोसियेशन से है " ;

(दो) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(गग) "सदस्य" का तात्पर्य योजना के किसी सदस्य से है" ;

(तीन) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"(च) "वकालतनामा" के अन्तर्गत उपस्थित होने का ज्ञापन या कोई अन्य दस्तावेज भी है जिससे किसी अधिवक्ता को किसी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने, कार्य करने या अभिवचन करने की शक्ति प्राप्त हो, किन्तु इसके अन्तर्गत सरकार या सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी अधिकारी की ओर से दाखिल किया गया कोई वकालतनामा या उपस्थिति का ज्ञापन नहीं है ।"

धारा 3 का संशोधन

–3—मूल अधिनियम की धारा 3 में :—

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में,

(एक) शब्द "कैन्टीन एवं अन्य सुविधाओं" के स्थान पर शब्द "कैन्टीन, शेड एवं अन्य सुविधाओं" रख दिये जायेंगे, और

(दो) शब्द "जिला बार एसोसियेशनों" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "बार एसोसियेशन" रख दिये जायेंगे ,

(ख) उपधारा (3) में,—

(एक) खण्ड (ख) में शब्द "स्टेट बार काउन्सिल द्वारा" के स्थान पर शब्द "उसके द्वारा" रख दिये जायेंगे,

(दो) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(खख) स्टेट बार काउन्सिल के दो सदस्य जो उसके द्वारा निर्वाचित हों,"

(ग) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(4) उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब तक कि स्टेट बार काउन्सिल के अध्यक्ष का पद महाधिवक्ता द्वारा धृत हो किन्तु वह किसी भी समय अध्यक्ष को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकता है।"

धारा 8 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(2) किसी वित्तीय वर्ष में स्टेट बार काउन्सिल के पास भर्ती के प्रमाण-पत्रों के लिये अधिवक्ताओं द्वारा जमा किये गये स्टाम्प शुल्क के समकक्ष धनराशि, राज्य सरकार द्वारा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निधि में अन्तरित की जायगी और ऐसा अन्तरण होने पर राज्य सरकार, उस वित्तीय वर्ष के लिये, उसके सम्बन्ध में अपने दायित्व से उन्मोचित हो जायेगी।

धारा 8 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(क) शब्द "और तत्पश्चात् वर्ष के दौरान उसके द्वारा अधिवक्ताओं के नामांकन के निमित्त वसूल की गई फीस के पच्चीस प्रतिशत के बराबर धनराशि का प्रतिवर्ष" निकाल दिये जायेंगे और सदैव से निकाले गये समझे जायेंगे,

(ख) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"परन्तु इस धारा के, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1998 के पूर्व थी, अधीन स्टेट बार काउन्सिल द्वारा दी गयी अभिदान की कोई धनराशि वापिस नहीं की जायगी।"

धारा 9 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक अधिवक्ता अपने द्वारा स्वीकृत वकालतनामा पर किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति को दाखिल किये जाने वाले वकालतनामा की स्थिति में पांच रुपये के मूल्य का कल्याणकारी स्टाम्प लगायेगा और कोई न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या व्यक्ति ऐसे अधिवक्ता के पक्ष में कोई वकालतनामा ग्रहण नहीं करेगा जब तक उस पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित किसी स्टाम्प के अतिरिक्त ऐसा स्टाम्प न लगा हो।"

धारा 10 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) उपधारा (1) में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर "बार काउन्सिल" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (3) में शब्द "मुद्रण" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक "मुद्रण (जिसे बार काउन्सिल को भुगतान किया जायेगा)" रख दिये जायेंगे,

(ग) उपधारा (4) में शब्द "मुद्रित और बेचे गये कल्याणकारी स्टाम्पों की संख्या, काटा गया खर्च" के स्थान पर शब्द "बार काउन्सिल से प्राप्त और बेचे गये कल्याणकारी स्टाम्पों की संख्या, काटा गया खर्च, बार काउन्सिल को भुगतान किया गया मुद्रण का खर्च" रख दिये जायेंगे ;

(घ) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(5) राज्य सरकार मुद्रण प्रभार की वसूली पर कल्याणकारी स्टाम्पों के मुद्रण के लिये राजकीय प्रेस की सेवायें प्रदान कर सकती हैं।"

नई धारा 10-क का बढ़ाया जाना

8—मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

कल्याणकारी स्टाम्प की अनुपलब्धता की दशा में उपबन्ध

"10-क (1) धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, कल्याणकारी स्टाम्पों की अस्थायी कमी की दशा में कल्याणकारी स्टाम्पों का मूल्य न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या व्यक्ति के ऐसे अधीनस्थ अधिकारी या लिपिक को, जिसे ऐसे न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, नकद भुगतान किया जा सकता है और ऐसा अधीनस्थ अधिकारी या लिपिक उसके लिये एक रसीद देगा जिसे वकालतनामा पर चस्पा किया जायगा और ऐसे चस्पा का वही प्रभाव होगा मानों उस धनराशि का कल्याणकारी स्टाम्प इस अधिनियम के अनुसार के सम्यक् रूप से चस्पा किया गया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन नकद प्राप्त करने वाला अधीनस्थ अधिकारी या लिपिक उसे कोषागार में ऐसे शीर्षक के, जैसा राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अधीन जमा करेगा।"

धारा 11 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

"(क) उपधारा (5) में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक स्पष्टीकरण के पूर्व बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"परन्तु सरकारी अधिवक्ता निधि में अपने वार्षिक चन्दा के साथ ऐसे प्रत्येक कलेण्डर वर्ष या उसके भाग के लिये, जिसके दौरान वह सरकारी अधिवक्ता रहा हो, पचास रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करेगा :

परन्तु यह और कि कोई सदस्य अपने विकल्प का आजीवन चन्दे के रूप में तीन हजार रुपये, और यदि वह सरकारी अधिवक्ता हो तो तीन हजार पांच सौ रुपये का एक मुश्त भुगतान कर सकता है :

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार न्यासी समिति से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचित आदेश द्वारा, वार्षिक और आजीवन चन्दे की दर में परिवर्तन कर सकती है।"

(ख) स्पष्टीकरण में, खण्ड दो के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(तीन) किसी सरकारी अधिवक्ता का तात्पर्य सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निकाय, प्राधिकारी या किसी निगम द्वारा, किसी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या किसी व्यक्ति के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करने के लिये, नियुक्त किये गये ऐसे किसी अधिवक्ता से है जो यथास्थिति, सरकार या ऐसे निकाय, प्राधिकारी या निगम से रिटेनरशिप या मासिक भत्ते के रूप में कोई धनराशि प्राप्त करता हो।"

धारा 13 का प्रतिस्थापन

10—मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

सदस्यता समाप्त होने पर निधि से भुगतान

"13—(1) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके नामांकिती किसी या जहां कोई नामांकिती न हो उसके विधिक वारिसों को निधि से उसकी सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिये पांच हजार रुपये की दर से संगणित धनराशि का, जो पच्चीस हजार रुपये से अन्यून और एक लाख पचास हजार रुपये से अनधिक हो, भुगतान किया जायेगा।

(2) किसी सदस्य को, धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (ग) या (घ) के अधीन सदस्य न रह जाने पर निधि से निम्नलिखित प्रकार से भुगतान किया जायेगा,—

(एक) सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिये दो हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर से संगणित धनराशि, यदि वह अपनी सदस्यता के सम्पूरित वर्ष के बारह वर्ष के पश्चात् और पच्चीस वर्ष के पूर्व त्याग-पत्र देता है ;

(दो) सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिये, अधिकतम एक लाख पचास हजार रुपए से अध्यधीन रहते हुए, पांच हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर से संगणित धनराशि, यदि वह अपनी सदस्यता के सम्पूरित पच्चीस वर्ष के पश्चात् त्याग-पत्र देता है ,

(तीन) उसके द्वारा संदत्त वार्षिक चन्दे के कुल योग के बराबर धनराशि और उस पर ऐसी दर से साधारण ब्याज, जो न्यासी समिति समय-समय पर नियत करे, यदि वह ऐसे अन्य कारण से जो उपधारा (1) या उपधारा (2) से अच्छादित न हो, सदस्य न रह जाय ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिये सदस्यता के सम्पूरित वर्ष की संगणना के लिये योजना का सदस्य बनने के पूर्व प्रत्येक पांच वर्ष के विधि व्यवसाय, यदि कोई हो , को योजना की सदस्यता, के एक वर्ष के रूप में संगणित किया जायेगा ।''

नई धारा 14-क का बढ़ाया जाना

11—मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :

योजना के सदस्य के लिए विशेष उपबन्ध

''14—क–जहां कोई अधिवक्ता जो इस अधिनियम के, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व था, अधीन योजना का सदस्य है, ऐसे प्रारम्भ के दो मास के भीतर, योजना का सदस्य न बने रहने का विकल्प देता है, वहां उसे ऐसी धनराशि जिसके लिये वह धारा 13 के, जैसा कि वह ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थी, अधीन हकदार हो भुगतान की जायेगी और ऐसा अधिवक्ता पुनः योजना की सदस्यता में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । यदि ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो ऐसे अधिवक्ता योजना का सदस्य बना रहेगा ।''

संक्रमणकालीन उपबन्ध

12—जहां कोई अधिवक्ता इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी मामले में कोई वकालतनामा दाखिल कर चुका हो और ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् ऐसे वकालतनामा के अनुसरण में उस मामले में उपस्थित होना, कार्य करना या अभिवचन करना जारी रखे वहां वह ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् उस मामले की सुनवाई के प्रथम दिनांक को या उसके एक आवेदन-पत्र के माध्यम से कल्याणकारी स्टाम्प दाखिल करेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–12 तक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**खण्ड–13**

निरसन और अपवाद

13—(1) उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 1998

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।''

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1998 के खण्डों में वर्तमान खण्ड 13 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 1998

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 1998

निरसन और अपवाद

''13—(1) उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आप सहमत हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जी सहमत हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 13 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय–

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 1998

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 1998

निरसन और अपवाद

13—(1) उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 13 को इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

बाजपेयी जी खण्ड 1 पर अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

**खण्ड–1**

1—(1) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1998 के खण्ड 1 में (क) उप खण्ड (1) में प्रयुक्त अंक "1998" के स्थान पर अंक "1999" रख दिया जाय तथा (ख) उपखण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया गया, अर्थात्– "(2) यह 3 दिसम्बर, 1998 को प्रयुक्त हुआ समझा जायेगा ।"

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, आप सहमत हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सहमत हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 के उपखण्ड (1) में अंक '1998" के स्थान पर अंक "1999" रख दिया जाय और खण्ड 1 के उपखण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय "(2) यह 3 दिसम्बर, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 1 इस विधेयक के अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

बाजपेयी जी या पाण्डेय जी प्रस्तावना पर अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

**प्रस्तावना**

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## विधेयक

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1998 के विधेयक के प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द "उनचासवें" के स्थान पर शब्द "पचासवें" रख दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, आप सहमत हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सहमत हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि विधेयक के प्रस्तावना में शब्द "उनचासवें वर्ष" के स्थान पर शब्द "पचासवें वर्ष" रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि संशोधित प्रस्तावना इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

शीर्षक

**उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1998**

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1998 जैसा कि संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री लाल जी वर्मा तथा श्री जगदीश नारायण राय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

तीनों माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं । मैं अगली मद ले रहा हूं ।

## उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1998

सहकारिता मंत्री (श्री ''पटेल'' राम कुमार वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ।

श्री ''पटेल'' राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के कार्यों में तीव्र गति प्रदान करने के दृष्टिकोण से वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम लागू किया गया । इस अधिनियम के तहत यह प्राविधानित किया गया राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से चिन्हित क्षेत्रों को औद्योगिक विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है एवं ऐसे औद्योगिक विकास क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राधिकरण का गठन कर सकती है । प्राधिकरण का मुख्य कार्य उस क्षेत्र का सुनियोजित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना होगा, जिसके लिये भूमि अधिग्रहण, अवस्थापना सुविधायें एवं भू-उपयोग के नियम आदि विभिन्न कार्य सम्पादित किये जायेंगे । तदनुसार इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् प्रदेश में चार औद्योगिक विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया अर्थात् नोयडा, ग्रेटर नोयडा, गीडा (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) एवं सीडा (सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जौनपुर) ।

2—यद्यपि ये चारों औद्योगिक विकास प्राधिकरण विकास के अलग-अलग चरणों में हैं तथापि जो सबसे बड़ी आवश्यकता उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिये है, वह अवस्थापना सुविधाओं का सृजन । कालान्तर में यह महसूस किया गया कि राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में मात्र अनुदान से इस उद्देश्य की पूर्ति सम्भव नहीं हो पायेगी । अतः इन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से यह अपेक्षा की गयी कि वे अपने संसाधनों को जुटाने का प्रयास करें व साथ ही अपनी कार्य-योजना एक वाणिज्यिक आधार पर संचालित करें ताकि उनकी आय में वृद्धि हो व इस आय का उपयोग उनके द्वारा और बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिये किया जा सके । जहां तक संसाधनों को अपने स्तर पर जुटाने का प्रश्न है इसके तहत इन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से यह अपेक्षा की गयी कि वित्तीय संस्थाओं व निजी क्षेत्र के औद्योगिक संगठनों से विचार विमर्श कर ऐसी परियोजनायें तैयार की जायें जिनमें निर्माण के लिये बड़ी मात्रा में धनराशि की व्यवस्था इन संस्थाओं द्वारा किया जाये व ऐसा करके जो अवस्थापना सुविधायें व एमेनिटीज जन साधारण को सुलभ होंगी उनके उपयोग के लिये फीस की वसूली की जायेगी जिससे एक तरफ निर्माण में लगायी गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति भी होगी व दूसरी तरफ ऐसी अवस्थापनों का रख रखाव भी बेहतर होगा । यह भी परिकल्पना की गयी कि फीस कलेक्शन में जो भी अधिष्ठान व कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, उसका वित्तीय भार विकास प्राधिकरणों पर न आकर निजी क्षेत्रों के प्रमोटर्स पर आयेगा ताकि अधिक दक्षता से यह कार्य उनके स्टाफ द्वारा सुनिश्चित किया जा सकेगा । साथ ही एक अर्द्ध राजकीय उपक्रम में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को रखने व उनके सेवा सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी ।

3—उपरोक्त से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास के कार्यों में एक नया आयाम प्रारम्भ हो रहा है, जिसमें राज्य सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी भी अवस्थापना सुविधाओं के लिये सुनिश्चित की जायेगी । अर्थात् न केवल संसाधन जुटाने व निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में बल्कि निर्माण धनराशि की प्रतिपूर्ति एवं रख-रखाव हेतु फीस वसूलने के कार्यों में भी निजी क्षेत्र को दायित्व सौंपा जायेगा ।

इसी क्रम में औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 में इस आशय के संशोधन का अध्यादेश जारी किया गया है कि यदि कोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण किसी व्यक्ति या संस्था के साथ अवस्थापना सुविधा के निर्माण या रख रखाव हेतु अनुबंध करता है तो उस व्यक्ति/संस्था को उक्त

अवस्थापना सुविधा के रख रखाव के लिये फीस वसूलने का अधिकार भी प्राधिकरण द्वारा दिया जा सकता है। इस प्रकार अधिनियम की धारा–6 में संशोधन के उपरान्त धारा 6–ए जोड़ दिया गया है जिस पर माननीय सदन का अनुमोदन निवेदित है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**खण्ड–2**

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976 में नई धारा 6–क का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

अनुरचना या सुविधा की व्यवस्था करने और कर या फीस का संग्रह करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने की शक्ति

"6–क–इस अधिनियम में किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जैसे विनियमों में निर्दिष्ट किये जायं, प्राधिकारी, करार द्वारा, इस अधिनियम के अधीन किसी अनुरचना या सुविधा की व्यवस्था करने या अनुरक्षण करने या व्यवस्था को जारी रखने और उसके लिये उद्ग्रहीत, यथास्थिति कर या फीस का संग्रह करने के लिये, किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**खण्ड–3**

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1' सन् 1998

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खण्ड "3" के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय ।

| | | |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 1998<br>उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 1998 | "3—(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।<br>(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1998 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।" | निरसन और अपवाद |

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी क्या आप सहमत हैं ?

"पटेल" रामकुमार वर्मा–

जी हां । मैं सहमत हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाये :—

| | | |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 1998<br>उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 1998 | "3—(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।<br>(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1998 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे । | निरसन और अपवाद |

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड–3 को इस विधेयक का अंग माना जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**खण्ड–1**

| | |
|---|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा ।<br>(2) यह 14 अगस्त, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा । |

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खण्ड 1 में प्रयुक्त अंक "1998" के स्थान पर अंक "1999" रख दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, आप सहमत हैं ।

"पटेल" राम कुमार वर्मा–

सहमत हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 के उपखण्ड (1) के अंक "1998" के स्थान पर अंक "1999" रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 1 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

## प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

## विधेयक

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द "उनचासवें" के स्थान पर शब्द "पचासवें" रख दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, आप सहमत हैं ।

"पटेल" राम कुमार वर्मा–

सहमत हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि विधेयक के प्रस्तावना में शब्द "उनचासवें" के स्थान पर शब्द "पचासवें" रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि संशोधित प्रस्तावना इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

## शीर्षक

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1998

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

"पटेल" राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1998 जैसा कि संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1998 जैसा कि संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं**

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम–51 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई :––

(1) श्री अजय कुमार पोइया — मथुरा नगर के कतिपय क्षेत्रों में पुलिस संरक्षण प्राप्त कर अनुसूचित जाति तथा जन जातियों के नागरिकों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत :–

(1) डा० राम बाबू हरित — प्रदेश में पेन उद्योग (बालपेन एवं फाउन्टेन पेन) पर व्यापार कर समाप्त करने तथा इस उद्योग को लगाने हेतु नये उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में,

(2) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी — सम्पूर्ण प्रदेश में ईंट भट्ठों पर कम्पाउन्ड स्कीम के अन्तर्गत सम्भावित कर वृद्धि की योजना की घोषणा पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में,

(3) श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया — जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत दैनिक जागरण के पत्रकार की हत्या किये जाने तथा पुलिस द्वारा जांच को सी० बी० सी० आई० डी० को स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(4) श्री समर पाल सिंह — जनपद मेरठ की सरधना तहसील में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

(5) श्री अकबर हुसैन — जनपद मुरादाबाद में कुन्दरकी क्षेत्र अन्तर्गत जटपुरा ग्राम में दलित महिला के साथ सामूहिक दुराचार करने वाले दुराचारियों को थाना–मैनाठेर की पुलिस द्वारा संरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :––

(1) श्री इन्द्रजीत सरोज — जनपद–कौशाम्बी में किशुनपुर पम्प नहर की समुचित सफाई न किये जाने तथा सम्बन्धित अधिकारियों/अभियन्ताओं द्वारा उदासीनता बरते जाने से किसानों को हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में ।

(2) श्री लाल सिंह वर्मा तथा श्री जयवीर सिंह भदौरिया । प्रदेश के किसानों को आलू की अच्छी फसल होने के बावजूद उन्हें लागत मूल्य न मिल पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार हुई हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं, श्री विजय पाल सिंह, श्री दद्दू प्रसाद, श्री मतेश चन्द्र सोनकर, श्री आचार्य रामदेव वैश्य और श्री श्रीरामपाल ।

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे पुनः मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

18 फरवरी, 1999

**प्रेम चन्द्र सक्सेना,**

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

**नत्थी 'क'**

(देखिये अता० प्र० सं०–49 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर)

**उ० प्र० भूमि सुधार निगम, लखनऊ**

**प्रतापगढ़ जनपद में ब्लाक वार चयनित ग्रामों की सूची**

| क्र०सं० | ग्राम का नाम | ब्लाक का नाम |
|---|---|---|
| 1 | बनपुरवा | पट्टी |
| 2 | रायपुर | पट्टी |
| 3 | रानीपुर | पट्टी |
| 4 | ढिढुई | पट्टी |
| 5 | श्रीनाथ पुर | पट्टी |
| 6 | मरहा | पट्टी |
| 7 | महदहा | पट्टी |
| 8 | भुसहर | पट्टी |
| 9 | लाखीपुर | पट्टी |
| 10 | बींद–1 | पट्टी |
| 11 | बींद–2 | पट्टी |
| 12 | बीबीपुर बारडीह | पट्टी |
| 13 | नारंगपुर | पट्टी |
| 14 | बिजहरा | पट्टी |
| 15 | महरूपुर | पट्टी |
| 16 | सपहाछात | पट्टी |
| 17 | पिपरीमतकरपुर | पट्टी |
| 18 | बिबियापुर | पट्टी |
| 19 | लौवार | पट्टी |
| 20 | पट्टीखास | पट्टी |
| 21 | गडौरीकला | पट्टी |
| 22 | परसनी | पट्टी |
| 23 | सरसतपुर | पट्टी |
| 24 | औंगापुर | आसपुर देवसरा |
| 25 | धनसार | आसपुर देवसरा |
| 26 | सारडीह | आसपुर देवसरा |
| 27 | लबेदा | आसपुर देवसरा |
| 28 | आकारीपुर | आसपुर देवसरा |
| 29 | बाहरपट्टी | आसपुर देवसरा |
| 30 | आमापुर | आसपुर देवसरा |
| 31 | लखनुडीह | आसपुर देवसरा |
| 32 | धनेपुर | आसपुर देवसरा |
| 33 | शोभवा | आसपुर देवसरा |
| 34 | पूरा | आसरपुर देवसरा |
| 35 | तीबीपुर | आसपुर देवसरा |
| 36 | खेमानपट्टी | आसपुर देवसरा |
| 37 | तिवारीपट्टी | आसपुर देवसरा |
| 38 | | आसपुर देवसरा |
| 39 | नेवादा | आसपुर देवसरा |
| 40 | नगर | आसपुर देवसरा |
| 41 | डेढुआ | आसपुर देवसरा |
| 42 | भाटीकला | आसपुर देवसरा |
| 43 | डुकरा | आसपुर देवसरा |
| 44 | मंडरामऊ | आसपुर देवसरा |
| 45 | तेलियानी | आसपुर देवसरा |
| 46 | चिलावां | आसपुर देवसरा |
| 47 | भोपालपुर | आसपुर देवसरा |
| 48 | रेडीगारापुर | आसपुर देवसरा |
| 49 | गोविन्दपुर | आसपुर देवसरा |
| 50 | सैलखा | आसपुर देवसरा |
| 51 | गोपालपुर | आसपुर देवसरा |
| 52 | देवरखा | आसपुर देवसरा |
| 53 | भरोखन | आसपुर देवसरा |
| 54 | धरौलीमुफरीद | मंगरौरा |
| 55 | सरायजमुवारी | मंगरौरा |
| 56 | शिवगढ़ | मंगरौरा |
| 57 | बरहुपुर | मंगरौरा |
| 58 | धरौली | मंगरौरा |
| 59 | लौली | मंगरौरा |
| 60 | मदाफरपुर | मंगरौरा |
| 61 | देवकली | मंगरौरा |
| 62 | कोनी | मंगरौरा |
| 63 | धर्मापुर | मंगरौरा |
| 64 | साल्हेपुर कंजास | मंगरौरा |
| 65 | जोगीपुर | मंगरौरा |
| 66 | कसतूरीपुर | मंगरौरा |
| 67 | परगासपुर | मंगरौरा |
| 68 | डेहरी | मंगरौरा |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| क्र०सं० | ग्राम का नाम | ब्लाक का नाम |
|---|---|---|
| 69 | उतरास | मंगरौरा |
| 70 | तिगुडी | मंगरौरा |
| 71 | सरसीखाम | मंगरौरा |
| 72 | सरसीडीह | मंगरौरा |
| 73 | इटवा | मंगरौरा |
| 74 | कहैनियां | मंगरौरा |
| 75 | कांपाहारी | मंगरौरा |
| 76 | कांपाहिस्सा–11 | मंगरौरा |
| 77 | रामपुर कांपा | मंगरौरा |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 153 विधान सभा (487 )–1999–813 (डी० टी० पी०) ।